बिहार सरकार

सुलभ संगणक – 4.0

(Ready Reckoner)

प्रशाखा–20

(क्षेत्रीय स्थापना)

तिरहुत, सारण, कोशी एवं दरभंगा प्रमंडल

सामान्य प्रशासन विभाग

मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना–15

2026

बिहार सरकार

प्रत्यय अमृत,
मुख्य सचिव,
बिहार

—:: संदेश ::—

यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि सामान्य प्रशासन विभाग अन्तर्गत सभी प्रशाखाओं द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तार को दृष्टिपथ रखकर प्रशाखा के उद्देश्य एवं दायित्व, आवंटित कार्य एवं निष्पादन की समय सीमा, कार्य योजना, तत्संबंधी अद्यतन अधिनियम, नियमों, संकल्पों, परिपत्रों, आदेशों एवं मानक संचालन प्रक्रिया एवं उपलब्धि आदि को समाहित कर प्रशाखावार सुलभ संगणक (Ready Reckoner) तैयार कर पुस्तक रूप में एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जा रहा है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सुलभ संगणक के संधारण से न केवल कार्यों के निष्पादन में गतिशीलता आयी है बल्कि इससे निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन संभव हो पाया है। मुझे विश्वास है कि यह सुलभ संगणक स्थानांतरण/पदस्थापन अथवा नवनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों को कार्यों के निष्पादन हेतु एक मार्गदर्शिका के रूप में अत्यन्त ही उपयोगी साबित होगा। इससे सामान्य प्रशासन विभाग के साथ–साथ अन्य विभाग/कार्यालय के पदाधिकारी/कर्मी भी लाभान्वित होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी सुलभ संगणक को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए धन्यवाद के पात्र हैं।

24.10.2021

प्रत्यय अमृत

बिहार सरकार

डॉ0 बी0 राजेन्दर,
अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग

–::प्राक्कथन::–

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रशाखावार सुलभ संगणक के प्रकाशन की परिकल्पना वर्ष, 2022 में प्रारंभ की गयी है। इसी कड़ी में सुलभ संगणक की चतुर्थ संस्करण प्रकाशित की जा रही है। सुलभ संगणक 4.0 में गत वर्षो के अनुभव को समाहित करते हुए सभी प्रशाखाओं के उद्देश्य एवं दायित्व, उपलब्धि, संरचनात्मक विवरणी, निष्पादित किये जाने वाले कार्यो, निष्पादन की समय सीमा उससे संबंधित परिपत्रों, आदेशों, निरीक्षण संबंधी अनुदेश एवं विषयवार FAQ तथा मानक संचालन प्रक्रिया को समाहित कर एक सारगर्भित सुलभ संगणक संधारित की गयी है।

सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक प्रबंधन एवं सेवा विनियामक कार्यों के अतिरिक्त नागरिक सुविधा से जुड़े सेवाओं तथा जनशिकायतों के समयबद्ध निष्पादन को ध्यान में रखकर राज्य में नवाचार तथा Good Practices हेतु अग्रणी भूमिका निभाती रही है।

राज्य के नागरिकों को विनिर्दिष्ट सेवाएँ उपलब्ध कराना एवं न्याय के साथ विकास की परिकल्पना को साकार करने में संलग्न राज्य सरकार के कर्मी/पदाधिकारी का समुचित प्रबंधन एवं इसके सेवा शर्त्तों से जुड़े विषयों का त्वरित निष्पादन सामान्य प्रशासन विभाग का महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के माध्यम से नवीनतम तकनीक का उपयोग कर लोक शिकायत निवारण अधिनियम, बिहार सरकारी सेवक सेवा शिकायत निवारण प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एवं लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित करा रही है। वर्तमान में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अंतर्गत राज्य के नागरिकों को कुल– 14 विभागों के 153 सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही है।

सुलभ संगणक 4.0 का संस्करण निश्चय ही विभागीय कार्यों के निष्पादन में संलग्न पदाधिकारी/कर्मी एवं स्थानांतरण/पदस्थापन अथवा नवनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगा तथा यह विभागीय कार्य संस्कृति में गुणेत्तर सुधार लाने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त सुलभ संगणक विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगा।

सुलभ संगणक को तैयार करने में अपना मूल्यवान योगदान के लिए संलग्न पदाधिकारियों/कर्मियों को मैं हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ।

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)

बिहार सरकार

मो0 सोहैल, भा.प्र.से.
सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग

संदेश

समाहरणालय संवर्ग के अराजपत्रित कर्मी यथा आशुलिपिक, लिपिक, वाहन चालक एवं कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के नियुक्ति, अंतरजिला स्थानांतरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि जैसे कार्यों का सम्पादन सामान्य प्रशासन विभाग की प्रशाखा–10 एवं 20 द्वारा किया जाता है।

2. इसके अतिरिक्त उक्त संवर्ग से संबंधित न्यायिक मामलों का अनुश्रवण एवं संबद्ध सरकारी सेवकों से संबंधित अनेक मामले में अस्पष्टता की स्थिति में जिला समाहरणालयों द्वारा याचित मार्गदर्शन के आलोक में नियमानुकूल विभागीय परामर्श जिला पदाधिकारी को भेजा जाता है।

3. समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों की सेवा संबंधी अनुमान्यताओं को प्रदान करने में प्रशाखा–10 एवं 20 की भूमिका काफी सराहनीय एवं महत्त्वपूर्ण है। प्रशाखा–10 एवं 20 द्वारा प्रशाखा के सभी दायित्वों का निर्वहन पूरी समयबद्धता, तत्परता, गुणवता और निष्ठा के साथ किया जाता है।

4. समाहरणालय संवर्ग के अराजपत्रित कर्मियों के कार्यों के निष्पादन से संबद्ध सामान्य प्रशासन विभाग की प्रशाखा–10 एवं 20 के कनीय प्रभार पदाधिकारी, अवर सचिव, प्रशाखा के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के साथ–साथ प्रशाखा में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों तथा कार्यालय परिचारी द्वारा समर्पित भाव से की गई सेवा अत्यंत ही सराहनीय है। मैं उनके सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

(मो0 सोहैल)
सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना

विषय सूची

क्र0	विषय	पृष्ठ सं0
1.	संरचनात्मक एवं संस्थागत विवरण	01
2.	पदाधिकारियों/कर्मचारियों की विवरणी	02–03
3.	प्रशाखा का उद्देश्य/दायित्व	04
4.	कार्य निष्पादन हेतु विहित प्रक्रिया एवं निर्धारित समय	05–06
5.	संचिकाओं की अनुक्रमणिका	07
6.	कर्त्तव्यों की संक्षिप्त विवरणी	08–09
7.	प्रशाखा–10 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को आवंटित कार्य	10
8.	प्रशाखा–20 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को आवंटित कार्य	11
9.	क्रियाशील/अक्रियाशील संचिका की संख्या	12
10.	कार्य पंचाग	13
11.	प्रशाखा की प्राथमिकताएँ	14
12.	प्रशाखा–10 की उपलब्धि	15–17
13.	प्रशाखा–20 की उपलब्धि	18–19
14.	चेकलिस्ट/जाँच–पत्र	20–25
15.	समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों से संबंधित नियम/ नियमावली /अनुदेश/निदेश/मार्गदर्शन	26
16.	बिहार क्षेत्रीय (समाहरणालय) आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2006	27–30
17.	बिहार क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय आशुलिपिक/ आशुटंकक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2015	31–32

18.	आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के तृतीय पदसोपान प्रधान आशुलिपिक/आशुटंकक का वेतनमान	33–34
19.	आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के विभिन्न पदो की स्वीकृति	35
20.	बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2011	36–38
21.	बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2013	39
22.	बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2017	40
23.	बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2022	41
24.	बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2022	42
25.	बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2005	43–45
26.	बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2007	46
27.	बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2014	47–49
28.	बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019	50
29.	बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2023	51–57
30.	बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति से संबंधित वित्त विभाग का संकल्प संख्या–169 दिनांक–05.01.2024	58–59
31.	बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत पुनरीक्षण प्राधिकार विनिर्दिष्ट करने हेतु निर्गत अधिसूचना–8823 दिनांक–02.06.2022	60–61

32.	विभागीय पत्रांक–19947 दिनांक–26.10.2023 द्वारा समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों का अंतर प्रमंडलीय/जिला स्थानांतरण/पदस्थापन के संदर्भ में बनायी गयी नीति एवं प्रक्रियाओं का Master Circular एवं FAQ के संबंध में।	62–65
33.	स्थानांतरण/पदस्थापन हेतु निर्गत पत्रांक–5762 दिनांक–16.06.2020	66
34.	स्थानांतरण/पदस्थापन हेतु निर्गत पत्रांक–8593 दिनांक–31.05.2022	67–68
35.	विभागीय संकल्प ज्ञापांक–11772 दिनांक–20.06.2023 द्वारा अंतर प्रमंडलीय/जिला स्थानांतरण/पदस्थापन के फलस्वरूप वरीयता निर्धारण के संबंध में।	69
36.	जिला अतिथि गृह के संचालन हेतु निर्गत पत्रांक–7751 दिनांक–10.08.2010	70–71
37.	जिला अतिथि गृह के कमरों के किराया का पुनरीक्षण पत्रांक–9722 दिनांक–31.08.2021	72–73
38.	समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्णता के संबंध में।	74
39.	समाहरणालय एवं अन्य मुफस्सिल कार्यालयों के लिपिकीय पदों के एकीकरण को पृथक करने के संबंध में निर्गत पत्र–8825 दिनांक–20.12.2000 (वित्त विभाग)	75–76
40.	विभागीय पत्रांक–10493 दिनांक–05.07.2024 द्वारा राज्य के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु Master Circular/FAQ परिचारित करने के संबंध में।	77–112
41	जिला पदाधिकारी द्वारा याचित मार्गदर्शन के मुख्य बिन्दु से संबंधित FAQs	113–122
42	राज्य में 'कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)' की रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0 जे0सी0सं0–18612/2019 और सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–18070/2019, 17070/2019, 18148/2019 तथा 18443/2019 में दिनांक–18.12.2019 को पारित न्यायादेशों के अनुपालन के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक–5983 दिनांक–23.06.2020	123–127

43	राज्य के प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने के संबंध में विभागीय पत्रांक–19300 दिनांक–13.10.2023 द्वारा निर्गत अधिसूचना।	128–130
44	राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने के निमित्त प्रवृत्त अस्थायी स्थानापन्न कार्याकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 (अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023) के नियम–6(x) में निर्धारित समय–सीमा को विस्तारित करने हेतु निर्गत विभागीय ज्ञापांक–036 दिनांक–10.01.2024	131–132
45	वैसे मामलों में जहाँ एक ही विज्ञापन के माध्यम से दिनांक –01.09.2005 के पूर्व कतिपय अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना के तहत तथा 01.09.2005 के पश्चात् कतिपय अभ्यर्थी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत नियुक्त हुए हैं, एन0पी0एस0 के तहत नियुक्त वैसे कर्मियों को कतिपय शर्त्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प प्रदान करने हेतु निर्गत वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक –1206 (पें0) दिनांक–28.11.2023	133–135
46	वित्त विभागीय संकल्प संख्या–1206 दिनांक–28.11.2023 के आलोक में एन0पी0एस0 के जगह पुरानी पेंशन योजना अनुमान्य किये जाने के प्रस्ताव में वित्त विभागीय सहमति हेतु वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या–298(पें0) दिनांक–19.03.2024 द्वारा निर्गत जाँच पत्रक	136–138
47	सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015	139–150
48	सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने के संबंध में निर्गत विभागीय आदेश संख्या–17098 दिनांक–22.10.2024	151

49	विधान मंडल के सदस्यों/राज्य के सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों (न्यायिक सेवा सहित) के आश्रितों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आश्रितों की परिभाषा/उम्र सीमा/आश्रित के निर्धारण के संबंध में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–1920(14) दिनांक–13.08.2024	152–154
50	स्कीमों के स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन के संबंध में वित्त विभाग का संकल्प संख्या–7730 दिनांक–15.10.2018	155–156
51	विभिन्न स्तर के लोक सेवकों/पदाधिकारियों के उपयोग के लिये सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की अधिसीमा निर्धारण के संबंध में निर्गत वित्त विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–10517 दिनांक–28.11.2023	157
52	बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (रूपातंरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2025	158–169
53	सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित कतिपय पदों को स्पष्ट किये जाने के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक–13256 दिनांक–21.08.2024	170–171
54	सरकारी सेवकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संबंध में बनायी गयी नीति एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करने हेतु मार्गदर्शन से संबंधित निर्गत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–881 दिनांक–03.06.2009	172–173
55	राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा अग्रिम की अधिसीमा एवं स्वीकृति प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन से संबंधित स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–2686(14) दिनांक–09.10.2023	174–175
56	सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु विभागीय ज्ञापांक–18039 दिनांक–23.09.2025 द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)	176–187
57	प्रशाखा में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों का फोटोग्राफ	188–189

संरचनात्मक एवं संस्थागत विवरण

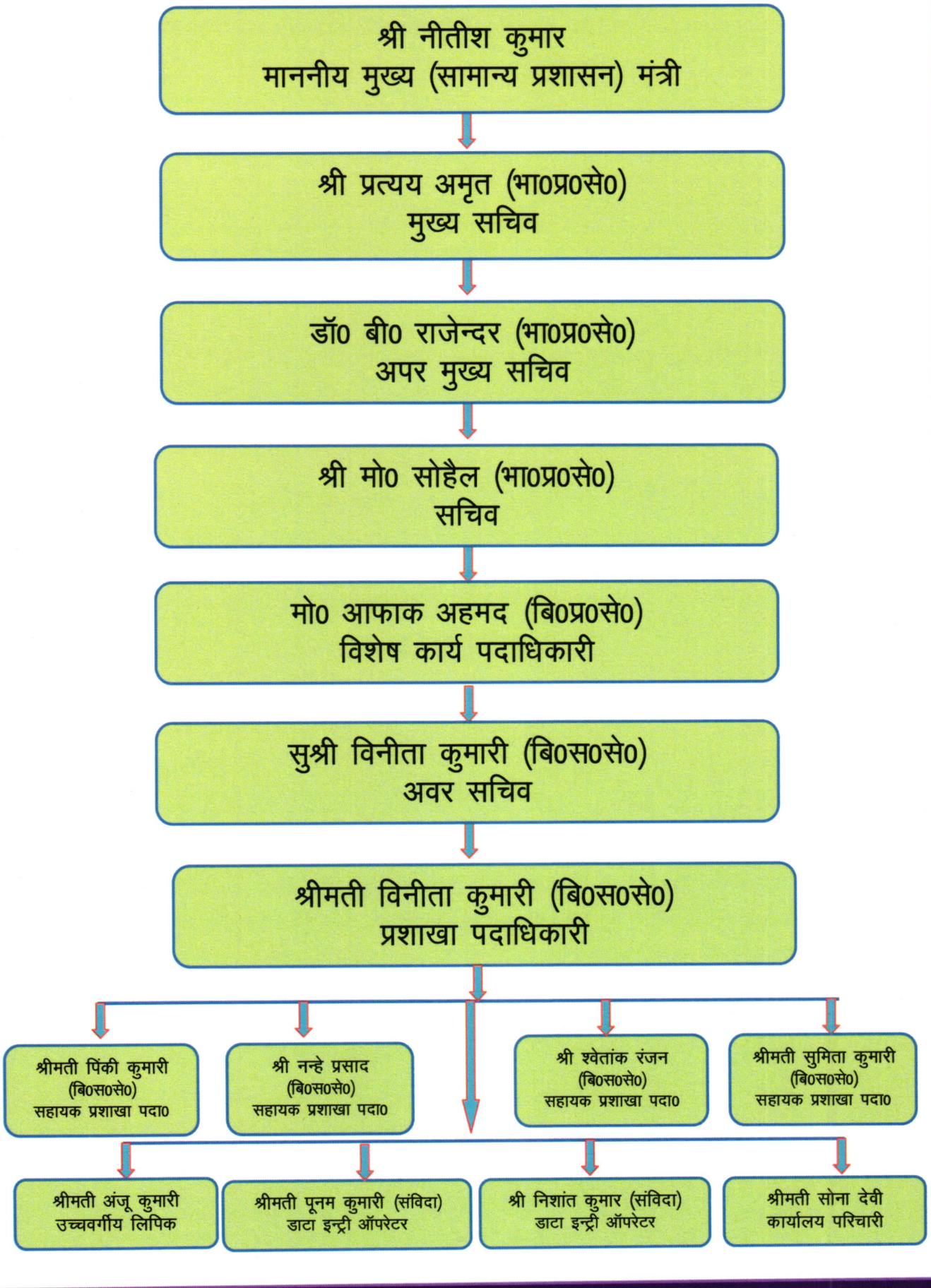

पदाधिकारियों / कर्मचारियों की विवरणी

क्र0	नाम / पदनाम	पता	आवासीय पता	शैक्षणिक योग्यता / पदस्थापन अवधि	फोटो
1	डॉ0 बी0 राजेन्दर, (भा0प्र0से0) 1995 बैच	कमरा नं0–256, पुराना सचिवालय	ए3 / 19, ऑफिसर्स आवास, बेली रोड, पटना 0612-2216784 secy-par-bih@nic.in	डॉक्टरेट (पादप रोग विज्ञान) 28.04.2022	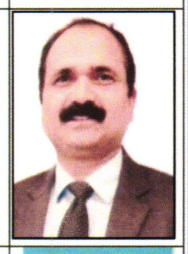
2	श्री मो0 सोहैल, सचिव (भा0प्र0से0) 2007 बैच	कमरा नं0–277, पुराना सचिवालय	हारून नगर कॉलोनी, फुलवारीशरीफ, पटना 0612–2910079 md.sohail@ias.nic.in	बी. एस.सी. (सिविल इंजिनियरिंग) 31.12.2022	
3	मो0 आफाक अहमद, विशेष कार्य पदाधिकारी	कमरा नं0–136B, पुराना सचिवालय	एफ–2, फातिमा रेसिडेंसी, हारून नगर, सेक्टर–2, फुलवारीशरीफ, पटना 9102442717 ahsan.hanzala@gmail.com	एम0ए0 (इतिहास)	
4	सुश्री विनीता कुमारी, अवर सचिव	कमरा नं0– 127A पुराना सचिवालय	फ्लैट नं0–502, साईं राम चरण अपार्टमेंट, गोला रोड, पटना 9199427626 vineeta100374@gmail.com	स्नातक 03.02.2016	
5	श्रीमती विनीता कुमारी, प्रशाखा पदाधिकारी	कमरा नं0– 127A पुराना सचिवालय	खगौल रोड, दानापुर, पटना 7759061889 binitasharan84@gmail.com	स्नातकोत्तर 27.12.2024	
6	श्रीमती पिंकी कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	कमरा नं0– 127A पुराना सचिवालय	बी0–2, हरिश्चन्द्र नगर, सिपारा, पटना–800020 8208675944, kumaripinkyrani@gmail.com	स्नातक 18.03.2024	

7	श्री नन्हे प्रसाद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	कमरा नं0– 127A पुराना सचिवालय	भगवान कैलाश अपार्टमेंट, कमरा सं0–106, पुरानी जक्कनपुर, पटना–800001 9771593617 nanheprasad95 @gmail.com	स्नातक 29.02.2024	
8	श्री श्वेतांक रंजन, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	कमरा नं0– 127A पुराना सचिवालय	शिवाजी लेन, ब्लॉक–डी0, साकेत बिहार मोड़, अनिसाबाद, पटना–800002 8789329928 mylokesh5683@gmail.com	स्नातक 21.04.2024	
9	श्रीमती सुमिता कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	कमरा नं0– 127A पुराना सचिवालय	पुष्पा पैलेस, बंगाली रोड, मीठापुर, पटना–800001 8252461910 sumitakri8844@gmail.com	स्नातक 23.02.2024	
10	श्रीमती अंजू कुमारी, उच्चवर्गीय लिपिक	कमरा नं0– 127A पुराना सचिवालय	फ्लैट नं0–301, पा. टलीपुत्रा, नेहरूनगर, पटना–800013 7004956701 anjusingh153mzr@gmail.com	स्नातक 08.06.2022	
11	श्रीमती पुनम कुमारी, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (संविदा)	कमरा नं0– 127A पुराना सचिवालय	आई0ओ0सी0 रोड, प्रगतिनगर, सिपारा, पटना 8102825492 kumaripoonam18785@gmail.com	स्नातक 06.06.2014	
12	श्री निशांत कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (संविदा)	कमरा नं0– 127A पुराना सचिवालय	हाउस नं0–80, सी0डी0ए0 कॉलोनी, पटना 9304064551 nkumarrsby@gmail.com	स्नातक 20.09.2018	
13	श्रीमती सोना देवी, परिचारी	कमरा नं0– 127A पुराना सचिवालय	रोड नं0–04, न्यू अल्कापुरी, सरिस्ताबाद, पटना 7488189193	नन मैट्रिक 12.01.1999	

प्रशाखा का उद्देश्य/दायित्व

उद्देश्य :– क्षेत्रीय कार्यालयों का अनुश्रवण।

दायित्व :–

1. पटना, मुंगेर, मगध, भागलपुर, पूर्णिया, सारण, तिरहुत, दरभंगा एवं कोशी प्रमण्डल के अंतर्गत जिलों में पदस्थापित समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों यथा लिपिक, आशुलिपिक, वाहन चालक एवं परिचारियों की स्थापना संबंधी कार्य।
2. जिला अतिथि गृह।
3. जिला कार्यालयों से प्राप्त पदों की स्वीकृति से संबंधित कार्य।
4. समाहरणालय कर्मियों का अंतर प्रमंडलीय/अंतर जिला स्थानांतरण।
5. विधायी मामलो से संबंधित कार्य।
6. बिहार भवन, नई दिल्ली के स्थापना संबंधित कार्य
7. लोक सूचना से संबंधित कार्य।
8. वाहन क्रय से संबंधित मामले।
9. जिला पदाधिकारियों द्वारा मांगे गए मार्गदर्शन पर समुचित कार्रवाई।
10. अन्य प्रशाखा को सौंपे जाने वाले प्रतिवेदन संबंधी कार्य।
11. पटना, मुंगेर, मगध, भागलपुर, पूर्णिया, सारण, तिरहुत, दरभंगा एवं कोशी प्रमण्डल के अंतर्गत जिलों में पदस्थापित समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों यथा लिपिक, आशुलिपिक, वाहन चालक एवं परिचारियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी कार्य।
12. संबंधित जिलों के न्यायिक मामलों से संबंधित पत्रों का निष्पादन।
13. संविदा से संबंधित मामलों का निष्पादन।
14. लोक अभ्यावेदन पर कार्रवाई।
15. जनशिकायत पत्रों पर कार्रवाई।
16. लोकायुक्त से संबंधित मामले।
17. प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे गए कार्य।

"सेवा के लिए सदैव तत्पर"

प्रशाखा का कार्य निष्पादन हेतु विहित प्रक्रिया एवं निर्धारित समय

क्र० सं०	विषय	निष्पादन हेतु विहित प्रक्रिया	निधारित समय	सक्षम प्राधिकार
1	स्थापना (जिला पदाधिकारियों से विभिन्न मामलों पर याचित मार्गदर्शन)	याचित मार्गदर्शन के आलोक में विषयानुसार विभागीय पत्र/परिपत्र/अधिसूचना/संकल्प के परिप्रेक्ष्य में परामर्श।	30 कार्यदिवस	विभागीय प्रधान
2	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	बिहार उपचार नियमावली एवं तद्नुरूप निर्गत विभागीय निदेशों के आलोक में।	30 कार्यदिवस	विभागीय प्रधान
3	न्यायिक मामले	विषयानुसार वरीय प्रभार/विभागीय प्रधान के अनुमोदन से आवश्यक निदेश एवं याचिका की प्रति संबंधित जिला को प्रेषण अथवा प्रतिशपथ–पत्र/कारण–पृच्छा दाखिल करना।	15 कार्यदिवस	वरीय प्रभार विभागीय प्रधान (विषयानुसार)
4	अंतर जिला स्थानांतरण	बिहार समाहरणालय लिपिक, आशुलिपिक, वाहन चालक तथा परिचारी के मामले, उनसे संबंधित नियमावली के संगत नियमों/अन्य अनुदेशों के आलोक में।	प्रत्येक वर्ष के मई–जून अथवा प्राप्त निदेशानुसार	विभागीय प्रधान
5	विधायी मामला	जिला पदाधिकारी से प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन के आधार पर तैयार उत्तर पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन।	विधान मंडल द्वारा निर्धारित समय–सीमा	विभागीय मंत्री
6	विविध मामले 1. सीधे प्राप्त आवेदन 2. जन शिकायत	वरीय प्रभार के अनुमोदन से संबंधित जिला पदाधिकारी को नियमानुकूल कार्रवाई हेतु प्रेषण।	1 पक्ष	वरीय प्रभार
7	जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदन	जिला पदाधिकारी से प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन के आधार पर तैयार उत्तर संबंधित विभागीय कोषांग को प्रेषण।	निर्धारित समय–सीमा	विभागीय प्रधान
8	सूचना का अधिकार	सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोक सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार/द्वितीय अपीलीय प्राधिकार–राज्य सूचना आयुक्त	30 दिन नियमावली आदि के तहत विहित समय	लोक सूचना पदाधिकारी

9	जिला कार्यालयों से प्राप्त पदों की स्वीकृति	विषयानुसार अपेक्षित कार्रवाई	30 कार्यदिवस	मंत्रिपरिषद्
10	बिहार भवन, नई दिल्ली	1. विभागीय परिपत्र के आलोक में विषयानुसार अपेक्षित कार्रवाई	30 कार्यदिवस	विभागीय प्रधान
		2. पदों की स्वीकृति	30 कार्यदिवस	मंत्रिपरिषद्
11	वाहन क्रय	वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–7730 दिनांक–15.10.2018 एवं विभागीय सुसंगत नियमों के आलोक में निष्पादन।	30 कार्यदिवस	विभागीय प्रधान
12	संविदा संबंधी मामले	संविदा नियोजन से संबंधित विभागीय पत्रांक–10000 दिनांक–10.07.2015 एवं अन्य पत्र/परिपत्र के आलोक में निष्पादन।	15 कार्यदिवस	विभागीय प्रधान
13	लोकायुक्त से संबंधित मामला	लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त पत्रों में अंकित निदेशानुसार	निर्धारित समय–सीमा	वरीय प्रभार विभागीय प्रधान (विषयानुसार)
14	अन्य प्रशाखा को सौंपे जाने वाले प्रतिवेदन	प्राप्त पत्रों/पीत–पत्रों में किए गए अनुरोध के अनुसार	निर्धारित समय–सीमा	वरीय प्रभार
15	जिला अतिथि गृह	1. विभागीय परिपत्र के आलोक में विभागीय प्रधान सचिव के अनुमोदन से आउटसोर्स से कराने की अनुमति	15 कार्यदिवस	विभागीय प्रधान
		2. पदों की स्वीकृति	30 कार्यदिवस	मंत्रिपरिषद्

अनुक्रमणिका

क्रम सं०	विषय
1.	मार्गदर्शन
2.	जिला अतिथि गृह
3.	विधान सभा प्रश्न
4.	विधान परिषद् प्रश्न
5.	न्यायिक मामले
6.	सूचना का अधिकार
7.	लोक अभ्यावेदन (Public Representation)
8.	क्षेत्रीय स्थापना
9.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति
10.	अनुकम्पा नियुक्ति
11.	जन शिकायत संबंधी पत्रों का निष्पादन
12.	लोकायुक्त संबंधी मामला
13.	वाहन क्रय/मरम्मति
14.	प्रतिवेदन

कर्त्तव्यों की संक्षिप्त विवरणी

क्र0	नाम/पदनाम	कर्त्तव्य
1.	अपर मुख्य सचिव	नीतिगत मामलों को अनुमोदित करना
2.	सचिव (वरीय प्रभार)	नीतिगत मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों को अनुमोदित करना
3.	विशेष कार्य पदाधिकारी (कनीय प्रभार)	मामलों की समीक्षा कर प्रस्ताव अनुमोदन हेतु उपस्थापित करना
4.	अवर सचिव	मामलों की समीक्षा कर प्रस्ताव अनुमोदन हेतु उपस्थापित करना
5.	प्रशाखा पदाधिकारी	मामलों की समीक्षा कर संचिका उपस्थापित करना
6.	श्रीमती पिंकी कुमारी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	प्राप्त पत्रों को संचिका में संधारित कर संबंधित नियमावली/नियम/अनुदेश के आलोक में संचिका उपस्थापित करना
7	श्री नन्हे प्रसाद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	प्राप्त पत्रों को संचिका में संधारित कर संबंधित नियमावली/नियम/अनुदेश के आलोक में संचिका उपस्थापित करना
8	श्री श्वेतांक रंजन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	प्राप्त पत्रों को संचिका में संधारित कर संबंधित नियमावली/नियम/अनुदेश के आलोक में संचिका उपस्थापित करना
9	श्रीमती सुमिता कुमारी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	प्राप्त पत्रों को संचिका में संधारित कर संबंधित नियमावली/नियम/अनुदेश के आलोक में संचिका उपस्थापित करना
10	श्रीमती अंजू कुमारी उच्चवर्गीय लिपिक	प्रशाखा में प्राप्त पत्रों/संचिकाओं को संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों के कर्मपुस्तिका में प्रविष्टि करना तथा संचिकाओं का संधारण/प्राप्त/निर्गत पत्र को संबंधित संचिका में लगाकर सारांकण करना एवं आवश्यकतानुसार नई संचिका खोलना।

11	श्रीमती पुनम कुमारी, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	डायरिस्ट के अवकाश अवधि में प्रशाखा में प्राप्त पत्रों को संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों के कर्मपुस्तिका में प्रविष्टि करना एवं टंकण
12	श्री निशांत कुमार डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	डायरिस्ट के अवकाश अवधि में प्रशाखा में प्राप्त पत्रों को संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों के कर्मपुस्तिका में प्रविष्टि करना एवं टंकण
13	श्रीमती सोना देवी परिचारी	संचिकाओं का आवागमन

प्रशाखा–10 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को आवंटित कार्य

क्र0	नाम एवं पदनाम	आवंटित कार्य
1.	श्रीमती पिंकी कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	1. मगध प्रमण्डल, भागलपुर प्रमण्डल एवं पूर्णिया प्रमण्डल के आयुक्त कार्यालय एवं इस प्रमण्डलाधीन जिलों/अनुमण्डल के स्थापना संबंधी कार्य। 2. समाहरणालय संवर्ग में लिपिकों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति संबंधी कार्य। 3. परिचारी संवर्ग के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति संबंधी कार्य। 4. समूह–घ संवर्ग की नियमावली से संबंधित कार्य। 5. संबंधित जिलों से प्राप्त पदों की स्वीकृति से संबंधित कार्य । 6. संबंधित जिलों के न्यायिक मामलों से संबंधित पत्रों का निष्पादन। 7. जिला से संबंधित लोक अभ्यावेदन पर कार्रवाई। 8. संविदा से संबंधित मामले। 9. जन शिकायत पत्रों पर कार्रवाई। 10. सरकारी भूमि का हस्तांतरण। 11. आवंटित जिले से संबंधित लोक–सूचना का कार्य। 12 संबंधित जिलों के कर्मियों के अन्तर प्रमण्डलीय/जिला स्थानान्तरण। 13. संबंधित जिलों के स्थापना अर्न्तगत वाहन क्रय की स्वीकृति। 14.संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा मांगे गये मार्गदर्शन पर समुचित कार्रवाई। 15. विधान मंडलीय कार्य। 16. राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों के अन्तर्गत नियमावली संबंधी अराजपत्रित कर्मियों से संबंधित मामले में मार्गदर्शन। 18. संबंधित प्रमण्डलों अन्तर्गत पद सृजन का कार्य। 19. अन्य प्रशाखा को सौंपे जाने वाले प्रतिवेदन संबंधी कार्य। 20. प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यो का निष्पादन।
2.	श्री नन्हे प्रसाद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	1. पटना प्रमण्डल एवं मुंगेर प्रमण्डल के आयुक्त कार्यालय एवं इस प्रमण्डलाधीन जिलों/अनुमण्डल के स्थापना संबंधी कार्य। 2. समाहरणालय संवर्ग के लिपिकों से संबंधित नियमावली का कार्य। 3. समाहरणालय संवर्ग में लिपिकों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति संबंधी कार्य। 4 परिचारी संवर्ग के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति संबंधी कार्य। 5. संबंधित प्रमण्डलों अन्तर्गत पद सृजन का कार्य। 6. बिहार भवन, नई दिल्ली के अधीन स्थापना से संबंधित कार्य। 7. राज्य सरकार अधीन सभी विभागों के अन्तर्गत नियमावली संबंधी अराजपत्रित कर्मियों से संबंधित मामले में मार्गदर्शन। 8. संबंधित प्रमण्डल के विधानमंडलीय कार्य। 9. संबंधित जिलों से प्राप्त पदों की स्वीकृति से संबंधित कार्य । 10. संबंधित जिलों के न्यायिक मामलों से संबंधित पत्रों का निष्पादन। 11. जिला से संबंधित लोक अभ्यावेदन पर कार्रवाई। 12 संविदा से संबंधित मामले। 13. जन शिकायत पत्रों पर कार्रवाई। 14. सरकारी भूमि का हस्तांतरण 15. आवंटित जिले से संबंधित लोक–सूचना का कार्य। 16.संबंधित जिलों के कर्मियों के अन्तर प्रमण्डलीय/जिला स्थानान्तरण। 17. संबंधित जिलों के स्थापना अर्न्तगत वाहन क्रय की स्वीकृति। 18. संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा मांगे गये मार्गदर्शन पर समुचित कार्रवाई। 19. अन्य प्रशाखा को सौंपे जाने वाले प्रतिवेदन संबंधी कार्य। 20. प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यो का निष्पादन।

प्रशाखा–20 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को आवंटित कार्य

क्र0	नाम एवं पदनाम	आवंटित कार्य
1.	श्री श्वेतांक रंजन, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	1. जिला पदाधिकारी से प्राप्त पत्रों पर मार्गदर्शन से संबंधित कार्य एवं अन्य पत्रों पर कार्रवाई। 2. जिला कार्यालय में पद सृजन का मामला। 3. समाहरणालय कर्मियों का अंतर प्रमंडलीय/अंतर जिला स्थानांतरण। 4. विधायी मामला। 5. न्यायिक मामलों से संबंधित पत्रों पर कार्रवाई। 6. अपने पटल से संबंधित लोक सूचना का कार्य। 7. समय–समय पर सौंपे गए अन्यान्य कार्य। वैसे कार्य जो अन्य को आवंटित नहीं हैं।
2.	श्रीमती सुमिता कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	1. जिला पदाधिकारी से प्राप्त चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति संबंधी मामले। 2. जिला अतिथि गृह से संबंधित मामले। 3. जिला से संबंधित लोक अभ्यावेदन (Public Representation) पर कार्रवाई। 4. संविदा से संबंधित मामले। 5. जनशिकायत पत्रों पर कार्रवाई। 6. अपने पटल से संबंधित लोक सूचना का कार्य। 7. वाहन क्रय से संबंधित मामले। 8. समय–समय पर सौंपे गए अन्यान्य कार्य। वैसे कार्य जो अन्य को आवंटित नहीं हैं।

क्रियाशील/अक्रियाशील संचिकाओं की संख्या

क्र0	नाम/पदनाम	क्रियाशील संचिकाओं की संख्या	अक्रियाशील संचिकाओं की संख्या
1.	श्रीमती पिंकी कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	194	1957
2.	श्री नन्हे प्रसाद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	185	2531
3.	श्री श्वेतांक रंजन, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	150	1496
4.	श्रीमती सुमिता कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	45	1553

कार्य पंचांग

1. प्रत्येक माह में प्रथम तथा तृतीय शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा बैठक।

2. प्रत्येक बृहस्पतिवार को अपर मुख्य सचिव के स्तर पर कर्मपुस्तिका की समीक्षा बैठक।

3. समाहरणालय संवर्ग के अराजपत्रित कर्मियों यथा लिपिक, आशुलिपिक, वाहन चालक एवं कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) का अंतरप्रमंडलीय/अंतरजिला स्थानांतरण –पदस्थापन की कार्रवाई माह, मई में प्रारंभ तथा माह जून में आदेश निर्गमन तथा समय–समय पर उच्च स्तर से प्राप्त निदेश के आलोक में स्थानांतरण की कार्रवाई।

4. सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन संवर्ग यथा बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग, बिहार समाहरणालय आशुलिपिक संवर्ग, बिहार वाहन चालक संवर्ग, बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के विनियमन पर नियुक्ति नियमावली का गठन तथा आवश्यकतानुसार संशोधन नियमावली/विनियमावली/आवश्यक अनुदेशों का निर्गमन।

5. मार्गदर्शन – जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्तों/विभिन्न विभागों से याचित मार्गदर्शन पर यथोचित कार्रवाई।

6. चिकित्सा प्रतिपूर्ति – जिला पदाधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव पर बिहार उपचार नियमावली के आलोक में यथोचित कार्रवाई।

7. जिला अतिथि गृह – जिला पदाधिकारी द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से रख–रखाव के कार्य कराने हेतु याचित अनुमति के आलोक में यथोचित कार्रवाई।

प्रशाखा की प्राथमिकताएँ

1. चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव की नियमानुकूल स्वीकृति।
2. अंतरजिला स्थानांतरण।
3. न्यायिक मामलों का निष्पादन।
4. जिला पदाधिकारियों द्वारा याचित मार्गदर्शन के आलोक में नियमानुकूल परामर्श का प्रेषण।
5. विधान मंडलीय कार्य।
6. जिला कार्यालयों से प्राप्त पदों की स्वीकृति।
7. वाहन क्रय/मरम्मति की स्वीकृति।
8. जिला अतिथि गृह से संबंधित कार्य।
9. लोकायुक्त से संबंधित कार्य।
10. सूचनावेदन के संदर्भ में सूचनाओं का प्रेषण।
11. सेवान्त लाभ।
12. जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के तहत प्राप्त अभ्यावेदन का निष्पादन।
13. जनशिकायत/लोक अभ्यावेदन।
14. उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्यान्य कार्य।

प्रशाखा–10 की उपलब्धि (01.01.2025 से 31.10.2025 तक)

क्र0	विषय	निर्गत सं0 एवं तिथि
1	अंतरजिला स्थानांतरण / पदस्थापन	आदेश संख्या–1656 दिनांक–28.01.2025 द्वारा 01 कर्मी, आदेश संख्या–3921 दिनांक–06.03.2025 द्वारा 02 कर्मी, आदेश संख्या –7474 दिनांक–28.04.2025 द्वारा 03 कर्मियों, आदेश संख्या–11184 दिनांक–19.06.2025 द्वारा 07 कर्मियों, आदेश संख्या–11725 दिनांक–27.06.2025 द्वारा 01 कर्मी, आदेश संख्या–13023 दिनांक–16.07.2025 द्वारा 01 कर्मी, आदेश संख्या–14000 दिनांक–30.07.2025 द्वारा 01 कर्मी, विभागीय आदेश संख्या–16557 दिनांक–03.09.2025 द्वारा 02 कर्मियों अर्थात् कुल–18 कर्मियों का अन्तरजिला स्थानांतरण किया गया है तथा विभागीय आदेश ज्ञापांक संख्या–17063 दिनांक–10.09.2025 द्वारा 01 कर्मी को राज्य खेल अकादमी, राजगीर में प्रतिनियुक्त किया गया है।
2	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	कुल 14 मामले में स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया है। स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक राशि (1) 549 / 10.01.2025 5,41,773 / – (2) 6917 / 09.04.2025 3,19,662 / – (3) 6563 / 11.04.2025 2,86,162 / – (4) 7003 / 21.04.2025 6,21,062 / – (5) 9587 / 29.05.2025 1,88,462 / – (6) 10590 / 10.06.2025 1,12,466 / – (7) 12241 / 04.07.2025 1,15,936 / – (8) 12286 / 07.07.2025 1,72,021 / – (9) 14262 / 05.08.2025 1,07,203 / – (10) 14463 / 05.08.2025 4,53,254 / – (11) 14464 / 05.08.2025 2,80,585 / – (12) 14684 / 07.08.2025 2,37,227 / – (13) 17110 / 10.09.2025 1,08,132 / – (14) 20310 / 30.10.2025 2,02,016 / – 03 मामलों में संबंधित जिला पदाधिकारी को घटनोत्तर स्वीकृति का आदेश संसूचित है।

3	वाहन क्रय	01 मामले में स्वीकृत्यादेश निर्गत। जिला पदाधिकारी, कैमूर को स्वीकृत्यादेश संख्या–11315 दिनांक–23.06.2025 द्वारा वाहन क्रय हेतु रू0 14,000,00/– का स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया है।
4	मार्गदर्शन	कुल 14 मामलों में आवश्यक परामर्श/अग्रतर कार्रवाई की गई है।
5	न्यायिक मामला	उक्त अवधि में न्यायिक मामलों से संबंधित कुल–353 पत्र/याचिका की प्रति प्रशाखा को प्राप्त हुआ है। तीन (06) मामलों में विभाग स्तर से प्रतिशपथ–पत्र दायर किया गया है। शेष अन्य मामलों में विभाग प्रोफॉर्मा पार्टी है। जिसे संबंधित जिला पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।
6	सूचना का अधिकार	सूचना के अधिकार के तहत कुल 18 मामलों में सूचनावेदकों द्वारा मांगी गई सूचना ससमय आवेदक को उपलब्ध करा दी गई है।
7	लोक अभ्यावेदन	लोक अभ्यावेदन संबंधी 404 मामले प्राप्त हुए, जिसे संबंधित को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है।
8	जन शिकायत	जन शिकायत संबंधी 41 मामले प्राप्त हुए हैं, जिसे सं. बंधित को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है।
9	अधियाचना	कुल 18 जिलों से बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग, बिहार समाहरणालय आशुलिपिकीय संवर्ग तथा समाहरणालय संवर्ग के वाहन चालक एवं कार्यालय परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट) की अधियाचना प्राप्त हुयी है, जिसे प्रशाखा–23 को भेजा गया। शेष अन्य जिलों को उक्त सभी संवर्ग की अधियाचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु अर्द्धसरकारी पत्र दिया गया है।
10	विधायी मामला	05 मामला प्राप्त हुआ है, जिसमें 04 मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की गयी है तथा 01 मामला को इस प्रशाखा से संबंधित नहीं रहने के कारण प्रशाखा–13 को वापस कर दिया गया है।
11	सेवा इतिहास	बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग, बिहार समाहरणालय आशुलिपिकीय संवर्ग तथा समाहरणालय संवर्ग के वाहन चालक एवं कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के सभी कर्मियों/पदाधिकारियों के सेवा इतिहास से संबंधित सूचना एवं वांछित सभी अभिलेख विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराया गया है।

12	प्रशाखा में प्राप्त पत्र	दिनांक–01.01.2025 से दिनांक–31.10.2025 तक कुल–1797 पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसका ससमय निष्पादन किया गया।

नोट :–श्रीमती पिंकी कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा प्रशाखा में योगदान समर्पित करने के उपरान्त दिनांक–18.03.2025 से दिनांक–24.10.2025 तक 583, एवं श्री नन्हे प्रसाद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा दिनांक–01.01.2025 से दिनांक–31.10.2025 तक कुल–1036 पत्रों का निष्पादन किया गया है।

प्रशाखा–20 की उपलब्धि (01.01.2025 से 31.10.2025 तक)

क्र0	विषय	निर्गत सं0 एवं तिथि
1.	अंतरजिला स्थानांतरण/पदस्थापन	आदेश संख्या–1656 दिनांक–28.01.2025 द्वारा 03 कर्मी, आदेश संख्या–7474 दिनांक–28.04.2025 द्वारा 01 कर्मी, आदेश संख्या–11184 दिनांक–19.06.2025 द्वारा 03 कर्मी, आदेश संख्या–11725 दिनांक–27.06.2025 द्वारा 01 कर्मी, आदेश संख्या–14000 दिनांक–30.07.2025 द्वारा 01 कर्मी तथा आदेश संख्या–16557 दिनांक–03.09.2025 द्वारा 01 कर्मी का अंतरजिला स्थानांतरण किया गया है। अर्थात् कुल 10 कर्मियों का अंतरजिला स्थानांतरण किया गया।
2.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	कुल 07 मामले में स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया है। स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक– राशि (1) 1580/27.01.2025 2,63,662/– (2) 4020/07.03.2025 1,73,062/– (3) 6008/03.04.2025 4,15,264/– (4) 8312/13.05.2025 1,23,773/– (5) 15400/19.08.2025 1,71,265/– (6) 19000/07.10.2025 2,07,077/– (7) 19298/10.10.2025 4,43,511/–
3.	मार्गदर्शन	10 मामले में आवश्यक परामर्श/अग्रतर कार्रवाई की गयी है।
4	न्यायिक मामला	कुल 172 मामले प्राप्त हुए, जिसमें विभाग प्रोफॉर्मा पार्टी है। अतएव सभी मामले संबंधित जिला पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया। कुल 02 मामले में विभाग स्तर से प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है।
5	लोक अभ्यावेदन	लोक अभ्यावेदन संबंधी 456 मामले प्राप्त। संबंधित जिला पदाधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6	अधियाचना	सभी समाहरणालय में आशुलिपिक, लिपिक, वाहन चालक एवं कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने के निमित्त सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है।

7	सूचना का अधिकार	सूचना के अधिकार के तहत 09 मामले में सूचनावेदकों द्वारा मांगी गयी सूचना ससमय आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी है।
8	FAQ/Check List	मार्गदर्शन/स्थानांतरण/चिकित्सा से संबंधित FAQ एवं स्थानांतरण/चिकित्सा से संबंधित Check List तैयार किया गया है।

नोट :– श्री श्वेतांक रंजन, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, द्वारा दिनांक–01.01.2025 से 31.10.2025 तक प्राप्त 617 पत्रों एवं श्रीमती सुमिता कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, द्वारा 670 पत्रों का निष्पादन किया गया है।

चेकलिस्ट / जाँच–पत्र

1. चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित जाँच–पत्र।
2. अंतरजिला स्थानांतरण हेतु विहित प्रपत्र।
3. लंबित / निष्पादित पत्रों से संबंधित प्रपत्र।
4. सहायक प्रशाखा पदाधिकारीवार लंबित / निष्पादित पत्रों से संबंधित प्रपत्र।
5. प्रत्येक बृहस्पतिवार को अपर मुंख्य सचिव की अध्यक्षता में कर्मपुस्तिका की समीक्षा किये जाने से संबंधित विहित प्रपत्र।

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा हेतु जाँच पत्र।

क्रमांक	जाँच पत्र	संधारित स्थिति (हाँ/नहीं)	अभ्युक्ति
1	2	3	5
1.	चिकित्सा राज्य से बाहर करायी गयी हो तो विभागीय संकल्प संख्या–1070(14), दिनांक–20.05.2006 की कंडिका–3(iv) में निहित प्रावधानानुसार पूर्वानुमति संबंधी आदेश की मूल प्रति संलग्न है।		
2.	राज्य से बाहर बिना पूर्वानुमति के चिकित्सा करायी गयी है तो नियंत्री पदाधिकारी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें की राज्य से बाहर बाध्यकारी परिस्थिति में चिकित्सा करायी गयी है या नहीं। यदि हाँ, तो घटनोत्तर स्वीकृति का स्पष्ट प्रस्ताव कारण साक्ष्य सहित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उल्लेख करते हुए संलग्न किया गया है।		
3.	विभागीय परिपत्र संख्या संख्या–997(14) दिनांक–28.08.2015 द्वारा लागू विहित चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण–पत्र की सभी प्रविष्टियाँ विधिवत् अंकित करते हुए निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर एवं मुहर (पदनाम सहित) अंकित है।		
4.	विपत्र मूल रूप में हो, जिस पर संबंधित चिकित्सारत् संस्थान के चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर (पदनाम सहित) अंकित है या नहीं।		
5.	चिकित्सा पूर्जा की मूल/अभिप्रमाणित प्रति संलग्न हो।		
6.	अंतर्वासी रोगी के मामले में डिस्चार्ज समरी मूल रूप में हो। जिस पर संबंधित चिकित्सा संस्थान के चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर (पदनाम सहित) अंकित है या नहीं।		
7.	अभिश्रवों के विवरणी की स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।		
8.	आश्रित होने की स्थिति में प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी स्तर से निर्गत शपथ–पत्र की मूल प्रति, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि आश्रित का अन्य श्रोतों से कोई आय का साधन नहीं है।		
9.	विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों/संकल्पों तथा प्रवृत्त नियमावली के आलोक में भी जाँच कर लिया गया है।		

सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर

सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक–20/क्षे0स्था0–08–(स्थानान्तरण)–60/2016–8593 दिनांक–31/5/2022

सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय संवर्ग (आशुलिपिक, लिपिक, वाहन चालक तथा परिचारी) के कर्मियों के अन्तर्जिला स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु विहित प्रपत्र :–

सेवा इतिहास

क्रमांक	बिन्दु	प्रविष्टियाँ
1	सरकारी सेवक का नाम	
2	पदनाम	
3	जन्म तिथि	
4	सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि तथा सेवा/पद का नाम	
5	वर्तमान संवर्ग/पद पर नियुक्ति/योगदान की तिथि	
6	रिक्ति की सूचना (पदस्थापन चाहने वाले जिलों से अपेक्षित)	
7	सरकारी सेवक की आरक्षण कोटि	
8	वेतनमान एवं वर्तमान मूल वेतन	
9	गृह जिला	
10	जिस जिला में पदस्थापन चाहते हैं, उसका नाम तथा कारण	
11	हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि	
12	लेखा परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि	
13	सेवा सम्पुष्टि की तिथि	
14	निगरानी स्वच्छता की स्थिति	
15	अनापत्ति के संबंध में जिला पदाधिकारी का मंतव्य	
16	अन्य किसी प्रकार की अभियुक्ति	

जिला पदाधिकारी का पूरा नाम/हस्ताक्षर
(तिथि मुहर सहित)

31.5.22

सामान्य प्रशासन विभाग में प्राप्त पत्रों की पाक्षिक समीक्षा हेतु सहायक प्रशाखा पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रपत्र :–

सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का नाम..... प्रशाखा–.....प्रतिवेदित पक्ष–..... से .....

क्र0	विषय	गत पक्ष तक लंबित पत्रों / संचिकाओं की सं0	प्रतिवेदित पक्ष में प्राप्त पत्रों / संचिकाओं की सं0	कुल प्राप्त पत्रों / संचिकाओं की सं0	निष्पादित पत्रों / संचिकाओं की सं0	लंबित पत्रों / संचिकाओं की सं0	लंबित रहने की अवधि				अभ्युक्ति
							एक सप्ताह	दो सप्ताह	तीन सप्ताह	तीन सप्ताह से अधिक	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.											
2.											
3											
4											
5											
6											
7											
कुल–											

24

सामान्य प्रशासन विभाग में प्राप्त पत्रों की पाक्षिक समीक्षा हेतु प्रतिवेदन प्रपत्र :–

प्रशाखा सं0–.................... प्रतिवेदित पक्ष–.................................... से ....

क्र0	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का नाम	गत पक्ष तक लंबित पत्रों / संचिकाओं की सं0	प्रतिवेदित पक्ष में प्राप्त पत्रों / संचिकाओं की सं0	कुल प्राप्त पत्रों / संचिकाओं की सं0	निष्पादित पत्रों / संचिकाओं की सं0	लंबित पत्रों / संचिकाओं की सं0	लंबित रहने की अवधि				क्रियाशील संचिका		अभि0
							एक सप्ताह	दो सप्ताह	तीन सप्ताह	तीन सप्ताह से अधिक	संचिकाओ की संख्या	अग्रतर कार्रवाई हेतु लंबित संचिकाओ की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
	कुल–												

प्रशाखा पदाधिकारी   अवर सचिव   विशेष कार्य पदाधिकारी

वरीय/कनीय प्रभारी पदाधिकारी के साथ प्रशाखा की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक हेतु प्रतिवेदन प्रपत्र :–

(क) प्राप्त पत्रों का निष्पादन प्रतिवेदन :–

प्रशाखा संख्या–..... दिनांक–..... से ..... तक

क्र०	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का नाम	विगत प्रतिवेदन में लंबित पत्रों/संचिकाओं की संख्या (विषयवार)	प्रतिवेदन सप्ताह में प्राप्त पत्रों/संचिकाओं की संख्या (विषयवार)	कुल प्राप्त पत्रों/संचिकाओं की संख्या (विषयवार)	निष्पादित पत्रों/संचिकाओं की संख्या (विषयवार)	लंबित पत्रों/संचिकाओं की संख्या (विषयवार)	लंबित रहने की अवधि				अभ्युक्ति
							एक सप्ताह	दो सप्ताह	तीन सप्ताह	तीन सप्ताह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
कुल–											

(ख) प्रशाखा निरीक्षण की तिथि :– निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :–

(ग) पटल निरीक्षण की तिथि :– निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :–

प्रशाखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर अवर सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर वरीय प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

क्षेत्रीय स्थापना से संबंधित नियमावली/नियम/अनुदेश/मार्गदर्शन इत्यादि।

1. बिहार क्षेत्रीय (समाहरणालय) आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2006 एवं यथा संशोधित नियमावली, 2015 तथा अन्य निर्गत संकल्प/अनुदेश।

2. बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2011 एवं यथा संशोधित नियमावली, 2013, 2017, 2022

3. बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2005 एवं यथा संशोधित नियमावली, 2007, 2014, 2019

4. बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2023

5. बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिये वेतन संरचना की स्वीकृति के संबंध में।

6. अंतरजिला स्थानांतरण के फलस्वरूप आवंटित समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों का वरीयता क्रम निर्धारण के संबंध में।

7. बिहार सरकारी सेवक बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24 एवं 28 के प्रावधानों के तहत अपीलीय प्राधिकार एवं अपीलीय प्राधिकार के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण हेतु पुनरीक्षण प्राधिकार विनिर्दिष्ट करने हेतु निर्गत पत्र।

8. स्थानांतरण/पदस्थापन की प्रक्रिया से संबंधित निर्गत पत्र।

9. जिला अतिथि गृह के संचालन तथा किराया का पुनरीक्षण हेतु निर्गत पत्र।

10. समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्णता के संबंध में।

11. समाहरणालय एवं अन्य मुफस्सिल कार्यालयों के लिपिकीय पदों के एकीकरण को पृथक करने के संबंध में।

12. स्वास्थ्य विभाग से निर्गत संकल्प/परिपत्र/पत्र के आलोक में चिकित्सा प्रतिपूर्ति का निष्पादन।

13. सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु विभागीय ज्ञापांक–18039 दिनांक–23.09.2025 द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में दिये गये निदेश।

बिहार क्षेत्रीय (समाहरणालय) आशुलिपिक संवर्ग नियमावली एवं समय–समय पर यथा संशोधित

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या- 4/क्षे0स्था0सेवा नीति-7/2003- 1007 स्व0 रा0 पटना-15,दिनांक 9-10-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय ने बिहार राज्य के समाहरणालय एवं इसके क्षेत्रीय स्थापना के आशुलिपिकों/ आशुटंककों की भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनयमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं:-

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(क) यह नियमावली बिहार क्षेत्रीय (समाहरणालय) आशुलिपिक सम्वर्ग नियमावली- 2006 कहलायेगी।

(ख) यह पूरे बिहार राज्य में लागू होगी।

(ग) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा:- इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) 'विभाग' से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(ख) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है समाहरणालय के विभिन्न कार्यालयों एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत आशुलिपिक/ आशुटंकक

(ग) नियुक्ति पदाधिकारी से अभिप्रेत है जिला समाहर्त्ता (जिला पदाधिकारी)

(घ) आयोग से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग।

3. संवर्ग की रचना:-

(क) जो कर्मी वर्त्तमान में समाहरणालय एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुटंकक/ आशुलिपिक के पद पर नियुक्त एवं कार्य कर रहे है, वा स्वतः इस संवर्ग में विलय हो जायेगा।

(ख) यह संवर्ग जिलास्तरीय होगा तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।

(ग) विभिन्न कोटि के आशुलिपिकों की संख्या का आकलन उनके स्वीकृत बल के आधार पर होगा।

(घ) आशुलिपिकों के स्वीकृत बल की संख्या राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर बढ़ाई या घटायी जा सकती है।

(ड़) आशुलिपिक संवर्ग के पद-सोपान निम्नरूपेण विहित किए जायेंगे:-

क्रमांक	ग्रेड	वेतनमान	स्तर
अ	ग्रेड- III	4000-100-6000	द्वितीय कोटि
ब	ग्रेड- II	5000-150-8000	प्रोन्नति का प्रथम स्तर
स	ग्रेड- I	5500-175-9000	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर

4. नियुक्ति की प्रक्रिया:-

(क) आशुलिपिक ग्रेड- III के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन के अलावे आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्युटर में दक्षता के आधार पर होगी।

(ख) न्यूनतम आयुसीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगा जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित होगा।

(ग) नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष कोटि-वार वास्तविक रिक्तियों के आधार पर आयोग को सूचना उपलबध कराते हुए अधियाचना भेजेंगे।

(घ) आयोग अभ्यर्थियों के द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक एवं व्यवहारिक दक्षता जाँच के आधार पर एक मेधा सूची तैयार करेगा तथा अपनी अनुशंसा नियुक्ति पदाधिकारी को भेजेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अर्हता प्राप्तांक का आकलन आयोग विभागों से विचार कर करेगा। आशुलेखन जाँच की अर्हता स्तर 80 शब्द प्रति मिनट एवं टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता 30 शब्द प्रति मिनट होगी। सफल होने के लिए आशुलेखन गति में 10 प्रतिशत एवं टंकण में 1.5 प्रतिशत से अधिक अशुद्धि मान्य नही होगा।

5. परीक्ष्यमान काल:-

नियुक्ति परीक्ष्यमान काल पर होगी, जो दो वर्षों के लिये होगी। अगर नियुक्त कर्मी की सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं होगा तो उनका परीक्ष्यमान काल अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगर नियुक्त कर्मी की सेवा एवं आचार विस्तारित अवधि में भी संतोषप्रद नहीं रहा तो वैसे कर्मी की सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. प्रशिक्षण:-

परीक्ष्यमान काल की अवधि में कर्मी को प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान या कोई अन्य संस्थान जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित है, के मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा।

7. विभागीय परीक्षा एवं सम्पुष्टि:-

(i) राजस्व पर्षद की केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष विभागीय परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(ii) विभागीय परीक्षा आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता की जाँच के लिये होगी, जिसमें आशुलेखन एवं टंकण/ कम्प्यूटर की गति क्रमशः 80 एवं 30 शब्द प्रति मिनट होगी। विभागीय परीक्षा में असफल होने पर प्रथम वेतन वृद्धि के बाद आगे की वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा पास होने तक रोक दी जायेगी।

(iii) नियुक्त कर्मी परीक्ष्यमान काल एवं प्रशिक्षण पूरा करने एवं विभागीय परीक्षा में सफल होने पर समवर्ग में सम्पुष्ट किए जायेंगे।

8. प्रोन्नति:-

(i) सम्वर्ग में सम्पुष्ट आशुलिपिकों की प्रोन्नति ग्रेड- III से ग्रेड- II एवं ग्रेड- II से ग्रेड- I में सम्पुष्टि एवं दक्षता-सह-वरीयता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर होगी।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियत कालावधि एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रोन्नति के समय विचारणीय होगा।

9. आरक्षण:-

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुशंसित आरक्षण नीति का नियुक्ति एवं प्रोन्नति में दृढ़ता से अनुपालन किया जायेगा।

10. पदस्थापन:-

(i) नियुक्त आशुलिपिकों का पदस्थापन संबंधित समाहरणालय एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में होगा।

(ii) संबंधित जिला समाहर्त्ता अपने जिला के क्षेत्रीयान कार्यालयों में स्थानान्तरण कर सकते है।

11. इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है, उनके लिए राज्य सरकार के प्रासंगिक संहिता/ नियमावली/ संकल्प/ अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

12. निरसन एवं व्यावृत्ति:-

इस नियमावली के प्रभवत में आने की तिथि से पूर्व के प्रासंगिक संकल्प/ परिपत्र आदि निरसित समझे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(के0सी0 राय)
आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक- 4/क्षे0स्था0सेवा नीति-7/2003- 1002 (4) पटना, दिनांक- 9-10-06

प्रतिलिपि- आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि दिनांक 20.05.2006 को प्राधिकृत समिति की बैठक में लिए गए निर्णय एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लम्बित अवमाननावाद संख्या- 3163/2005 (परमार्थ कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) को ध्यान में रखते हुए इस नियमावली के अलोक में अन्य विभागों के क्षेत्रीय आशुलिपिकों की (राज्यस्तरीय) नियमावली हेतु अपेक्षित मार्गदर्शन निर्गत करेंगे।

(के0सी0 साहा)
आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक- 4/क्षे0स्था0सेवा नीति-7/2003- 1002 (5) पटना, दिनांक- 9-10-06

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के0सी0 साहा)
आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक- 4/क्षे0स्था0सेवा नीति-7/2003- 1002 (6) पटना, दिनांक- 9-10-06

प्रतिलिपि- सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के0सी0 साहा)
आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक- 4/क्षे0स्था0सेवा नीति-7/2003- 1002 (7) पटना, दिनांक- 9-10-06

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 500 (पाँच सौ) प्रति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

(के0सी0 साहा)
आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

308

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

ज्ञापांक–10/न्याय–05–72/2010सा0प्र0........8489......./ पटना, दिनांक–11.6./2015

भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना–1002 दिनांक–09.10.2006 द्वारा गठित बिहार क्षेत्रीय (समाहरणालय) आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2006 का संशोधन और सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा उसको अंगीकरण के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**– यह नियमावली बिहार क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 1 में संशोधन–उक्त नियमावली, 2006 के नियम 1 के उप नियम (i) में प्रयुक्त शब्द "क्षेत्रीय (समाहरणालय) आशुलिपिक" शब्द "क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय, आशुलिपिक/आशुटंकक" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 2 (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"2 (क). 'विभाग' से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग।"

(4) उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3 के शीर्षक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"3. संवर्ग का गठन एवं स्तर" ।–

(5) उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3 (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"(ख). यह संवर्ग जिला स्तरीय संवर्ग होगा तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।"

(6) उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3 (ड़) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"(ड़). आशुलिपिक/टंकक संवर्ग की विभिन्न कोटियों का नाम एवं पद सोपान निम्नरूपेण विहित किए जायेंगे:–

क्र0	कोटि	स्तर
1	आशुलिपिक, ग्रेड III/आशुटंकक III	मूल कोटि
2	आशुलिपिक, ग्रेड II/आशुटंकक II	प्रोन्नति का प्रथम स्तर
3	वरीय आशुलिपिक, ग्रेड I/आशुटंकक I	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर
4	प्रधान आशुलिपिक/ प्रधान आशुटंकक	प्रोन्नति का तृतीय स्तर

उक्त पदों का वेतनमान् वही होगा जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

नोटः– पदों की जिलावार अनुमान्यता के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

7. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 (क), (ख) एवं (ग) क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेगेः–

"(क). आशुलिपिक/आशुटंकक के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति होगी जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडियट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण साथ–साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्षता प्राप्त रहना अनिवार्य होगा।

(ख). नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(ग). नियुक्ति पदाधिकारी प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल के आधार पर वास्तविक रिक्तियों की गणना कर 30 अप्रैल तक आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजेंगे।

8. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–7 (ii) एवं (iii) क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेगेः–

"(ii). विभागीय परीक्षा आशुलेखन एवं टंकण दक्षता की जाँच के लिए होगी। इसके अतिरिक्त 'कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा में असफल होने अथवा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में सफल नहीं होने पर प्रथम वेतन वृद्धि के बाद आगे की वेतनवृद्धियाँ उक्त परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त होने तक रूकी रहेंगी।

"(iii). नियुक्त कर्मी परीक्ष्यमान काल की समाप्ति के उपरांत प्रशिक्षण पूरा करने एवं विभागीय परीक्षा तथा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण रहने पर संवर्ग में संपुष्ट किया जायेंगे।"

9. उक्त नियमावली, 2006 का नियम 8 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

"8. प्रोन्नति।–संवर्ग में संपुष्ट आशुलिपिकों की प्रोन्नति संवर्ग में वरीयता के आधार पर एवं समाहरणालय स्तर पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर होगी।

(ii) एक कोटि से दूसरे कोटि में प्रोन्नति के लिए सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि पूरी होना तथा वार्षिक गोपनीय अभियुक्तियाँ अनुकूल होना आवश्यक होगा।

10. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 में उप नियम (ii) के बाद निम्नलिखित एक नया उप नियम (iii) जोड़ी जायगी।

"(iii) जिला स्तरीय संवर्ग होने के बावजूद अपरिहार्य स्थिति में किसी समाहरणालय में आशुलिपिक की कमी के कारण संवर्ग के किसी कर्मी को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित करने की शक्ति विभाग की होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–10/न्याय–05–72/2010सा0प्र0 8489 / पटना, दिनांक–11.6./2015

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/संयुक्त सचिव, प्रभारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–10/न्याय–05–72/2010सा0प्र0 8489 / पटना, दिनांक–11.6.2015

प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/महानिदेशक, बिपार्ड, पटना/महाधिवक्ता का कार्यालय, पटना/राज्य अभिलेखाकार, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/लोकायुक्त कार्यालय, पटना/प्रभारी, आई0 डब्लू0 डी0 एम0एस0, टी0सी0एस0 कोषांग, वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

32

सरकार के अपर सचिव।

पत्रांक- 3ए-9-विविध-34/2016-..7549../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक : 22/09/2016

विषय:- क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय, आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के प्रोन्नति के तृतीय पदसोपान प्रधान आशुलिपिक/प्रधान आशुटंकक का वेतनमान निर्धारित करने के संबंध में।

राज्य सरकार के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों एवं समाहरणालय के आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदसोपान के लिए उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3011, दिनांक-20/03/2012 द्वारा दिनांक-01/01/2006 के प्रभाव से निम्नरूपेण वेतनमान स्वीकृत किया गया है-

	आशुलिपिक, ग्रेड III/आशुटंकक III (मूल कोटि)	पी०बी०-1+ ग्रेड-पे 2400/-
	आशुलिपिक, ग्रेड II/आशुटंकक II (प्रोन्नति का प्रथम पदसोपान)	पी०बी०-2+ ग्रेड-पे 4200/-
	आशुलिपिक, ग्रेड I/आशुटंकक I (प्रोन्नति का द्वितीय पदसोपान)	पी०बी०-2+ ग्रेड-पे 4600/-

2. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-8489, दिनांक-11/06/2015 के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय, आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2015 प्रवृत्त किया गया है जिसमें पूर्व के दो प्रोन्नति सोपान के अतिरिक्त तृतीय पंदसोपान निम्नवत् विहित किया गया है-

	आशुलिपिक, ग्रेड III/आशुटंकक III	(मूल कोटि)
	आशुलिपिक, ग्रेड II/आशुटंकक II	(प्रोन्नति का प्रथम पदसोपान)
	वरीय आशुलिपिक, ग्रेड I/आशुटंकक I	(प्रोन्नति का द्वितीय पदसोपान)
	प्रधान आशुलिपिक/प्रधान आशुटंकक	(प्रोन्नति का तृतीय पदसोपान)

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3011, दिनांक-20/03/2012 के द्वारा दो प्रोन्नति के पद स्तर का ही वेतनमान स्वीकृत किया गया था। नई संरचना आने पर इस संवर्ग में प्रोन्नति के तृतीय पद प्रधान आशुलिपिक/प्रधान अशुटंकक का वेतनमान स्वीकृत नही हो सका है।

नियमावली में तृतीय प्रोन्नति के पद उपलब्ध हो जाने के बाद इस पद के वेतनमान की स्वीकृति आवश्यक हो गई है।

4. सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि- क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के प्रोन्नति के तृतीय पद प्रधान आशुलिपिक/प्रधान आशुटंकक का वेतनमान, नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि दिनांक-11/06/2015 के प्रभाव से, पी०बी०-2 + ग्रेड-पे 4800/- की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग

ज्ञापांक- 3ए-9-विविध-34/2016 - 7549/वि०

पटना, दिनांक-22/09/2016

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक- 3ए-9-विविध-34/2016 - 7549/वि०

पटना, दिनांक-22/09/2016

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक- 3ए-9-विविध-34/2016 - 7549/वि०

पटना, दिनांक-22/09/2016

प्रतिलिपि- सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग /अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा / सिस्टम एनालिस्ट / प्रभारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

34

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

पत्रांक–10 / न्याय–05–(शेखपुरा)–15 / 2015सा0प्र0 6293 /

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

बिहार सरकार,
सामान्य प्रशासन विभाग।

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15 दिनांक– 25 / 2017

विषयः– बिहार क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग के विभिन्न पदों की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3011 दिनांक–20.03.2012 तथा संकल्प संख्या–7549 दिनांक–22.09.2016 के द्वारा आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग में निम्नांकित स्तर के पदों एवं वेतनमान की स्वीकृति दी गयी है :–

क्र0	कोटि	स्तर	वेतनमान
	आशुलिपिक ग्रेड III आशुटंकक III	मूल कोटि	पी0बी0–1+ग्रेड पे 2400 (वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3011 दिनांक– 20.03.2012 के क्रम में.)
	आशुलिपिक, ग्रेड II आशुटंकक II	प्रोन्नति का प्रथम स्तर	पी0बी0–2+ग्रेड पे 4200 (वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3011 दिनांक– 20.03.2012 के क्रम में)
	वरीय आशुलिपिक, ग्रेड I आशुटंकक I	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर	पी0बी0–2+ग्रेड पे 4600 (वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3011 दिनांक– 20.03.2012 के क्रम में)
	प्रधान आशुलिपिक प्रधान आशुटंकक	प्रोन्नति का तृतीय स्तर	पी0बी0–2+ग्रेड पे 4800 (वित्त विभागीय संकल्प संख्या–7549 दिनांक– 22.09.2016 के क्रम में)

उक्त क्रम में प्रत्येक जिला में स्वीकृत पदों के अन्तर्गत इस संवर्ग के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों का निर्धारण 40 : 30 : 20 : 10 के अनुपात में रहेगा। यह प्रावधान प्रत्येक जिला में बिहार क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2015 के अधिसूचित होने की तिथि 11.06.2015 के प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र राम) 28/4/17
सरकार के अपर सचिव।

बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली एवं समय–समय पर यथा संशोधित

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक–23 मार्च, 2011

संख्या –3/एम॰ –098/2010–सा॰ 821/ भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल समाहरणालयों के लिपिकीय संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2011

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** ।– (i) यह नियमावली बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।
(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(iii) यह तुरत प्रवृत होगी।
2. **परिभाषाएँ**।– इस नियमावली में, जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो:–
(i) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है समाहरणालयों के लिपिकीय संवर्ग;
(ii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
(iii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है संबंधित जिला का समाहर्ता;
(iv) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि; तथा
(v) 'सदस्य' से अभिप्रेत है संवर्गों में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से संवर्गों में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल है; तथा
(vi) "अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति" से अभिप्रेत है सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।
3. **संवर्ग की संरचना**।– लिपिकीय संवर्ग की संवर्ग संरचना निम्नानुसार होगी–

क्रमांक	कोटि का नाम	स्तर	वेतन बैंड का नाम	वेतन बैंड	ग्रेड–वेतन
(क)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि	पीबी–1	5200–20200	1900
(ख)	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	पीबी–1	5200–20200	2400
(ग)	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	पीबी–1	5200–20200	2800
(घ)	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति स्तर	पीबी–2	9300–34800	4600

टिप्पणी :– निम्नवर्गीय लिपिक एवं उच्चवर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक तथा कार्यालय अधीक्षक का वर्तमान पदसोपान अगले आदेश तक जारी रहेगा।
4. **संवर्ग बल**।– संवर्ग बल ऐसा होगा जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।
5. **भर्ती**।– (1) निम्नवर्गीय लिपिक का 85% पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा और 15% पद मैट्रिकुलेशन योग्यताधारी सुपात्र समूह 'घ' कर्मचारियों में से भरा जायेगा। सीधी भर्ती के 85% पदों में से 10% अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगा।
(2) सभी भर्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जायेंगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रिल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रिल तक आयोग को अधियाचना भेज देगा।

(4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को मेधाक्रम में अभ्यार्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(5) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए करेगा।

6. **अर्हता**।– (i) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष होगी।

(ii) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय –समय पर निर्धारित की जाय।

7. **आरक्षण**।– भर्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. **प्रोन्नति द्वारा भर्ती**।– (i) नियुक्ति प्राधिकार मैट्रिक उत्तीर्ण समूह 'घ' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।

(ii) प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

9. **परिवीक्षा**।– प्रत्येक भर्ती परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधिविस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवमुक्त कर दिया जायेगा।

10. **विभागीय परीक्षा**।– (i) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी।

(ii) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

<u>पत्र – 1</u>

<u>सेवा नियमावली</u> – बिहार सेवा संहिता, पेंसन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति के विधि, टिप्पणी एवं प्रारूपण।

पत्र – 2

<u>वित्तीय नियमावली</u> – कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस ऐंड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली, बीमा नियमावली।

11. **सम्पुष्टि**।– कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा।

12. **वरीयता**।– संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी;

परन्तु यह कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं;

परन्तु यह भी कि किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

13. **प्रोन्नति** ।– (1) मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि के पूरा होने पर और विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नानुसार गठित होगी–

(क) उप विकास आयुक्त	–	अध्यक्ष
(ख) अपर समाहर्ता	–	सदस्य
(ग) अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक पदाधिकारी	–	सदस्य
(घ) स्थापना वरीय उपसमाहर्ता	–	सदस्य सचिव

14. **संवर्ग का स्तर** ।– यह संवर्ग जिला स्तरीय होगा। परन्तु, अचानक जरूरत होने पर या किसी समाहरणालय में लिपिक के अभाव जैसी अत्यावश्यकता होने पर संवर्ग के किसी कर्मचारी को दूसरे जिला में, सेवा में उसके प्रवेश के आधार पर उसकी वरीयता को अक्षुण्ण रखते हुए, स्थानान्तरित करने की शक्ति सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) को होगी।

15. **अवशिष्ट मामले** ।– ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हैं, संवर्गों के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

16. **कठिनाई का निराकरण** ।– सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) समय–समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

17. **शिथिल करने की शक्ति** ।– जहाँ सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ आदेश द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी व्यक्ति या किसी कोटि के संबंध में इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को शिथिल कर सकेगी।

18. **निर्वचन** ।– जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

19. **निरसन एवं व्यावृत्ति**।– (i) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश निरसित किये जाते हैं।

(ii) ऐसा निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश में प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –3/एम॰ –098/2010 821 / पटना–15, दिनांक 23 मार्च, 2011

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –3/एम॰ –098/2010 821 / पटना–15, दिनांक 23 मार्च, 2011

प्रतिलिपि – सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उप सचिव, (क्षेत्रीय स्थापना प्रभाग), सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक 2.9.13

संख्या –3/एम०–098/2010सा०प्र०14227/ भारत संविधान के अनुच्छेद– 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2011" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।**

(1) यह नियमावली **"बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2013"** कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. उक्त नियमावली, 2011 का नियम– 3(ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा–

(ग)	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	पीबी–2	9300–34800	4200

3. उक्त नियमावली, 2011 का नियम–6 (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा

"(i) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट(10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी।"

4. उक्त नियमावली, 2011 के नियम–13(2) के क्रमांक (क) में शब्द "उप विकास आयुक्त" शब्द "जिला पदाधिकारी" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5/9/13

(बशिष्ठ सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या –3/एम–098/2010 सा०14227/ पटना, दिनांक 2.9.2013

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

5/9/13

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या –3/एम–098/2010 सा०14227/ पटना, दिनांक 2.9.2013

प्रतिलिपि :– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9/13

सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या–10 / क्षे0स्था0–08 (लि0स0नि0)–08 / 2017(खण्ड)–सा0प्र0–1603/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल **"बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2011"** का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–
   (i) यह नियमावली *"बिहार समहारणालय लिपिकीय संवर्ग* (भर्ती एवं सेवा शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2017" कही जा सकेगी।
   (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (iii) यह सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–14227 दिनांक 02.09.2013 के प्रवृत्त होने की तिथि, दिनांक 02.09.2013 से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार समाहरणालय लिपिकीय *संवर्ग* (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2011 के नियम –8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

   "8. प्रोन्नति द्वारा भर्ती।–(i) नियुक्ति प्राधिकार इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण समूह 'घ' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।
   (ii) समूह–'घ' से 'ग' में प्रोन्नति, वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी, परन्तु इस प्रकार से प्रोन्नत निम्नवर्गीय लिपिकों को प्रथम वेतन वृद्धि के उपरांत अगली वेतन वृद्धि तब तक देय नहीं होगी, जब तक की उनके द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लिया जाय। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही निम्नर्गीय लिपिक के पद पर उनकी सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र राम) 18/12/17
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–10 / क्षे0स्था0–08(लि0स0नि0)–08 / 2017(खण्ड)सा0प्र0–1603/ पटना–15,दि0 18-12-17

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(राजेन्द्र राम) 18/12/17
सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक............./2022

संख्या–10/क्षे0स्था0–08–(लि0सं0नि0)–35/2017,सा0प्र0................................../भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** – (1) यह नियमावली "**बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2022**" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक–15.07.2021 (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–7095 दिनांक–15.07.2021 के निर्गमन की तिथि) से प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 के नियम–5 के उपनियम (1) का प्रतिस्थापन।** – उक्त नियमावली के नियम–5 के उपनियम–(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है –

"निम्नवर्गीय लिपिक के 85% पद सीधी भर्त्ती से भरे जायेंगे और 15% पद समूह 'घ' के वैसे कर्मी जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अहर्ता रखते हो से, बिना किसी परीक्षा के, वरीयता क्रम में, भरे जायेंगे।

ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो, के आश्रितों की, सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध अपेक्षित मापदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकेगा, जिसके लिये आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

परन्तु सेवाकल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरान्त, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को उस कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जाएगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(मो0 सोहैल)
सरकार के विशेष सचिव।

संख्या–10/क्षे0स्था0–08–(लि0सं0नि0)–35/2017,सा0प्र0................../ पटना–15,दिनांक–............/2022

प्रतिलिपि:–वित्त विभाग, गजट कोषांग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु सी0डी0 के साथ प्रेषित।

ह0/–
(मो0 सोहैल)
सरकार के विशेष सचिव।

संख्या–10/क्षे0स्था0–08–(लि0सं0नि0)–35/2017,सा0प्र0 19231/पटना–15,दिनांक–26.10./2022

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो0 सोहैल)
सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक...../2022

संख्या–10/क्षे0स्था0–08–(लि0सं0नि0)–35/2017,सा0प्र0...../भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

2. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** – (1) यह नियमावली **"बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2022"** कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

3. **बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 के नियम–3 के बाद अन्तर्वेशन**–उक्त नियमावली के नियम–3 के बाद 3 (i) के रूप में निम्नवत् अन्तर्विष्ट किया जाता है :–

"

क्रं0	कोटि का नाम	स्तर	प्रतिशत
1	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि	60%
2	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रोन्नति का प्रथम स्तर	25%
3	प्रधान लिपिक	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर	10%
4	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	प्रोन्नति का तृतीय स्तर	05%

उपर्युक्त पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्य होगा। "

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव।

संख्या–10/क्षे0स्था0–08–(लि0सं0नि0)–35/2017,सा0प्र0...../पटना–15,दिनांक–...../2022

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, गजट कोषांग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु सी0डी0 के साथ प्रेषित।

ह0/–
(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव।

संख्या–10/क्षे0स्था0–08–(लि0सं0नि0)–35/2017,सा0प्र0...../पटना–15,दिनांक–...../2022

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव।

संख्या–10/क्षे0स्था0–08–(लि0सं0नि0)–35/2017,सा0प्र0 23501 /पटना–15,दिनांक–30/12/2022

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

23.12.2022

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव।

e/drive/poonam/s.sir

बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली एवं समय–समय पर यथा संशोधित

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 पौष 1927 (श०)

(सं० पटना 20) पटना, सोमवार, 9 जनवरी 2006

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

30 नवम्बर 2005

सं० क्या 3।आर 1-46।2000—2492—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, वाहन चालक के पदों पर भर्ती और प्रोन्नति का आधार एवं प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :—

बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2005

अध्याय 1 : प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :—(1) यह नियमावली बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2005 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार राज्य सरकार के सचिवालय विभागों, सलग्न कार्यालयों एवं विभिन्न स्तर के मुफस्सिल कार्यालयों तक रहेगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं।—इस नियमावली में, जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो—

(क) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ;

(ख) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ;

(ग) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है नियम 7 के अन्तर्गत प्राधिकृत प्राधिकार ;

(घ) 'कोटि' से अभिप्रेत हैं नियम 3 के अन्तर्गत निर्धारित कोटि ;

(ङ) 'मेधा सूची' से अभिप्रेत हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची।

अध्याय 2 : पद।कोटि

3. वाहन चालक के पद।कोटि।—(1) विभिन्न वेतनमानों में वाहन चालक के पदों का नामकरण निम्नानुसार होगा :—

(i) 3050—4590 रु० .. वाहन चालक (साधारणकोटि)
(ii) 4000—6000 रु० .. वाहन चालक (कोटि-II)
(iii) 4500—7000 रु० .. वाहन चालक (कोटि-I)

(2) विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या निम्नांकित अनुपात में रखी जायेगी :—

(i) साधारण कोटि (3050—4590 रु०) .. 55 प्रतिशत
(ii) कोटि-II (4000—6000 रु०) .. 25 प्रतिशत
(iii) कोटि-I (4500—7000 रु०) .. 20 प्रतिशत

(3) उपर्युक्त रूप में अनुपात निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ वाहन चालकों के पदों की कम संख्या को ध्यान में रखते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभागों।संलग्न कार्यालयों को आवश्यकतानुसार समूहों में बांटकर प्रत्येक समूह के लिए एक नोडल विभाग घोषित किया जायगा। इसी प्रकार प्रत्येक प्रमंडल के मुफस्सिल कार्यालय के लिये नोडल पदाधिकारी संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त रहेंगे।

(4) विभागों।संलग्न कार्यालयों के वाहन चालकों की प्रोन्नति उप-नियम (3) में अंकित प्रत्येक विभाग के समूह के लिये निर्धारित वरीयतानुसार नोडल विभाग द्वारा ही विचारित होगी। मुफस्सिल वाहन चालकों की प्रोन्नति प्रत्येक प्रमंडलवार निर्धारित वरीयतानुसार नोडल पदाधिकारी द्वारा विचारित होगी।

(5) भर्ती।प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

(6) वाहन चालक के पद समूह "ग" के पद माने जायेंगे।

अध्याय 3: भर्ती

4. भर्ती।—(1) साधारण कोटि (3050—4590) के पदों को सीधी भर्ती द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर भरा जायेगा।

(2) (i) उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम उत्तीर्ण होगी।
(ii) वाहन चालन का उन्हें वैध लाइसेन्स प्राप्त रहना आवश्यक होगा।
(iii) यातायात विनियमन की उन्हें अच्छी जानकारी रहना आवश्यक होगा।
(iv) वाहन की उन्हें सामान्य जानकारी का रहना आवश्यक होगा।
(v) उनका स्वस्थ रहना आवश्यक होगा।

(3) उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

(4) अर्हता के परीक्षण के लिये उम्मीदवारों को उप-नियम (2) पर आधारित वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी की जांच में सम्मिलित होना पड़ेगा जिसके लिये कुल प्राप्तांक 100 होगा। जांच परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी और उसी सूची के आधार पर आयोग संबंधित विभाग। कार्यालय को अनुशंसा कर सकेगा। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिये कोई अधिमानता नहीं दी जायगी।

(5) दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत वाहन चालकों को उप-नियम (2) में निर्धारित अर्हताओं के पूरा करने पर और उनके द्वारा आवेदन करने एवं जांच में सम्मिलित होने पर राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण के लिये निर्धारित प्रक्रियानुसार अधिमानता दी जायेगी।

5. आरक्षण।—रिक्तियों का आकलन प्रत्येक वर्ष करने के पश्चात ही वास्तविक एवं संभावित रिक्तियों के अनुसार रोस्टर पंजी क्लीयर कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को संबंधित नोडल विभाग।नोडल पदाधिकारी द्वारा भेजी जायगी।

6. मेधा सूची की वैधता।—आयोग द्वारा अनुशंसित मेधासूची की वैधता एक वर्ष तक ही रहेगी। आयोग द्वारा उतने ही उम्मीदवारों की अनुशंसा की जायेगी जितने के लिये अधियाचना प्राप्त हुई हो। प्रतीक्षा पैनेल नहीं रहेगा। मेधासूची की वैधता वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जायेगी।

7. नियुक्ति प्राधिकार।—अभियंत्रण।कार्य विभागों के लिये संबंधित अभियन्ता-प्रमुख नियुक्ति प्राधिकार होंगे। उनकी यह शक्ति किसी भी हालत में प्रत्यायोजित नहीं की जायेगी। अन्य विभागों में विभागीय आयुक्त एवं सचिव।सचिव के अनुमोदन से उप-सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी। मुफस्सिल कार्यालयों के संदर्भ में नियुक्ति प्राधिकार वही पदाधिकारी रहेंगे जो पूर्व से नियुक्ति प्राधिकार घोषित हैं।

8. परीक्ष्यमान अवधि।संपुष्टि।—(1) नियुक्ति के बाद दो वर्षों तक परीक्ष्यमान अवधि रहेगी। परीक्ष्यमान अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने तथा संपुष्टि के लिये निर्धारित जांच में उत्तीर्ण होने पर सेवा में संपुष्ट किया जा सकेगा।

(2) जांच की व्यवस्था नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायगी। नियुक्ति के समय के लिये जो अर्हताएं निर्धारित हैं उन्हीं बिन्दुओं पर सक्षमता की जांच हीं होगी।

अध्याय 4: प्रोन्नति

9. प्रोन्नति।—(1) साधारण कोटि (3050—4590) से उच्चतर कोटियों में निम्नांकित रूप में प्रोन्नतियां की जा सकेंगी:—

(क) साधारण कोटि (3050—4590) से कोटि II (4000—6900) में।

(ख) कोटि-II (4000—6000) से कोटि I (4500—7000) में।

(2) कालावधि।—प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के संकल्प सं० 280 दिनांक 5 जुलाई, 2002 द्वारा निर्धारित तथा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित कालावधि के प्रावधान लागू होंगे।

(3) विभागीय प्रोन्नति समिति—सचिवालय स्तर पर विभाग समूहवार तथा मुफस्सिल स्तर पर प्रमंडलवार विभागीय प्रोन्नति समिति गठित होगी। संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगी।

(4) सचिवालय स्तर पर विभाग—समूहवार विभागीय प्रोन्नति समिति का अध्यक्ष विभागीय समूह के नोडल विभाग के विशेष सचिव अथवा वेतनमान रु० 14300—18300 से अन्यून वेतनमान वाला पदाधिकारी होगा। समिति में दो अन्य सदस्य होंगे जिनमें से एक संबंधित विभागीय समूह के प्रतिनिधि तथा दूसरा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति।जनजाति का प्रतिनिधि होगा।

(5) मुफस्सिल स्तर पर प्रमंडलवार विभागीय प्रोन्नति समिति का अध्यक्ष उस जिला का जिला पदाधिकारी होगा जिस जिला में प्रमंडलीय कार्यालय अवस्थित है। समिति के दो अन्य सदस्य होंगे जिनमें से एक प्रमंडलीय आयुक्त का प्रतिनिधि और दूसरा अनुसूचित जाति।जनजाति का प्रतिनिधि होगा।

(6) एक कोटि से दूसरी कोटि में प्रोन्नति पर विचार के लिए वाहन चालन की व्यावसायिक जांच (प्रायोगिक जांच सहित) की व्यवस्था की जायगी। प्रोन्नति हेतु अर्हता के लिये ऐसी जांच में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष ऐसी जांच का परिणाम रखा जायेगा।

अध्याय 5: प्रकीर्ण

10. अनुशासनिक कार्रवाई।—इस संवर्ग में अनुशासनिक कार्रवाई के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के समूह "ब" (ग्रुप 'सी') कर्मियों के लिए तत्समय लागू नियम।अनुदेश प्रभावी होंगे।

11. विविध।—(1) जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत्त नियम।अनुदेश लागू होंगे।

(2) इस नियमावली के किसी भी नियम की व्याख्या करने के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सक्षम विभाग होगा।

(3) यदि इस नियमावली के किसी भी नियम को लागू करने में कठिनाई हो तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई का निराकरण बिहार राजपत्र में अधिसूचित करते हुए कर सकेगी।

12. निरसन।—वाहन चालकों की नियुक्ति।प्रोन्नति संबंधी निर्गत सभी परिपत्र।अनुदेश निरसित समझे जायेंगे।

[3।आर 1-46।2000]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रविकान्त,
सरकार के सचिव।

30 नवम्बर 2005

संख्या 3।आर 1-46।2000—2493—अधिसूचना संख्या 2492, दिनांक 30 नवम्बर 2005 के तहत निर्गत बिहार सचिवालय।संलग्न कार्यालय वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2005 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[3।आर 1-46।2000]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रविकान्त,
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

।। अधिसूचना ।।

सं0–3/आर1–46/2000–का0– **1468** /भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2005 में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं:– पटना–15, दिनांक– 25.4.07

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :– (1) यह नियमावली बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2007 कही जा सकेगी ।
(2) इसका विस्तार राज्य सरकार के सचिवालय विभागों, संलग्न कार्यालयों एवं विभिन्न स्तर के मुफस्सिल कार्यालयों तक रहेगा ।
(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2005 के नियम–3 में संशोधन :– उक्त नियमावली के नियम–3 में उप नियम (1) एवं उप–नियम (2) को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जायेगा–

"(1) विभिन्न वेतनमानों में वाहन चालक के पदों का नामकरण निम्नानुसार होगा, जो दिनांक 8.11.96 के प्रभाव से लागू माना जायेगा–

(i) रू0 3050–4590/– वाहन चालक (साधारण कोटि)
(ii) रू0 4000–6000/– वाहन चालक (कोटि II)
(iii) रू0 4500–7000/– वाहन चालक (कोटि I)
(iv) रू0 5000–8000/– वाहन चालक (विशेष कोटि)

(2) विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या निम्नांकित अनुपात में रखी जायेंगी–

(i) साधारण कोटि –(रू0 3050–4590/–) – 30 प्रतिशत
(ii) कोटि II – (रू0 4000–6000/–) – 30 प्रतिशत
(iii) कोटि I – (रू0 4500–7000/–) – 35 प्रतिशत
(iv) विशेष कोटि – (रू0 5000–8000/–) –05 प्रतिशत "

3. बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2005 के नियम–9 में संशोधन :– उक्त नियमावली के नियम–9 के उप नियम (1) को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जायेगा –

" (1) साधारण कोटि (3050–4590) से उच्चतर कोटियों में निम्नांकित रूप में प्रोन्नतियाँ दी जा सकेंगी–
(क) साधारण कोटि (3050–4590) से कोटि–II (4000–6000) में ।
(ख) कोटि–II (4000–6000) से कोटि–I (4500–7000) में ।
(ग) कोटि–I (4500–7000) से विशेष कोटि (5000–8000) में ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

25/4/07

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग,

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– 9.7.2014

सं0सं–3/एम0–105/2010 सा0प्र0 3359/ भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली "बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार राज्य सरकार के सचिवालय विभागों, संलग्न कार्यालयों एवं विभिन्न स्तर के मुफस्सील कार्यालयों तक होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2005 के नियम 4 के उपनियम (2) का खंड (i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"(i) उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हत्ता मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी।

3. उक्त नियमावली, 2005 का नियम–4 का उपनियम–(3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"(3) उम्मीदवार की न्यूनतम आयु अठारह (18) वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार, द्वारा, समय–समय पर, अवधारित की जाय।

परंतु, राज्य सरकार के किसी कार्यालय में वाहन चालक के पद पर संविदा के आधार पर विधिवत नियोजित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा में उक्त नियोजन की अवधि (अधिकतम 5 वर्षों) तक की शिथिलता दी जा सकेगी।

4. उक्त नियमावली, 2005 के नियम– 4 के उपनियम (4) एवं (5) क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे :–

"(4) – सीधी भर्त्ती साधारण कोटि के पदों पर होगी। एतदर्थ प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना और रोस्टर क्लियरेंस के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार अपनी अधियाचना सीधे आयोग को 30 अप्रैल तक निश्चित रूप से भेज देंगे। अधियाचना प्राप्त होने पर, आयोग चयन प्रक्रिया पूरी कर, चयनित वाहन चालकों के संबंध में अपनी अनुशंसा सीधे संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को भेज देगा।"

"(5)– अधियाचना के आलोक में, आयोग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित करेगा और लिखित परीक्षा तथा संविदा के आधार पर नियोजित होकर वाहन चालन के कार्य अनुभव के आधार पर, रिक्तियों के 2.5 गुणा अभ्यर्थियों को, वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी, जाँच हेतु, आमंत्रित करेगा। लिखित परीक्षा एवं संविदा के आधार पर नियुक्त वाहन चालक के कार्यानुभव के लिए अंकों का अवधारण निम्नवत् होगा :–

(क) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के लिए	– 75 अंक
(ख) बिहार सरकार के कार्यालयों में संविदा के आधार पर विधिवत् नियोजित वाहन चालक के वाहन चालन के कार्यानुभव के लिए	– 25 अंक

(प्रत्येक वर्ष के वाहन चालन अनुभव के लिए 5 (पांच) अंक, अधिकतम 25 (पचीस अंक)

टिप्पणी :– अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत, 0.75 के गुणक से गुणा करके, अवधारित किया जायेगा। यथा–यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो, तो उसे 50×0.75 = 37.5 अंक दिये जायेंगे। अभ्यर्थी जिस कार्यालय में संविदा पर विधिवत् नियोजित होकर कार्यरत रहा हो, उसके कार्यालय प्रधान के माध्यम से अग्रसारित आवेदन के आधार पर ही कार्यानुभव के लिए अंक देय होगा।"

5. उक्त नियमावली, 2005 के नियम– 4 के उपनियम (4) एवं (5) के बाद एक नया उपनियम (6) निम्नवत् शामिल किया जायेगा :–

"(6) उपर्युक्त उप नियम–(5) के तहत कुल रिक्तियों के 2.5 गुणा चयनित अभ्यर्थियों को नियम–4 के उप नियम–(2) के अनुसार वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी की जाँच में सम्मिलित होना पड़ेगा, जिसके लिए कुल प्राप्तांक 100 होगा। यह जाँच आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी जिसमें मोटर यान निरीक्षक एक सदस्य होंगे। जाँच परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी और उसी सूची के आधार पर आयोग संबंधित विभाग/कार्यालय को अनुशंसा कर सकेगा। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अधिमानता नहीं दी जायेगी।"

6. उक्त नियमावली, 2005 के नियम– 8 का उपनियम–(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"(1) – नियुक्ति के बाद दो वर्षो तक परिवीक्षा अवधि रहेगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरा करने, परिवीक्षा अवधि में वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लेने एवं सम्पुष्टि के लिए अवधारित जाँच में उत्तीर्ण होने पर ही परिवीक्षाधीन वाहन चालक को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9.7.14

(बशिष्ठ सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–3/एम0–105/2010 सा0प्र0 9359/ पटना–15 दिनांक– 9.7. 2014

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक मे प्रकाशनार्थ और इसकी 50 प्रतियाँ इस विभाग मे भेजने हेतु प्रेषित।

9.7.14

(बशिष्ठ सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–3/एम0–105/2010 सा0प्र0 9359/ पटना–15 दिनांक– 9.7. 2014

प्रतिलिपि :– सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/बिहार लोक

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

संख्या–9/प्रो0–02–02/2016, सा0प्र0 2870 /भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:–
   (1) यह नियमावली 'बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार राज्य सरकार के सचिवालय विभागों, संलग्न कार्यालयों एवं विभिन्न स्तर के मुफस्सिल कार्यालयों तक रहेगा।
   (3) बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2005 के अधिसूचित होने की तिथि अर्थात् दिनांक–30.11.2005 से प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली, 2005 के नियम–9(6) का विलोपन:–
   उक्त नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) का नियम–9(6) विलोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–

(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–9/प्रो0–02–02/2016, सा0प्र0 2870 /पटना–15, दिनांक– 1.3.19
प्रतिलिपि–ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आगामी बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–9/प्रो0–02–02/2016, सा0प्र0 2870 /पटना–15, दिनांक– 1.3.19
प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलापदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.2.19
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली एवं समय–समय पर यथा संशोधित

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

संचिका सं0–10/क्षे0स्था0–08 (नियमा0)–18/2020सा0प्र0–17975/पटना–15, दिनांक–22.9.23

भारत का संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल **कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)** के पदों पर भर्त्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्त्तों का निर्धारण करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–** (i) यह नियमावली ***"बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2023'*** कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा तथा सचिवालय विभागों, संलग्न कार्यालयों (स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली सहित) तथा मुफस्सिल कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ।–** इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो–

(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार;

(ii) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, नियम–7 में यथा निर्धारित प्राधिकार;

(iv) "विभाग" से अभिप्रेत है, बिहार कार्यपालिका नियमावली में यथा निर्धारित विभाग;

(v) "संलग्न कार्यालय" से अभिप्रेत है, किसी विभाग का संलग्न कार्यालय;

(vi) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है, संबंधित नियुक्ति प्राधिकार;

(vii) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग।

(viii) "कार्यालय परिचारी" से अभिप्रेत है, समूह–'ग' के विभिन्न पदों, यथा–अनुसेवी, आदेशपाल, दफ्तरी, जमादार पिउन, जमादार अर्दली आदि पर कार्यरत कर्मचारी।

(ix) "परिचारी (विशिष्ट)" से अभिप्रेत है, समूह–'ग' के कार्यालय परिचारी के समकक्ष विशिष्ट कार्य प्रकृति के पद यथा–परिचारी (माली), परिचारी (मशालची) आदि।

3. **संवर्ग की संरचना।–** (i) कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी :–

क्र0 सं0	पद का नाम	पद की प्रास्थिति	कुल संवर्ग बल का प्रतिशत
1.	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–IV)	मूल कोटि	50%
2.	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–III)	प्रथम प्रोन्नति स्तर	30%
3.	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–II)	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	15%
4.	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–I)	तृतीय प्रोन्नति स्तर	05%

(ii) यह एक अराजपत्रित संवर्ग होगा। विभागों और निदेशालयों में नियुक्त होने वाले सरकारी सेवकों का संवर्ग, राज्यस्तरीय संवर्ग और समाहरणालयों में नियुक्त होने वाले सरकारी सेवकों का संवर्ग, जिलास्तरीय संवर्ग होगा।

(iii) इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल वही होगा, जैसा समय–समय पर संवर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/स्वीकृत किया जाय।

(iv) इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों को वही वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्य होगा, जैसा समय–समय पर बिहार सरकार द्वारा निर्धारित/स्वीकृत किया जाय।

(v) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में सम्मिलित समझे जायेंगे।

4. **सीधी भर्त्ती।–** (i) इस संवर्ग के मूल कोटि के पद पर ही सीधी भर्त्ती की जा सकेगी।

(ii) सीधी भर्त्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दशम/मैट्रिक अथवा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता होगी।

(iii) सीधी भर्त्ती के लिए उम्मीदवारों का स्वस्थ होना आवश्यक होगा।

(iv) सीधी भर्त्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र वही होगी, जैसा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

(v) सीधी भर्त्ती हेतु सभी विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर संलग्न/अधीनस्थ कार्यालय सहित रिक्तियों की गणना की जायेगी तथा आरक्षण कोटिवार राज्य के सभी कार्यालयों (क्षेत्रीय कार्यालय तथा सचिवालय/मुख्यालय सहित की) समेकित रिक्तियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जायेंगी। अर्थात् प्रत्येक विभाग अपने अधीनस्थ सभी निदेशालय/संस्थानों की रिक्तियाँ आरक्षण कोटिवार प्राप्त कर तथा उन्हें आरक्षण कोटिवार समेकित करेगी तथा सम्पूर्ण राज्य की समेकित रिक्तियाँ (आरक्षण कोटिवार) सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायेंगी।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक सभी विभागों की आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को उपलब्ध करायी जायेंगी।

5. **आरक्षण।**– इस संवर्ग में सीधी भर्त्ती तथा प्रोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित आरक्षण रोस्टर से संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

6. **चयन प्रक्रिया।**– (i) आयोग द्वारा विभिन्न विभागों/जिलों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर प्रकाशित समेकित विज्ञापन में संवर्गवार (विभागवार/जिलावार) रिक्तियों का उल्लेख किया जाएगा और अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता यथा–विभाग एवं जिला का विकल्प आवेदन में अंकित करेंगे।

(ii) आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद तैयार मेधासूची से आरक्षण कोटिवार अनुशंसा संबंधित विभागों को उपलब्ध करायी जाएगी। इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि सामान्य प्रशासन विभाग में अधियाचित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों की पूरी सूचना उपलब्ध रहे। मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(iii) आयोग द्वारा विभाग तथा जिला का आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन–पत्र भरते समय दिए गए विकल्प के अनुसार मेधा–सह–विकल्प (Merit-cum-Choice) के आधार पर किया जाएगा।

(iv) नियुक्ति प्राधिकारों द्वारा आवश्यक सत्यापन आदि के उपरान्त आरक्षण कोटिवार अधियाचित रिक्तियों के विरुद्ध सभी स्तरों की नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

(v) प्रत्येक विभाग/जिला अपने आधिकारिक वेबसाईट पर चयनित अभ्यर्थियों तथा उनके आवंटन का विवरण प्रदर्शित करेगा तथा अन्य प्रकार से भी सफल अभ्यर्थियों को सूचित भी करेगा।

(vi) चयन प्रक्रिया की कार्रवाई एवं तत्संबंधी अन्य कार्यों के संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विद्यमान प्रावधानों के आलोक में निर्णय लिया जा सकेगा।

7. **नियुक्ति प्राधिकार।**–(i) विभागों में विभागाध्यक्ष/संलग्न कार्यालयों में कार्यालय प्रधान/प्रमण्डल कार्यालय में संबंधित जिला, जहाँ प्रमण्डल कार्यालय अवस्थित है, के जिला पदाधिकारी/जिला में संबंधित जिला पदाधिकारी नियुक्ति प्राधिकार होंगे। महाधिवक्ता कार्यालय में परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के नियुक्ति प्राधिकार महाधिवक्ता होंगे।

(ii) नियुक्ति प्राधिकार की यह शक्ति किसी भी परिस्थिति में प्रत्यायोजित नहीं की जा सकेगी।

(iii) विभागों में विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से उप सचिव से अन्यून स्तर के किसी पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी।

8. **नियुक्ति पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया।**– नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति करते समय निम्नांकित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा–

(i) प्रत्येक विभाग/समाहरणालय नियुक्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर सभी कोषागारों को उपलब्ध करायेगा।

(ii) चयनित उम्मीदवारों की अनुशंसा प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकार के कार्यालय में उनके शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच आयोग से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर की जायेगी। आवेदक के नाम, फोटो, हस्ताक्षर एवं प्रमाण पत्रों से पूर्णतः संतुष्ट होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा जिसमें आवेदक के सत्यापित फोटोग्राफ चिपके रहेंगे। नियुक्ति पत्र पर नियुक्ति प्राधिकार का पूर्ण हस्ताक्षर पूरा नाम एवं पदनाम अंकित होगा।

(iii) नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मियों की सेवापुस्त दो प्रतियों में खोली जायेंगी। नियुक्ति पत्र की प्रति के साथ सेवापुस्त की एक प्रति भी संबंधित कार्यालय प्रधान को भेजी जायेगी अथवा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत डिजीटल सेवापुस्त का संधारण किया जाएगा।

(iv) योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी नियुक्ति–पत्र की सत्यता, निर्गत नियुक्ति–पत्र के फोटोग्राफ और नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा भेजी गयी सेवापुस्त से सुनिश्चित कर लेंगे। योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्र से संतुष्ट होने पर कर्मचारियों का योगदान तीन माहों के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेंगे और नियुक्तिकर्त्ता पदाधिकारी से नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे। यदि तीन माहों के अन्दर यह सम्पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तो संबंधित नवनियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तबतक नहीं की जा जाएगी, जबतक नियुक्ति की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।

(v) प्रत्येक नियुक्ति आदेशों को संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा बिहार सरकार के सरकारी गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जायेगा।

(vi) नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित गजट की प्रतियाँ उन सभी कार्यालय प्रधानों को प्रेषित की जायेंगी, जहाँ नवनियुक्त कर्मियों को पदस्थापित किया गया हो। पदस्थापन कार्यालय द्वारा गजट से नियुक्ति आदेश का मिलान किया जायेगा और प्रथम वेतन विपत्र के साथ नियुक्ति पत्र की अभिप्रमाणित फोटोप्रति तथा गजट की प्रति भी कोषागार को भेजी जायेगी। कोषागार पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान उनके कार्यालय में पूर्व से उपलब्ध हस्ताक्षर से किया जायेगा।

9. **परीक्ष्यमान अवधि/सम्पुष्टि।**– सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मी नियुक्ति के उपरान्त दो वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने और उक्त अवधि में सेवा संतोषजनक रहने पर उनकी सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी। यदि परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं पायी जाय तो अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। परन्तु, परीक्ष्यमान की कुल अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं पायी जाती है, तब संबंधित कर्मी/कर्मियों को सेवामुक्त किया जा सकेगा, जिसके लिए किसी प्रकार के प्रतिकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

10. **वरीयता।**– सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मी की वरीयता आयोग के मेधाक्रमानुसार निर्धारित होगी। परन्तु, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व यदि, वरीयता निर्धारित करते हुए वरीयता सूची प्रकाशित की गयी हो, तो वह अपरिवर्तित रहेगी।

11. **प्रोन्नति।**– (i) इस संवर्ग के उच्चतर कोटि के पदों पर प्रोन्नति वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति समिति की अनुशंसा से दी जायेगी।

(ii) प्रोन्नति हेतु आरक्षण, कालावधि आदि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जायेगा।

(iii) प्रोन्नति हेतु प्रोन्नति समिति का गठन संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अलग आदेश से किया जायेगा।

(iv) सामान्यतः सचिवालय स्तर पर प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष संबंधित विभाग के विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी होंगे। समिति के दो अन्य सदस्य, संबंधित विभाग के स्थापना के प्रभारी उप सचिव/अवर सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी होंगे।

(v) सामान्यतः जिला स्तर पर प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष संबंधित जिला के अपर समाहर्त्ता होंगे। समिति के दो अन्य सदस्य में से एक, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी और दूसरे स्थापना उप समाहर्त्ता होंगे।

(vi) सामान्यतः प्रमण्डल स्तर पर प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष उसी जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जिस जिला में प्रमण्डलीय कार्यालय अवस्थित हो। समिति के दो अन्य सदस्य प्रमण्डलीय आयुक्त के प्रतिनिधि और प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी होंगे।

12. **अवशिष्ट मामले।**–(i) राज्य सरकार के अन्य कर्मियों पर लागू सेवा शर्त्तें, अनुशासन, छुट्टी, सुनिश्चित वृत्तीय उन्नयन आदि के संबंध में प्रवृत्त सभी नियम, अनुदेश आदि समान रूप से **इस संवर्ग के सदस्यों पर भी लागू होंगे।**

(ii) जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में विशिष्ट रूप से नहीं किया गया है, उनके संबंध में राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश लागू होंगे।

(iii) इस नियमावली के किसी भी नियम की व्याख्या करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग सक्षम विभाग होगा।

(iv) यदि, इस नियमावली के किसी नियम को लागू करने में कोई कठिनाई हो, तो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) ऐसी कठिनाई का निराकरण आवश्यक आदेश/राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा कर सकेगी।

13. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**–(i) इस सम्वर्ग के संबध में पूर्व में अधिसूचित **बिहार समूह 'घ' (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथासंशोधित) [बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2010** के रूप में पुनर्नामित] तथा **स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह 'घ' संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2016 (समय–समय पर यथासंशोधित) [स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2016** के रूप में पुनर्नामित] तथा समय–समय पर पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित समझें जायेंगे। परन्तु, किसी न्यायिक आदेश के अनुपालन में पूर्व की नियमावलियों के तहत् आरम्भ की गई नियुक्ति की कार्रवाई, यदि अनिष्पादित हो, तब उसे पूर्व की नियमावलियों के तहत् निष्पादित किया जा सकेगा।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मो0 सोहैल)
सचिव।

संचिका सं0–10/क्षे0स्था0–08 (नियमा0)–18/2020सा0प्र0–17975/पटना–15, दिनांक–22.9.23

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, गजट कोषांग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु सी0डी0 के साथ प्रेषित।

(मो0 सोहैल)
सचिव।

संचिका सं0–10/क्षे0स्था0–08 (नियमा0)–18/2020सा0प्र0–17975/पटना–15, दिनांक–22.9.23

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद् /राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग /सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो0 सोहैल)
सचिव।

संचिका सं0–10/क्षे0स्था0–08 (नियमा0)–18/2020सा0प्र0–17975/पटना–15, दिनांक–22.9.23

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(मो0 सोहैल)
सचिव।

* नियमावली के अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण की व्याख्या में किसी भिन्नता की स्थिति में हिन्दी संस्करण की व्याख्या प्रभावी होगी।

(98) ~~(24)~~

पत्रांक–3ए–2–वे०पु०–05/2023–169/वि०, पटना, दिनांकः–05-01-2024

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषयः– **बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतनसंरचना की स्वीकृति के संबंध में।**

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–17975, दिनांक–22/09/2023 के द्वारा "बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2023" अधिसूचित किया गया है। उक्त नियमावली के द्वारा बिहार परिचारी संवर्ग के अन्तर्गत मूलकोटि सहित चार स्तरीय पदसोपान विहित किया गया है, जो निम्नवत् हैः–

क्र० सं०	पदनाम	कोटि/पदसोपान (प्रतिशत)
1	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–IV)	मूलकोटि (50%)
2	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–III)	प्रथम प्रोन्नति स्तर (30%)
3	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–II)	द्वितीय प्रोन्नति स्तर (15%)
4	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–I)	तृतीय प्रोन्नति स्तर (5%)

2. दिनांक–01/01/2016 के प्रभाव से उक्त संवर्ग के मूलकोटीय पद के लिए वेतनस्तर–1 स्वीकृत है। पूर्व से उक्त संवर्ग के प्रोन्नति सोपान विहित नहीं रहने के कारण प्रोन्नति सोपानों का पुनरीक्षित वेतनस्तर स्वीकृत नहीं किया जा सका है।

3. "बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2023" अधिसूचित हो जाने के फलस्वरूप उक्त संवर्ग के अन्तर्गत प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतनसंरचना की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. सम्यक विचारोपरान्त बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए निम्नरूपेण पुनरीक्षित वेतनसंरचना की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र०सं०	पदनाम	कोटि/पदसोपान	वेतनस्तर
1	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–III)	प्रथम प्रोन्नति स्तर	Level-2
2	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–II)	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	Level-3
3	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–I)	तृतीय प्रोन्नति स्तर	Level-4

5. उक्त वेतनसंरचना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक–3ए–2–वे०पु०–05 / 2023- 169 /वि० पटना, दिनांक– 05-01-2024

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक–3ए–2–वे०पु०–05 / 2023- 169 /वि० पटना, दिनांक– 05-01-2024

प्रतिलिपि– महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक–3ए–2–वे०पु०–05 / 2023- 169 /वि० पटना, दिनांक– 05-01-2024

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग /अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा / सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) / प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञाप संख्या–10 / क्षे0स्था0–08–(वेतनमान)–80 / 2023 / 934 **पटना–15,दिनांक–** 18/01 **/ 2024**

प्रतिलिपिः–सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग / सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.24
(सत्यम सहाय)
विशेष कार्य पदाधिकारी।
सामान्य प्रशासन विभाग,

59 82

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या–20 / क्षे0स्था0–08(सीतामढ़ी)–11 / 2019 सा0प्र0...../ पटना–15, दिनांक.....2022

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग, बिहार वाहन चालक संवर्ग एवं बिहार कार्यालय परिचारी / परिचारी(विशिष्ट) संवर्ग के पदों, जिनके अनुशासनिक प्राधिकार संबंधित जिला पदाधिकारी हैं, के संदर्भ में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24 एवं 28 के प्रावधानों के तहत क्रमशः अपीलीय प्राधिकार एवं अपीलीय प्राधिकार के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण हेतु पुनरीक्षण प्राधिकार निम्नवत् विनिर्दिष्ट किया जाता है :–

क्र0 सं0	संवर्ग	पदनाम	अनुशासनिक प्राधिकार	अपीलीय प्राधिकार	अपीलीय प्राधिकार के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण हेतु पुनरीक्षण प्राधिकार
1.	बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग	(i) निम्नवर्गीय लिपिक (ii) उच्चवर्गीय लिपिक (iii) प्रधान लिपिक (iv) सहायक प्रशासी पदाधिकारी	जिला पदाधिकारी	प्रमंडलीय आयुक्त	सदस्य, राजस्व पर्षद
2.	बिहार क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग	(i)आशुलिपिक, ग्रेड– III / आशुटंकक III (ii) आशुलिपिक, ग्रेड– II / आशुटंकक II (iii) वरीय आशुलिपिक, ग्रेड– I / आशुटंकक I (iv) प्रधान आशुलिपिक / प्रधान आशुटंकक	जिला पदाधिकारी	प्रमंडलीय आयुक्त	सदस्य, राजस्व पर्षद
3.	बिहार वाहन चालक संवर्ग	(i) वाहन चालक (साधारण कोटि) (ii) वाहन चालक (कोटि–II)) (iii) वाहन चालक (कोटि–I) (iv) वाहन चालक (विशेष कोटि)	जिला पदाधिकारी	प्रमंडलीय आयुक्त	सदस्य, राजस्व पर्षद
4.	बिहार कार्यालय परिचारी / परिचारी(विशिष्ट) संवर्ग	(i) कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–IV) (ii) कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–III) (iii) कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–II) (iv) कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–I)	जिला पदाधिकारी	प्रमंडलीय आयुक्त	सदस्य, राजस्व पर्षद

2. पूर्व में निर्गत सभी आदेशों को उक्त हद तक संशोधित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

6013

ज्ञापांक:-20/क्षे0स्था0-08(सीतामढ़ी)-11/2019 सा0प्र0............../पटना-15, दिनांक....................2022

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु सी0डी0 के साथ प्रेषित।

ह0/-

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-20/क्षे0स्था0-08(सीतामढ़ी)-11/2019 सा0प्र0..8823/पटना-15, दिनांक..2-6-...2022

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/महानिदेशक, बिपार्ड, पटना/महाधिवक्ता का कार्यालय, पटना/राज्य अभिलेखाकार, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/लोकायुक्त कार्यालय, पटना/प्रभारी आई0डब्लू0डी0एम0एस0, टी0सी0एस0 कोषांग, वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.6.22

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

पत्र सं0—20 / क्षे0स्था0—08 (मास्टर सर्कुलर)—49 / 2023......19947......./

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

निबंधित

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक— 26.10./2023

विषय:— **समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों का अंतर प्रमंडलीय/अंतरजिला स्थानांतरण—पदस्थापन के संदर्भ में बनाई गई नीति एवं प्रक्रियाओं का Master Circular तैयार करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों यथा—लिपिक, आशुलिपिक, वाहन चालक एवं कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) द्वारा अंतरप्रमंडलीय/अंतरजिला स्थानांतरण—पदस्थापन हेतु अधिकतर आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को सीधे उपलब्ध कराए जाते हैं। फलस्वरूप विभाग को संबद्ध दोनों जिलों से कर्मियों का सेवा इतिहास, आंतरिक स्वच्छता, आरक्षण कोटिवार रिक्ति एवं अनापत्ति से संबंधित अभिलेख प्राप्त करने में अत्यधिक समय लगता है तथा अनेक मामले लम्बी अवधि तक अनिस्तारित रह जाते हैं, जिससे विषयाधीन उद्देश्य की पूर्ति समय पर नहीं हो पाती है। अतएव विषयगत अंतरजिला स्थानांतरण में लगने वाले समय को न्यून कर प्रश्नगत मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु विभागीय पत्रांक—5762 दिनांक—16.06.2020 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समाहरणालय संवर्ग के अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित आवेदनों पर तभी विचार किया जाएगा, जब उनके आवेदन संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त होंगे, और आलोच्य कर्मियों से सीधे प्राप्त हुए आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

2. उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में विभिन्न जिला समाहरणालयों द्वारा समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों का अंतर प्रमंडलीय/अंतरजिला स्थानांतरण—पदस्थापन के प्रस्ताव सहित कर्मियों के सेवा इतिहास व विवरणी उपलब्ध कराई जाती थी, जिसमें एकरूपता का अभाव रहता था। फलतः अंतर प्रमंडलीय/अंतरजिला स्थानांतरण—पदस्थापन के मामले में त्वरित कार्रवाई करने एवं एकरूपता के दृष्टिकोण से एक प्रपत्र/चेकलिस्ट परिचारित करने की आवश्यकता महसूस की गई। तद्नुसार, विभागीय पत्रांक—8593 दिनांक—31.05.2022 द्वारा कर्मियों का सेवा इतिहास उपलब्ध कराने हेतु एक प्रपत्र सभी जिलों को परिचारित किया गया है, ताकि जिला समाहरणालयों द्वारा वर्णित श्रेणी के कर्मियों के अंतर प्रमंडलीय/अंतरजिला स्थानांतरण—पदस्थापन के प्रस्ताव के साथ संबंधित कर्मियों का सेवा—इतिहास एवं विवरणी विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टियों के साथ उपलब्ध कराया जा सके।

3. समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों का अंतर प्रमंडलीय/अंतरजिला स्थानांतरण के फलस्वरूप आवंटित जिला/प्रमंडलों में आए लिपिकों/आशुलिपिकों/वाहन चालकों तथा कार्यालय परिचारियों का वरीयता क्रम निर्धारण के विषय पर जिला पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर विभागीय मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती है। इन संवर्गों के कर्मियों की संवर्गीय तथा पारस्परिक वरीयता के प्रावधानों में एकरूपता के दृष्टिकोण से एक समान प्रावधान निरूपित किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई। तद्नुसार, उक्त संवर्ग के कर्मियों की संवर्गीय तथा पारस्परिक वरीयता निर्धारण के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या–11772 दिनांक–20.06.2023 द्वारा निम्नांकित प्रावधान निरूपित किए गए हैं :–

(i) जिला स्तरीय संवर्ग (लिपिक, आशुलिपिक, वाहन चालक एवं कार्यालय परिचारी) के कर्मियों के संबंध में अचानक जरूरत होने पर या किसी समाहरणालय में लिपिक के अभाव जैसी आवश्यकता होने पर संवर्ग के किसी कर्मी को दूसरे जिला में, सेवा में उसे प्रवेश के आधार पर उसकी वरीयता को अक्षुण्ण रखते हुए स्थानांतरित करने की शक्ति सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) को होगी।

(ii) सरकारी सेवक के अनुरोध पर आवंटित/पदस्थापित जिला से अन्य जिला में पदस्थापन की स्थिति में स्थानांतरित सेवक पदस्थापित/आवंटित जिले में अपने नियुक्ति वर्ष में कनीयतम हो जाएंगे।

(iii) एक ही जिला से, एक ही नियुक्ति वर्ष के एक से अधिक सरकारी सेवकों का दूसरे किसी जिला में स्थानांतरण होने पर उनकी पारस्परिक वरीयता पूर्व आवंटित जिला के वरीयताक्रम में निर्धारित होगी।

(iv) भिन्न–भिन्न जिलों से एक ही नियुक्ति वर्ष के सरकारी सेवकों के किसी दूसरे जिला (समाहरणालय) में स्थानांतरण होने पर उनकी वरीयता उनकी जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित होगी और जन्मतिथि एक रहने पर उनके नाम के प्रथम अक्षर (हिन्दी) के आरोही क्रम में निर्धारित होगी।

4. वर्णित विभागीय पत्रों को समावेशित कर Master Circular तैयार किया गया है, ताकि जिला समाहरणालयों द्वारा स्थानांतरण–पदस्थापन से संबंधित कार्रवाई सुगमतापूर्वक की जा सके। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त विभागीय पत्रों की प्रति संलग्न है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

26.10.2023

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों यथा–लिपिक, आशुलिपिक, वाहन चालक एवं कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के स्थानांतरण–पदस्थापन के संदर्भ में निर्गत पत्र।

क्र0	पत्र संख्या तथा निर्गत तिथि	स्थानांतरण–पदस्थापन आदि से संबंधित संकल्प/परिपत्र	पृष्ठ
1	FAQ	–	03
2	5762 दिनांक–16.06.2020	समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों के स्थानांतरण– पदस्थापन के संबंध में	04
3	8593 दिनांक–31.05.2022	समाहरणालय संवर्ग के अराजपत्रित कर्मियों के स्थानांतरण– पदस्थापन के संबंध में	05–06
4	11772 दिनांक–20.06.2023	समाहरणालय संवर्ग के अराजपत्रित कर्मियों के स्थानांतरण– पदस्थापन के फलस्वरूप आवंटित जिला में वरीयता क्रम का निर्धारण के संबंध में	07

समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों का अंतरप्रमंडलीय/अंतरजिला स्थानांतरण– पदस्थापन के संबंध में पूछे जाने वाला प्रश्न :–

FAQ

क्र0	स्थानांतरण–पदस्थापन के संबंध में प्रश्न	उत्तर
1	क्या समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों द्वारा अंतरप्रमंडलीय/अंतरजिला स्थानांतरण हेतु सीधे विभाग को समर्पित किये गये आवेदन पर स्थानांतरण–पदस्थापन की जाती है ?	नहीं। अंतरप्रमंडलीय/अंतरजिला स्थानांतरण हेतु कर्मियों का आवेदन संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से आवश्यक प्रपत्र में वांछित सूचना प्राप्त होने पर स्थानांतरण–पदस्थापन की कार्रवाई की जाती है।
2	क्या समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों का पदस्थापित रहने वाले जिला से सेवा इतिहास आदि संबंधी सूचना विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराने पर विभाग द्वारा कर्मियों का स्थानांतरण–पदस्थापन कर दिया जाता है ?	नहीं। बल्कि कर्मियों के पदस्थापन रहने वाले जिलों से सेवा इतिहास आदि उचित माध्यम से प्राप्त होने पर, जिस जिले में कर्मी स्थानांतरण चाहते है, उन जिलों से रिक्ति एवं अनापत्ति की मांग की जाती है। प्राप्त होने पर तद्नुसार स्थानांतरण–पदस्थापन की कार्रवाई की जाती है।
3	क्या किसी कर्मी के उपर विभागीय कार्यवाही संचालित हो तो, उस कर्मी का अंतरप्रमंडलीय/अंतरजिला स्थानांतरण– पदस्थापन की जाती है ?	नहीं।
4	आरक्षण कोटि एक ही हो तो क्या पारस्परिक स्थानांतरण किया जाता है ?	हाँ। संबंधित जिले से दोनों कर्मियों का सेवाइतिहास एवं अनापत्ति प्राप्त होने पर अंतरप्रमंडलीय/अंतरजिला स्थानांतरण– पदस्थापन की ज़ाती है।
5	क्या विभागीय पत्रांक–8593 दिनांक–31.05.2022 द्वारा परिचारित प्रपत्र में सेवा इतिहास आदि उपलब्ध कराना आवश्यक है ?	हाँ। वांछित सूचना एवं एकरूपता की दृष्टि से आवश्यक है।
6	क्या अंतरजिला स्थानांतरण हेतु कालावधि निर्धारित है ?	हाँ। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक–881 दिनांक–03.06.2009 द्वारा तीन वर्षो की सेवावधि पूरा होने के पश्चात् ही स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान किया गया है, परन्तु कार्यहित एवं विशेष परिस्थिति में उक्त समयावधि के अंदर अंतरजिला स्थानांतरण पर निर्णय लिया जा सकता है।
7	अंतरजिला स्थानांतरण हेतु किस प्राधिकार का अनुमोदन अपेक्षित होता है ?	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक–881 दिनांक–03.06.2009 द्वारा वर्ष में एक बार जून माह में अंतरजिला स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान किया गया है। जून माह के अतिरिक्त स्थानांतरण किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से एक स्तर उपर के पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

स्पीड पोस्ट/ई–मेल

पत्र संख्या: 20/क्षे0स्था0–08 (स्थानांतरण)–06/2016–सा0 प्र0–5762/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,

सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांक 16 जून, 2020

विषय:– समाहरणालय संवर्ग के अराजपत्रित कर्मियों के स्थानांतरण /पदस्थापन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वर्तमान में जारी प्रक्रियानुसार राज्य के समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों (लिपिक/आशुलिपिक/चालक/परिचारी) द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण हेतु अधिकतर आवेदन (जो संदर्भित स्थानांतरण हेतु वर्तमान में लागू विविध नियमावलियों के तहत विचारणीय होते हैं) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सीधे उपलब्ध कराये जाते हैं। फलस्वरूप, विभाग को संबद्ध दोनों जिला पदाधिकारियों (एक, जिस संवर्ग में संबंधित कर्मी सेवारत/पदस्थापित रहते हैं एवं दूसरा, जिस जिला संवर्ग में स्थानांतरण हेतु उक्त कर्मी द्वारा आवेदन समर्पित किया जाता है) से उनके सेवा इतिहास, आंतरिक स्वच्छता, आरक्षण कोटिवार रिक्ति एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र से संबंधित अभिलेख आदि प्राप्त करने पड़ते हैं। फलस्वरूप, अभिलेखों के संग्रहण में अत्यधिक समय लगता है और अनेक मामले लंबी अवधि तक अनिस्तारित रह जाते हैं, जिससे विषयाधीन उद्देश्य की पूर्ति समय पर नहीं हो पाती है।

2. विषयगत अंतर जिला स्थानांतरण में लगने वाले समय को न्यून कर प्रश्नगत मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु यह निर्णय लिया गया है कि समाहरणालय संवर्ग के अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित आवेदनों पर तभी विचार किया जायेगा, जब उनके आवेदन संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त होंगे और आलोच्य कर्मियों से सीधे प्राप्त हुए आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

3. प्रश्नगत विषय पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/ 16.6.2020

सरकार के अवर सचिव ।

स्पीड पोस्ट/ई–मेल

ज्ञापांक: 20/क्षे0स्था0–08 (स्थानांतरण)–06/2016–सा0 प्र0–5762/पटना–15, दिनांक 16 जून, 2020

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सभी जिला पदाधिकारी, बिहार के ई–मेल आई0डी0 पर भेजने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/ 16.6.20

सरकार के अवर सचिव ।

(179)

पत्र सं0–20 / क्षे0स्था0–08 (स्थानांतरण)–60 / 2016 8593 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

निबंधित
ई–मेल

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 31/5 /2022

विषयः– समाहरणालय संवर्ग के अराजपत्रित कर्मियों के स्थानांतरण–पदस्थापन के संबंध में।

प्रसंगः– सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक–5762 दिनांक–16.06.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में समाहरणालय संवर्ग के लिपिक / आशुलिपिक / चालक / कार्यालय परिचारी के अंतर प्रमंडलीय / अंतर जिला स्थानांतरण–पदस्थापन के प्रस्ताव के साथ कर्मियों के सेवा–इतिहास व विवरणी उपलब्ध कराई जाती है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी जिलों से प्राप्त सेवा–इतिहास व विवरणी में एकरूपता नहीं रहती है।

2. इस प्रकार के मामले में त्वरित कार्रवाई करने एवं एकरूपता के दृष्टिकोण से एक विहित प्रपत्र (चेक लिस्ट) इसके साथ संलग्न की जा रही है।

3. अनुरोध है कि उपर वर्णित श्रेणी के कर्मियों के अंतर प्रमंडलीय / अंतर जिला स्थानांतरण–पदस्थापन के प्रस्ताव के साथ संबंधित कर्मियों का सेवा– इतिहास एवं विवरणी विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टियों के साथ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

31.5.22

(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

(173)

सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक–20/क्षे0स्था0–08–(स्थानान्तरण)–60/2016–8593 दिनांक–31/5/2022

सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय संवर्ग (आशुलिपिक, लिपिक, वाहन चालक तथा परिचारी) के कर्मियों के अन्तर्जिला स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु विहित प्रपत्र :–

सेवा इतिहास

क्रमांक	बिन्दु	प्रविष्टियाँ
1	सरकारी सेवक का नाम	
2	पदनाम	
3	जन्म तिथि	
4	सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि तथा सेवा/पद का नाम	
5	वर्तमान संवर्ग/पद पर नियुक्ति /योगदान की तिथि	
6	रिक्ति की सूचना (पदस्थापन चाहने वाले जिलों से अपेक्षित)	
7	सरकारी सेवक की आरक्षण कोटि	
8	वेतनमान एवं वर्तमान मूल वेतन	
9	गृह जिला	
10	जिस जिला में पदस्थापन चाहते हैं, उसका नाम तथा कारण	
11	हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि	
12	लेखा परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि	
13	सेवा सम्पुष्टि की तिथि	
14	निगरानी स्वच्छता की स्थिति	
15	अनापत्ति के संबंध में जिला पदाधिकारी का मंतव्य	
16	अन्य किसी प्रकार की अभियुक्ति	

जिला पदाधिकारी का पूरा नाम/हस्ताक्षर
(तिथि मुहर सहित)

31.5.22

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषय :– अन्तर प्रमण्डलीय/जिला स्थानान्तरण/पदस्थापन के फलस्वरूप आवंटित जिला /प्रमण्डलों में आये लिपिकों/आशुलिपिकों/चालक तथा कार्यालय परिचारी का वरीयता क्रम निर्धारण के संबंध में।

राज्य के समाहरणालयों के अन्तर्गत लिपिक, आशुलिपिक, वाहन चालक तथा कार्यालय परिचारी संवर्ग का प्रशासी नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत है।

2. इन संवर्गों की नियुक्ति व सेवाशर्तों के विनियमन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर नियमावलियों व आवश्यक अनुदेश निर्गत किये जाते हैं।

3. कुछ संवर्गों के कर्मियों की वरीयता निर्धारण के संबंध में संगत नियमावलियों में प्रावधान निरूपित हैं तथा कुछ के संबंध में प्रावधान निरूपित नहीं हैं। अंतर प्रमण्डलीय/जिला स्थानान्तरण–पदस्थापन होने की स्थिति में वरीयता विषयक प्रावधान किसी भी संवर्ग की नियमावली में निरूपित नहीं किये गये हैं।

4. अतः इस विषय पर जिला पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती है। इन संवर्गों के कर्मियों की संवर्गीय तथा पारस्परिक वरीयता के प्रावधानों में एकरूपता के दृष्टिकोण से एक समान प्रावधान निरूपित किये जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, उक्त संवर्गों के कर्मियों की संवर्गीय तथा पारस्परिक वरीयता निर्धारण के संबंध में निम्नांकित प्रावधान निरूपित किये जाते हैं :–

(i) जिला स्तरीय संवर्ग (लिपिक, आशुलिपिक, चालक तथा कार्यालय परिचारी) के कर्मियों के संबंध में अचानक जरूरत होने पर या किसी समाहरणालय में लिपिक के अभाव जैसी आवश्यकता होने पर संवर्ग के किसी कर्मचारी को दूसरे जिला में, सेवा में उसके प्रवेश के आधार पर उसकी वरीयता को अक्षुण्ण रखते हुए स्थानान्तरित करने की शक्ति सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) को होगी।

(ii) सरकारी सेवक के अनुरोध पर आवंटित पदस्थापित जिला से अन्य जिला में पदस्थापन की स्थिति में स्थानान्तरित सेवक पदस्थापित/आवंटित जिले में अपने नियुक्ति वर्ष में कनीयतम हो जायेंगे।

(iii) एक ही जिला से, एक ही नियुक्ति वर्ष के एक से अधिक सरकारी सेवकों का दूसरे किसी एक जिला में स्थानान्तरण होने पर उनकी पारस्परिक वरीयता पूर्व आवंटित जिला के वरीयता क्रम में निर्धारित होगी।

(iv) भिन्न–भिन्न जिलों से एक ही नियुक्ति वर्ष के सरकारी सेवकों के किसी दूसरे जिला (समाहरणालय) में स्थानान्तरण होने पर उनकी वरीयता उनकी जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित होगी और जन्म तिथि एक रहने पर उनके नाम के प्रथम अक्षर (हिन्दी) के आरोही क्रम में निर्धारित होगी।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(मो0 सोहैल)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10/मार्ग0–11–(पटना)–26/2022सा0प्र0 11772/ पटना–15, दिनांक– 20.6./2023

प्रतिलिपिः–सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 सोहैल

सरकार के सचिव।

पत्र संख्या–10/जि0 आ0–गृ0–02/10, 2010 सा0 7751/2010

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

बिमलेश कुमार झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना/गया/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/
छपरा/भागलपुर/पूर्णिया/मुंगेर एवं सहरसा।

पटना, दिनांक :– 10 अगस्त, 2010

विषयः– **प्रमंडलीय मुख्यालय स्थित जिला अतिथि गृहों के संचालन के लिए आउटसोर्सिंग हेतु निविदा आमंत्रण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रथम चरण में प्रमंडलीय मुख्यालय स्थित जिला अतिथि गृहों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचालित करवाने का निर्णय सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा लिया गया है. आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन जिला अतिथि गृहों के सूचारू रूप से संचालन हेतु निविदा निकाले जाने की कार्रवाई संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा अलग–अलग की जायेगी।

उक्त निविदा के लिए आवश्यक शर्तें निम्नवत रखी जा सकती हैं :–

(1) आंतरिक साफ–सफाई जिसके अंतर्गत कमरों एवं पूरे परिसर की सफाई शामिल होगी।

(2) जिला अतिथि गृह के लॉन, बागीचा आदि की सफाई एवं रख–रखाव, बगीचा में फूल एवं घास आदि का रख–रखाव।

(3) हाउस कीपिंग से संबंधित निम्नलिखित कार्य शामिल होगे:–

(क) जिला अतिथि गृह मे लगे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विद्युतीय उपकरणें का रख–रखाव।

(ख) अतिथि गृह के फर्नीचर आदि को मरम्मति एवं रख–रखाव।

(ग) अतिथि गृह में ठहरे हुए अतिथियों के लिए प्रसाधन की वस्तुएँ यथा –साबुन, तेल, शैम्पू, तौलिया आदि की आपूर्ति।

(घ) बेडशीट, मच्छरदानी, पर्दा, तकिया, इत्यादि की आपूर्ति एवं इनकी सफाई/धुलाई।

(4) निर्बाध विद्युत की व्यवस्था (जेनरेटर सहित)।

(5) अतिथियों के लिए चाय, नास्ता एवं भोजन आदि की निर्धारित दर पर व्यवस्था करना एवं भोजन पकाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना।

(6) उपरोक्त कार्यो के निष्पादनार्थ निविदा दो लिफाफा प्रणाली प्रक्रिया के अर्न्तगत निकाली जा सकती है। प्रथम लिफाफा में संस्था/व्यक्ति का वार्षिक टर्न औवर/स्वच्छता अंकित होगा। निविदादाता को किसी संस्थान/प्रतिष्ठतान में कैटरिंग/हाउस किपिंग का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव आवश्यक हो। दूसरे लिफाफा में निविदादाता को उपरोक्त सेवाएं देने के ऐवज में मासिक राशि Quote करना होगा।

(7) अतिथि गृह में भोजन आदि चाय आदि से होने वाली आय संचालय संस्था को दी जा सकेगी।

(8) जिला प्रशासन की और से केयर टेकर प्रतिनियुक्त किया जायेगा। जो संचालन व्यवस्था की निगरानी करेगा।

(9) अतिथि गृह कमरो का आरक्षण पूर्वत जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। किराये से प्राप्त राशि सरकारी खजानों में जमा की जायेगी।

उपरोक्त शर्त्ते मॉडल स्वरूप हैं। इनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

इस परिप्रेक्ष्य में यह भी अनुरोध है कि आउटसोर्सिंग की स्थिति में जिला अतिथि गृहों में पूर्व से कार्यरत कर्मियों का समाहरणालय स्थित किसी अन्य कार्यालय में कार्य लिया जाए एवं उक्त कार्यरत बलों को छोड़कर जिला अतिथि गृहों हेतु पूर्व से सृजित बलों को Surrender करने का प्रस्ताव भी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(दिनेश कुमार झा)
सरकार के उप सचिव

पत्र संख्या–20 / जि0अ0गृ0–02–03 / 2010 सा0प्र0...../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

अति महत्त्वपूर्ण

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक.....2021

विषयः– **जिला अतिथि गृह के कमरों के किराया का पुनरीक्षण**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक–2146 दिनांक–06.02.2013 द्वारा पटना के जिला अतिथि गृह एवं नालंदा जिलान्तर्गत जिला अतिथि गृह, बिहारशरीफ और राजगीर सहित राज्य के अन्य जिलों के अंतर्गत स्थित जिला अतिथि गृह के कमरो के किराया का पुनरीक्षण किया गया था तथा गया जिला के जिला अतिथि गृह के कमरों के किराया का पुनरीक्षण पत्रांक–17184 दिनांक–04.11.2013 द्वारा किया गया था। जिला अतिथि गृह के रख–रखाव के खर्च में वृद्धि के कारण इनके किराया का पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। सम्यक् विचारोपरांत वर्तमान में लागू दरों को तत्काल प्रभाव से निम्नवत् पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है :–

(i) **जिला अतिथि गृह पटना, गया तथा जिला अतिथि गृह बिहारशरीफ एवं राजगीर के कमरों का पुनरीक्षित किराया**

क्र0	कमरा आवंटन की प्रकृति	वातानुकूलित कमरा का किराया (रूपयों में)	गैर–वातानुकूलित कमरा का किराया (रूपयों में)
1.	सरकारी कार्य हेतु सरकारी व्यक्तियों के लिए	₹200/– (दो सौ रूपये) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।	₹150/– (एक सौ पचास रू0) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।
2.	गैर सरकारी कार्य हेतु सरकारी व्यक्तियों के लिए	₹ 400/– (चार सौ रूपये) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।	₹300/– (तीन सौ रूपये) प्रति कमरा, प्रतिदिन।
3.	गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए (कमरा उपलब्ध रहने की स्थिति में)	₹1000/– (एक हजार रूपये) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।	₹600/– (छः सौ रूपये) प्रति –कमरा, प्रतिदिन।

(ii) **अन्य जिलों के जिला अतिथि गृहों के कमरों का पुनरीक्षित किराया**

क्र0	कमरा आवंटन की प्रकृति	वातानुकूलित कमरा का किराया (रू0 में)	गैर–वातानुकूलित कमरा का किराया (रू0 में)
1.	सरकारी कार्य हेतु सरकारी व्यक्तियों के लिए	₹150/– (एक सौ पचास रू0) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।	₹100/– (एक सौ रूपये) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।
2.	गैर सरकारी कार्य हेतु सरकारी व्यक्तियों के लिए	₹300/– (तीन सौ रूपये) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।	₹ 200/– (दो सौ रूपये) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।
3.	गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए (कमरा उपलब्ध होने की स्थिति में)	₹800/– (आठ सौ रूपये) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।	₹400/– (चार सौ रूपये) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।

इसके साथ निम्न शर्तें भी लागू होंगी :–

(क) कमरों का आरक्षण ऑन–लाईन प्रणाली से भी हो सकेगा। इसके लिए प्रणाली का सृजन/विकास संबंधित जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

(ख) किसी पदाधिकारी/व्यक्ति के नाम से एक पंचांग वर्ष में अधिकतम तीस दिनों तक का ही आरक्षण हो सकेगा, परन्तु एक बार में अधिकतम 07 (सात) दिनों तक का ही आरक्षण होगा एवं दो आरक्षण अवधि के बीच दो सप्ताह का अंतर (गैप) रहेगा।

(ग) जिला में पदस्थापित पदाधिकारी के निर्धारित उपर्युक्त अवधि से अधिक आवासित रहने की स्थिति में उक्त अतिरिक्त अवधि को गैर सरकारी कार्य हेतु आवासन माना जाएगा और तद्नुरूप, किराया लिया जाएगा।

(घ) आरक्षण अवधि की समाप्ति के बाद भी कमरा नहीं छोड़े जाने पर उपर्युक्त निर्धारित दर का तिगुना आरक्षण शुल्क देना होगा।

(ड़) अपवाद स्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निदेशित जिला में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु पदाधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि तक के लिए जिला पदाधिकारी कमरा आवंटित कर सकेंगे।

(च) राज्य मुख्यालय, पटना स्थित परिसदन/अतिथि गृह में राज्य के अन्य जिलों से अथवा अन्य राज्यों से स्थानांतरित होकर पटना आये पदाधिकारियों को दो माह अथवा भवन निर्माण विभाग के जो नियम प्रवृत्त हो या भवन निर्माण विभाग के निर्णय हो, तक के लिए कमरा आवंटित किया जा सकता है।

(छ) सरकारी कार्यो के लिए जिला अतिथि गृह में आवासित अवधि (वैध एवं अनुमान्य) के लिए व्यय किए गए किराये की राशि वित्त विभाग द्वारा निर्गत यात्रा–भत्ता नियम/प्रावधान के अनुसार प्रतिपूर्ति योग्य होगी।

(ज) कमरे में आवासित होने वाले सरकारी/गैर सरकारी व्यक्ति के लिए आधार पहचान–पत्र देना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–20/जि0अ0गृ0–02–03/2010 सा0प्र0 2722 पटना–15, दिनांक 31.8. 2021

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव के आप्त सचिव/अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद/सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31.8.2021
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

पत्रांक 10 / मार्गदर्शन 11 (बेगूसराय)- 15 / 2019सा0प्र0 6315 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

सेवा में,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ), जहानाबाद, मधुबनी, नालन्दा, बक्सर, मुंगेर एवं मोतिहारी

पटना–15, दिनांक 29.06./ 2020

विषयः– समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्णता के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक समाहरणालय कैमूर के पत्रांक–1693 दिनांक 30.12.2019, समाहरणालय जहानाबाद के पत्रांक–97 दिनांक–29.01.2020, समाहरणालय मधुबनी के पत्रांक–141 दिनांक–31.01.2020, समाहरणालय नालन्दा के पत्रांक–82 दिनांक 23.01.2020 एवं समाहरणालय बक्सर के पत्रांक–01–0307 दिनांक–10.02.2020, जिला पदाधिकारी, मुंगेर का पत्रांक 452 दिनांक–31.03.2020 एवं जिला पदाधिकारी, मोतिहारी का पत्रांक 64 दिनांक 19.03.2020 के संबंध में कहना है कि यद्यपि बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) की कंडिका 6 में लिपिकीय संवर्ग के पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट या समकक्ष निर्धारित है, तथापि, उक्त नियमावली में समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों की सेवा संपुष्टि अथवा वेतन वृद्धि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा की उत्तीर्णता का प्रावधान नहीं है।

2. अतएव, समूह 'ग' के कर्मी होने के बावजूद समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों को अधिसूचना संख्या–1609 दिनांक–24.05.2011 के प्रावधान के आलोक में सेवा संपुष्टि अथवा वेतन वृद्धि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं है।

3. वर्णित आलोक में उपर की कंडिका–2 का परामर्श संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन
ह0 / –
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 10 / मार्ग0–11–(बेगू0)–15 / 2019सा0प्र0 6315 / पटना–15, दिनांक 29.06/ 2020

प्रतिलिपि अन्य सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.6.2020
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

पत्र संख्या-3 एम-2/5-वे.पु.-9/99- 8825 वि.(2) /पटना, दिनांक 20 दिसम्बर, 2000

प्रेषक,

राजेश्वर सिंह,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना
पो0- हिन्नू, राँची

विषय :- समाहरणालय एवं अन्य मुफस्सिल कार्यालयों के लिपिकीय पदों के एकीकरण को पृथक करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर राज्य सरकार के विभिन्न पदों/संवर्गों की संरचना केन्द्र के अनुरूप पुनर्गठित करने का निर्णय वित्त विभाग के पत्र संख्या 6889 दिनांक 28.9.99 द्वारा संसूचित किया गया था और इसी क्रम में वित्त विभागीय पत्रांक 5206 दिनांक 24.5.80 द्वारा समाहरणालय एवं अन्य मुफ्फसिल कार्यालयों के अनुसचिवीय सरकारी सेवकों के निम्नवर्गीय एवं उच्च वर्गीय के पदों के एकीकरण को समाप्त किए जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था ।

2. वित्त विभागीय पत्रांक 5206 दिनांक 24.5.80 द्वारा समाहरणालय एवं अन्य मुफस्सिल कार्यालयों की स्थापना के निम्न वर्गीय लिपिक (वेतनमान रू0 220-315) एवं उच्च वर्गीय लिपिक (वेतनमान रू0 284-372) के पदों को एकीकृत कर लिपिक का पदनाम दिया गया था और उसके लिए रू0 284-372 का वेतनमान दिनांक 1.5.80 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया था ।

3. केन्द्र के अनुरूप पदों/संवर्गों की संरचना पुनर्गठित और विकसित करने के निर्णय को दृष्टि-पथ में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के उपर्युक्त राज्यादेश द्वारा एकीकृत किए गए लिपिकीय संवर्ग के पदों एवं वेतनमानों को निम्न प्रकार से पृथक (Demerge) कर दिया जाय :-

वर्तमान पदनाम	नये पदनाम	वेतनमान
लिपिक	निम्न वर्गीय लिपिक	3050-4500
	उच्च वर्गीय लिपिक	4000-6000

4. इस स्वीकृत्यादेश के निर्गत होने के पूर्व से कार्यरत लिपिक को उच्च वर्गीय लिपिक माना जाएगा ।

5. इस स्वीकृत्यादेश के निर्गत होने के बाद उपर्युक्त कंडिका 3 में वर्णित पृथक्कीकरण के अनुस लिपिक के पदों पर ही सीधी नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी और उच्च वर्गीय लिपिक का पद पूर्णतः प्रोन्नति जाएगा ।

इस निर्णय के फलस्वरूप वर्तमान में 'लिपिक' की रिक्तियाँ निम्न वर्गीय लिपिक की रि जाएँगी ।

(ii) यदि उच्चतर वेतनमान के लिपिक के पदों पर कोई नियुक्ति प्रक्रियाधीन हो तो उसे तात्कालिक प्र कर दिया जाए भले ही चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई हो । वैसे अभ्यर्थियों को बिना दुबारा शुल्क लिए निम्नत पदों पर नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा ।

6. फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा को ध्यान मे रखकर उपर्युक्त पदों से संबंधित संवर्ग के गठन हे पर्षद द्वारा भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली तैयार किए जाने पर इस संवर्ग के विभिन्न स्तरों का स्वरूप, भर्ती की प्रोन्नति की व्यवस्था आदि स्वतः स्पष्ट हो जायगी और तदनुसार इस स्वीकृत्यादेश में किए गए प्रावधान भी सं जाएँगे ।

विश्वासभाजन,

20/12/2000

(रामेश्वर सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-3 एम-2/5-वे.पु.9/99- 8825 वि.(2) पटना, दिनांक 20 दिसम्बर, 2000

प्रतिलिपि :- सचिव, राजस्व पर्षद - वे कृपया अविलंब प्रश्नगत संवर्ग के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम गठित करने की कार्रवाई करेंगे ।

20/12/2000

(रामेश्वर सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-3 एम-2/5-वे.पु.9/99- 8825 वि.(2) पटना, दिनांक 20 दिसम्बर, 2000

प्रतिलिपि :- सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

20/12/2000

(रामेश्वर सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

पत्र सं0–20/चि0प्र0–09–03/2024 सा.प्र.10493

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

ई–मेल
निबंधित

प्रेषक,

विनीता कुमारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 05.07.24

विषयः– राज्य के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु Master Circular/FAQ के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न जिलों से राज्य के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिक, आशुलिपिक, वाहन चालक एवं कार्यालय परिचारी संवर्ग के कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। जिलों से प्राप्त प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग के संकल्प/परिपत्र के अनुरूप नहीं रहने के कारण निष्पादन में विलंब होता है।

2. अतः क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत आवश्यक संकल्प/परिपत्र को संकलित कर Master Circular/FAQ तैयार किया गया है, जो विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित है।

3. अनुरोध है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत संकल्प/परिपत्र के आलोक में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

विनीता 5.7.2024

(विनीता कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 20/चि0प्र0–09–03/2024 सा.प्र.10493 पटना दिनांक– 05.07.24

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

विनीता 5.7.2024

सरकार के अवर सचिव।

FAQ

1. Q. चिकित्सा प्रतिपूर्ति किन्हें अनुमान्य है ?

   Ans. चिकित्सा प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवक एवं उनके आश्रित को अनुमान्य है।

2. Q. क्या बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है ?

   Ans. हाँ। बिहार राज्य के सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों को एवं उनके पति/पत्नी को चिकित्सीय व्यवस्था कतिपय शर्त्तों के अधीन किया गया है, जो स्वास्थ्य विभागीय संकल्प ज्ञापांक–944(14) दिनांक–20.08.2014 द्वारा परिचारित है।

   (अनु0:–संकल्प ज्ञापांक–944(14) दिनांक–20.08.2014)

3. Q. राज्य सरकार के कर्मियों के द्वारा राज्य से बाहर कराये गये चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु किन–किन अभिलेखो की आवश्यकता है ?

   Ans. राज्य सरकार के कर्मियों को राज्य से बाहर करायी गयी चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित अभिलेख वांछित है :–

   (i) चिकित्सा पूर्जा मूल/अभिप्रमाणित प्रति।

   (ii) स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–1070(14) दिनांक–20.05.2006 की कंडिका–3(iv) के आलोक में विहित चिकित्सा संस्थान में राज्य से बाहर चिकित्सा कराये जाने हेतु रेफर किये जाने की अनुशंसा का प्रमाण पत्र मूल में।

   (iii) डिस्चार्ज समरी मूल में।

   (iv) स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–997(14) दिनांक–28.08.2015 एवं 647(14) दिनांक–26.03.2012 द्वारा परिचारित विहित प्रपत्र पूर्ण रूपेण भरा हुआ हो एवं मुहरांकित तथा हस्ताक्षरित हो।

   (v) चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अभिश्रव मूल रूप में।

   (vi) आश्रित होने की स्थिति में शपथ–पत्र मूल रूप में।

   (vii) राज्य से बाहर चिकित्सा कराने की पूर्वानूमति से संबंधित आदेश पत्र।

   (viii) बाध्यकारी परिस्थिति में यदि घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव हो तो, कारण सहित प्रस्ताव।

   (ix) स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर अन्य निर्गत परिपत्र/संकल्प आदि के आलोक में प्रस्ताव।

(41)

4. Q. सरकारी सेवकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के उपस्थापन से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण किस परिपत्र द्वारा किया गया है ?

Ans. स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र संख्या–647(14) दिनांक–26.03.2012 द्वारा सरकारी सेवकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित दावे को स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या–1182(14) दिनांक–06.02.2006 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रपत्र–I के अनुसार जाँच पत्र तथा प्रपत्र–II के अनुसार अभिश्रवों के विवरण के साथ कार्यालय प्रधान के माध्यम से प्रशासी विभाग/नियंत्रण पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजे जाने का प्रावधान है।

(अनु0:–परिपत्र संख्या–647(14) दिनांक–26.03.2012)

5. Q. राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रित के चिकित्सा व्यय विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने तथा उसकी स्वीकृति किस नियम द्वारा की जाती है ?

Ans. स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–1450(14) दिनांक–27.06.2024 द्वारा राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रित के चिकित्सा व्यय विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने तथा उसकी स्वीकृति दी जाती है।

(अनु0:– पत्रांक–1450(14) दिनांक–27.06.2024)

6. Q. सरकारी सेवको की प्रतिपूर्ति हेतु चिकित्सा व्यय विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच/प्रतिहस्ताक्षरित किस संस्था द्वारा कराया जाना है ?

Ans. चिकित्सा व्यय की विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच/प्रतिहस्ताक्षरित हेतु स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–1450(14) दिनांक–27.06.2024 द्वारा परिचारित है।

7. Q. सरकारी सेवको को Caesarean/Normal Delivery Of Child की स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति का क्या प्रावधान है ?

Ans. चिकित्सा विभाग के परिपत्र संख्या–703(14) दिनांक–18.03.2021 द्वारा सरकारी सेवकों के Caesarean/Normal Delivery Of Child की स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमान्यता के संबंध में मार्गदर्शन निर्गत है, जिसमें अंतर्वासी चिकित्सा के अंतर्गत Accidental Abortion एवं सामान्य प्रसव/सिजेरियन प्रसव के मामलो में प्रथम दो जीवित संतानों के लिये सभी सरकारी कर्मियों/पदाधिकारियों को चिकित्सा व्यय की नियमानुसार प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी।

(अनु0:– परिपत्र संख्या–703(14) दिनांक–18.03.2021)

(48)

8. Q. सरकारी सेवको को चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु किन रोगो में बहिर्वासी चिकित्सा अनुमान्य है ?

Ans. स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या–1182(14) दिनांक–02.06.2006, 1177(14) दिनांक–14.08.2006 एवं 736(14) दिनांक–13.09.2022 में उल्लिखित रोगों में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु बहिर्वासी चिकित्सा अनुमान्य की गई है।

(अनु0:– संकल्प संख्या–1182(14) दिनांक–02.06.2006, 1177(14) दिनांक–14.08.2006 एवं 736(14) दिनांक–13.09.2022)

9. Q. क्या राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों द्वारा सरकारी/गैर सरकारी अस्पतालों में Same Day/Day Care में चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमान्य है ?

Ans. स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र संख्या–917(14) दिनांक–04.05.2022 द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों को Date Of Admission और Date Of Discharge (Date Of Death) के साथ Discharge Ticket जिस पर की गयी चिकित्सा/Procedure का विवरण अंकित हो, समप्रित किये जाने के उपरांत अंतर्वासी चिकित्सा पर व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमान्य है।

(अनु0:– परिपत्र संख्या–917(14) दिनांक–04.05.2022)

10. Q. राज्य के बाहर बिना पूर्वानुमति के बाध्यकारी परिस्थिति में कराये गये ईलाज की घटनोत्तर स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार कौन है ?

Ans. राज्य के बाहर बिना पूर्वानुमति के बाध्यकारी परिस्थिति में कराये गये ईलाज की घटनोत्तर स्वीकृति हेतु बिहार उपचार नियमावली के नियम–26 के अंतर्गत संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव सक्षम प्राधिकार हैं।

11. Q. राज्य के सरकारी कर्मियों का राज्य से बाहर एवं अंदर गैर सी0जी0एच0एस0 मान्यता प्राप्त अस्पतालों में चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में चिकित्सा व्यय अनुमान्य होगा ?

Ans. राज्य के सरकारी कर्मियों का राज्य से बाहर एवं अंदर गैर सी0जी0एच0एस0 मान्यता प्राप्त अस्पतालों में चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में सी0जी0एच0एस0 दर पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी।

(अनु0:– परिपत्र संख्या–946(14) दिनांक–14.08.2015)

12. Q. वर्तमान में चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र किस प्रारूप में बनाना है ?

Ans. स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र संख्या–997(14) दिनांक–28.08.2015 द्वारा पूर्व में प्रचारित चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र को विलोपित करते हुये चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप निर्गत किया गया है।

(अनु0:– परिपत्र संख्या–997(14) दिनांक–28.08.2015)

13. Q. वर्तमान में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति किस किस स्तर पर किया जाता है ?

Ans. स्वास्थ्य विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1450(14) दिनांक–27.06.2024 द्वारा प्रावधान किया गया हैं कि 1,00,000/– तक के विपत्र की स्वीकृति नियंत्री पदाधिकारी, 1,00,001/– से 10,00,000/– तक के विपत्र की स्वीकृति प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव तथा 10,00,000/– से ऊपर तक के विपत्र की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा किया जाता हैं।

(अनु0:– पत्रांक–1450(14) दिनांक–27.06.2024)

14. Q. वर्तमान में चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति हेतु क्या प्रावधान किया गया है ?

Ans. स्वास्थ्य विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2686(14) दिनांक–09.10.2023 द्वारा प्रावधान किया गया हैं कि संबंधित चिकित्सा संस्थान से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर प्राक्कलित राशि का 80% चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया जायेगा। अधिकतम 8 लाख तक राशि के अग्रिम की स्वीकृति प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा किया जाता हैं। 8 लाख रूपये से उपर राशि के अग्रिम की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा किया जाता हैं।

(अनु0:– पत्रांक–2686(14) दिनांक–09.10.2023)

15. Q. राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मियों के आश्रितों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आश्रितों की परिभाषा/उम्र सीमा के संबंध में क्या प्रावधान है ?

Ans. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–1920(14) दिनांक–13.08.2024 के कंडिका–3 में राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मियों के आश्रितों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आश्रितों की परिभाषा/उम्र सीमा को परिभाषित किया गया है।

(अनु0:– पत्रांक–1920(14) दिनांक–13.08.2024)

16. Q. राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मियों के आश्रितों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आश्रित की आय सीमा क्या है ?

Ans. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–1920(14) दिनांक–13.08.2024 के कंडिका–4 में निहित प्रावधान द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मियों के आश्रितों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आश्रित की आय सीमा निर्धारित की गयी है।

(अनु0:– पत्रांक–1920(14) दिनांक–13.08.2024)

चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत संकल्प/परिपत्र

क्र0	स्वास्थ्य विभागीय संकल्प/परिपत्र	विषय
1	1070 (14) दिनांक–20.05.2006	राज्य सरकार के कर्मियों की चिकित्सा की स्वीकृति एवं चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्तियों का प्रत्यायोजन।
2	3800 (14) दिनांक–10125.2003	राज्य के सेवी वर्ग को इन्ट्रा ऑकुलर लेंस इम्प्लांट एवं संबंधित शल्य चिकित्सा के लिये प्रतिपूर्ति की अधिकतम प्रतिपूर्ति योग्य राशि का निर्धारण।
3	647 (14) दिनांक–26.03.2012	सरकारी सेवकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के उपस्थापन की प्रक्रिया।
4	773 (14) दिनांक–08.10.2013	राज्य में ह्रदय रोग की चिकित्सा उपलब्ध कराने के संबंध में।
5	944 (14) दिनांक–20.08.2014	बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना की स्वीकृति।
6	946 (14) दिनांक–14.08.2015	सरकारी कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध मं मार्गदर्शन/दिशानिर्देश।
7	997 (14) दिनांक–28.08.2015	राज्य सरकार के कर्मियों के चिकित्सा विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के संबंध में।
8	703 (14) दिनांक–18.03.2021	सिजेरियन/नॉरमल डिलिवरी की स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की अनुमान्यता के संबंध में।
9	1462 (14) दिनांक–16.08.2021	राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन के संबंध में।
10	736 (14) दिनांक–13.04.2022	बिहार राज्य के पदाधिकारियों/कर्मियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अनुमान्य बहिर्वासी रोगों की सूची में 08 अन्य रोगों को सम्मिलित करने के संबंध में।
11	917 (14) दिनांक–04.05.2012	बिहार राज्य के पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा सरकारी/गैर सरकारी अस्पतालों में 01 दिन में करायी गयी अंतर्वासी चिकित्सा की अनुमान्यता के संबंध में।
12	118 (14) दिनांक–28.01.2022	राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों द्वारा करायी गयी चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
13	1450 (14) दिनांक–27.06.2024	राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उसके आश्रितों के चिकित्सा व्यय विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन के संबंध में।

सं0–14/विविध–05/2021

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

(37)

संकल्प

विषयः– राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन के संबंध में।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–946(14), दिनांक–14.08.2015 में निहित प्रावधान के तहत् राज्य के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए रू0 50,000/– (पचास हजार रुपया) की सीमा तक के व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की शक्ति संबंधित सिविल सर्जन के द्वारा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता के जाँचोपरान्त नियंत्री पदाधिकारी को प्रदत्त है। पुनः स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 1462(14), दिनांक– 16.08.2021 द्वारा राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्त्ति की स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन की गई परन्तु पूर्व में सिविल सर्जन के प्रत्यायोजित शक्ति को यथावत रखा गया है।

2. विभागीय संकल्प संख्या 1462(14), दिनांक– 16.08.2021 द्वारा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की राशि रू0 50,000/– (पचास हजार रुपया) तक की स्वीकृति के लिए पूर्व के प्रावधानों में निम्नरुपेण संशोधित किया जाता है :–

(i)	रू0 1,00,000/– (एक लाख) रुपया तक	संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता के जाँचोपरान्त नियंत्री पदाधिकारी द्वारा।
(ii)	रू0 1,00,001/– (एक लाख एक) रुपया से रू0 10 लाख (रू0 दस लाख) तक	संबंधित मेडिकल कॉलेज/अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा।
(iii)	रू0 10,00,000/– लाख (दस लाख) से ऊपर	संबंधित मेडिकल कॉलेज/अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा।

3. विभागीय परिपत्र संख्या–997(14), दिनांक–28.08.2015 द्वारा कुल 6 (छह) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को जिला/प्रमंडलवार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति हेतु रू0 50,000/– (पचास हजार रुपया) से ऊपर के चिकित्सा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच के लिए प्राधिकृत किया गया है। वर्त्तमान में बिहार सरकार के अन्तर्गत कुल 10 (दस) मेडिकल कॉलेज अस्पताल संचालित है। उक्त परिप्रेक्ष्य में पटना एवं अन्य जिलों से चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति हेतु प्राप्त दावों की संख्या में बढ़ोत्तरी के मद्देनजर

उत्पन्न कठिनाईयों एवं अनावश्यक विलंब को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति के दावों के त्वरित निष्पादन हेतु रू0 1,00,000/– (एक लाख रुपया) से ऊपर के चिकित्सा व्यय विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच/प्रतिहस्ताक्षरित करने का दायित्वों को पूर्व निर्गत प्रावधान विभागीय परिपत्र संख्या–997(14), दिनांक–28.08.2015 में निम्नरुपेण संशोधन किया जाता है :–

क्र0 सं0	चिकित्सा संस्थान		आवंटित जिला/प्रमंडल
1.	अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना।	–	पटना प्रमंडल का सिर्फ पटना जिला।
2.	अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना।	–	पटना प्रमंडल अंतर्गत भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर जिला।
3.	अधीक्षक, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा।	–	पटना प्रमंडल अंतर्गत नालन्दा जिला एवं मगध प्रमंडल अन्तर्गत नवादा जिला।
4.	अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया।	–	मगध प्रमंडल अंतर्गत गया, जहानाबाद, अरवल एवं औरंगाबाद जिला।
5.	अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरु चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर।	–	भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल।
6.	अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा।	–	दरभंगा प्रमंडल।
7.	अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर।	–	तिरहुत प्रमंडल के वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिला तथा सारण प्रमंडल।
8.	अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पूर्णियाँ।	–	पूर्णियाँ प्रमंडल।
9.	अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा।	–	कोशी प्रमंडल।
10.	अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया (पश्चिम चम्पारण)	–	तिरहुत प्रमंडल के पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण जिला।

4. उक्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में रोगों से संबंधित विभाग अनुपलब्ध होने की स्थिति में चिकित्सा व्यय विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के द्वारा किया जायेगा।

5. स्वास्थ्य विभाग उक्त प्रक्रियां में किसी भी प्रकार के परिवर्त्तन/संशोधन करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

(35)

6. उक्त सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। उक्त समिति में औषधि विभाग एवं शल्य चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष सदस्य के रुप में रहेंगे। आवश्यकतानुसार अधीक्षक चाहे तो अन्य विभागाध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में नामित कर सकते है। त्रिसदस्यीय समिति द्वारा सप्ताह में दो बार बैठक कर विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच/प्रतिहस्ताक्षरित कर संबंधित सरकारी सेवक के प्रशासी विभाग को लौटायेंगे।

7. पूर्व निर्गत स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या– 946(14); दिनांक– 19.08.2015, परिपत्र संख्या– 997(14), दिनांक– 28.08.2015 एवं संकल्प संख्या– 1462(14), दिनांक– 16.08.2021 इस हद तक संशोधित समझे जायेगे।

8. यह संकल्प निर्गतं होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(शशांक शेखर सिन्हा)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक –14/विविध– 05/2021 1450(14)/स्वा०, पटना, दिनांक– 27/06/2024

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई0गजट, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार/सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी निदेशक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक– 20.06.2024 की बैठक के मद संख्या–11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

27/6/24
सरकार के विशेष सचिव।

(34)

सं0 सं0 –14/एम 2 –45/2020

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राम ईश्वर (भा0प्र0से0),
संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार।
सभी सिविल सर्जन, बिहार।
निदेशक, इदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना।
निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों द्वारा करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव विभाग को भेजते समय विधिवत् जाँच नहीं की जाती है और प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है।

2. राज्य सरकार के कर्मियों की चिकित्सा हेतु विभाग द्वारा बिहार उपचार नियमावली प्रवृत्त है तथा समय–समय पर संकल्प/परिपत्र आदि निर्गत है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्राप्त दावे अधिकांशतः अस्पष्ट एवं त्रुटि पूर्ण रहते हैं। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि दावों के प्रस्तुतीकरण में अभिलेखों की विधिवत् जाँच किये बिना ही प्रस्ताव विभाग को भेज दिया जाता है और समीक्षा/जाँच क्रम में त्रुटियाँ परिलक्षित होती है, जिसका निराकरण कराने में अनावश्यक विलम्ब होता है। साथ ही यह भी पाया जा रहा है कि राज्य से बाहर चिकित्सा कराने हेतु बिना पूर्वानुमति के हीं चिकित्सा करा ली जाती है और चिकित्सोपरांत बाध्यकारी परिस्थिति का हवाला देते हुए घटनोत्तर स्वीकृति की अपेक्षा विभाग से की जाती है जो सही परम्परा नहीं है।

अतः उपरोक्त के आलोक में आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव संलग्न जाँच पत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये –

(1.) चिकित्सा राज्य से बाहर करायी गयी हो तो विभागीय संकल्प संख्या–1070(14), दिनांक–20.05.2006 की कंडिका–3(iv) में निहित प्रावधानानुसार पूर्वानुमति संबंधी आदेश की मूल प्रति संलग्न है।

(2.) राज्य से बाहर बिना पूर्वानुमति के चिकित्सा करायी गयी है तो नियंत्री पदाधिकारी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें की राज्य से बाहर बाध्यकारी परिस्थिति में चिकित्सा करायी गयी है या नहीं। यदि हाँ, तो घटनोत्तर स्वीकृति का स्पष्ट प्रस्ताव कारण साक्ष्य सहित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उल्लेख करते हुए संलग्न किया गया है।

(3.) विभागीय परिपत्र संख्या संख्या–997(14) दिनांक–28.08.2015 द्वारा लागू विहित चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण–पत्र की सभी प्रविष्टियाँ विधिवत् अंकित करते हुए निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर एवं मुहर (पदनाम सहित) अंकित है।

(33)

(4.) विपत्र मूल रूप में हो, जिस पर संबंधित चिकित्सारत् संस्थान के चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर (पदनाम सहित) अंकित है या नहीं।

(5.) चिकित्सा पूर्जा की मूल/अभिप्रमाणित प्रति संलग्न हो।

(6.) डिस्चार्ज समरी मूल रूप में हो। जिस पर संबंधित चिकित्सा संस्थान के चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर (पदनाम सहित) अंकित होना चाहिए।

(7.) अभिश्रवों के विवरणी की स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

(8.) आश्रित होने की स्थिति में प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी स्तर से निर्गत शपथ–पत्र की मूल प्रति, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि आश्रित का अन्य श्रोतों से कोई आय का साधन नहीं है।

(9.) विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों/संकल्पों तथा प्रवृत्त नियमावली के आलोक में भी जाँच कर लिया गया है।

उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित तथ्यों के आलोक में पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही विभाग को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया जाय।

नोट :– **उपर्युक्त वर्णित निदेश से अपने सभी अधीनस्थों को अवगत् कराना सुनिश्चित करेंगे।**

विश्वासभाजन

ह0/–
(राम ईश्वर)
संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–14/एम 2–45/2020 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

प्रतिलिपि :– निदेशक प्रमुख/अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

14/एम 2–45/2020 - 118 (14) पटना, दिनांक– 28.01.2022

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने तथा सभी संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

27/01/22
संयुक्त सचिव,

(32)

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा हेतु जाँच पत्र।

क्रमांक	जाँच पत्र	संधारित स्थिति (हाँ/नहीं)	अभ्युक्ति
1	2	3	5
1.	चिकित्सा राज्य से बाहर करायी गयी हो तो विभागीय संकल्प संख्या–1070(14), दिनांक–20.05.2006 की कंडिका–3(iv) में निहित प्रावधानानुसार पूर्वानुमति संबंधी आदेश की मूल प्रति संलग्न है।		
2.	राज्य से बाहर बिना पूर्वानुमति के चिकित्सा करायी गयी है तो नियंत्री पदाधिकारी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें की राज्य से बाहर बाध्यकारी परिस्थिति में चिकित्सा करायी गयी है या नहीं। यदि हाँ, तो घटनोत्तर स्वीकृति का स्पष्ट प्रस्ताव कारण साक्ष्य सहित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उल्लेख करते हुए संलग्न किया गया है।		
3.	विभागीय परिपत्र संख्या संख्या–997(14) दिनांक–28.08.2015 द्वारा लागू विहित चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण–पत्र की सभी प्रविष्टियाँ विधिवत् अंकित करते हुए निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर एवं मुहर (पदनाम सहित) अंकित है।		
4.	विपत्र मूल रूप में हो, जिस पर संबंधित चिकित्सारत् संस्थान के चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर (पदनाम सहित) अंकित है या नहीं।		
5.	चिकित्सा पूर्जा की मूल/अभिप्रमाणित प्रति संलग्न हो।		
6.	अंतर्वासी रोगी के मामले में डिस्चार्ज समरी मूल रूप में हो। जिस पर संबंधित चिकित्सा संस्थान के चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर (पदनाम सहित) अंकित है या नहीं।		
7.	अभिश्रवों के विवरणी की स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।		
8.	आश्रित होने की स्थिति में प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी स्तर से निर्गत शपथ–पत्र की मूल प्रति, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि आश्रित का अन्य श्रोतों से कोई आय का साधन नहीं है।		
9.	विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों/संकल्पों तथा प्रवृत्त नियमावली के आलोक में भी जाँच कर लिया गया है।		

सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर

(31)

सं0 सं0 –14/एम 2 –58/2021

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राम ईश्वर (भा0प्र0से0),
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल।
सभी सिविल सर्जन।

पटना, दिनांक–

विषयः– राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों द्वारा सरकारी/गैर सरकारी अस्पतालों में एक दिन (Same Day)/Day care में करायी गयी अंतर्वासी चिकित्सा की अनुमान्यता के संबंध में दिशा–निर्देश।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों द्वारा सरकारी/गैर सरकारी अस्पतालों में एक दिन (Same Day)/Day care में करायी गयी अंतर्वासी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमान्य है या नहीं, विभाग के समक्ष विचाराधीन था। उक्त पर विचार करने के लिए विभागीय आदेश संख्या–517(14), दिनांक–15.03.2022 द्वारा निदेशक प्रमुख (चिकित्सा शिक्षा), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना की अध्यक्षता में त्रिस्दसीय समिति का गठन करते हुए उनसे विभागीय अभिमत एवं अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है।

2. उक्त समिति से प्राप्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों द्वारा Date of Admission और Date of Discharge (Date of Death) के साथ Discharge Ticket, जिस पर की गयी चिकित्सा/Procedure का विवरण अंकित हो, समर्पित किये जाने के उपरांत उन्हें अंतर्वासी चिकित्सा पर व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमान्य की जायेगी।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(राम ईश्वर)
सरकार के संयुक्त सचिव।
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–14/एम 2 –58/2021 917 (14) पटना, दिनांक– 04/05/2022

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (ले0एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिप :–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक/अधीक्षक, सभी सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

04.05.22
सरकार के संयुक्त सचिव।

D/Rajesh sir/Letter-2

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संकल्प

736(14)
13.04.2022

(30)

विषय :–बिहार राज्य के पदाधिकारियों/कर्मियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अनुमान्य बहिर्वासी रोगों की सूची में आठ (08) अन्य रोगों को सम्मिलित करने के संबंध में।

बिहार उपचार नियमावली–1947 एवं इसके अंतर्गत समय–समय पर निर्गत विभिन्न आदेशों, परिपत्रों/संकल्पों के माध्यम से राज्य के सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों को चिन्हित बहिर्वासी रोगों की करायी गयी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति अनुमान्य है।

2. स्वास्थ्य विभागीय परिपत्र संख्या–1182(14), दिनांक–02.06.2006 द्वारा निम्नांकित कुल 06 (छः) बहिर्वासी रोगों की करायी गयी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति अनुमान्य है:–

(i) यक्ष्मा (T.B.)	(ii) कैंसर (Cancer)	(iii) कुष्ठ (Leprosy)
(iv) हृदय की शल्य क्रिया के बाद चिकित्सा पर हुए व्यय	(v) गुर्दा (Kidney) प्रत्यारोपण के बाद की चिकित्सा पर हुए व्यय की।	(vi) लिवर प्रत्यारोपण के बाद की चिकित्सा पर हुए व्यय ।

3. पुनः स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–1977 (14), दिनांक–14.08.2006 द्वारा उपरोक्त बहिर्वासी रोगो के अतिरिक्त निम्नांकित कुल 09 (नौ) रोगों की कराई गई बहिर्वासी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति अनुमान्य की गई है:–

(i) हेपेटाइटिस –सी	(ii) हेपेटाइटिस –बी	(iii) लिवर सिरोसिस
(iv) हेमोफिलिया	(v) प्लास्टिक एनीमिया	(vi) एड्स
(vii) कालाजार	(viii) लकवा	(ix) गुर्दा रोग में डायलेसिस आरम्भ होने पर।

4. उक्त निर्गत संकल्प/परिपत्र में उल्लेखित रोगों से इतर भी कई अन्य जटिल रोग हैं जिनकी चिकित्सा बहिर्वासी रोगी के रूप में की जाती है, पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के मामले सामने आ रहे है।

5. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार उपचार नियमावली के नियम–28 को दृष्टपथ रखते हुए बहिर्वासी चिकित्सा के अन्तर्गत वैसी रोगों जिनका उल्लेख पूर्व से निर्गत संकल्प/प्रावधान में नहीं किया गया है पर विचार करने के लिए विभागीय आदेश संख्या–1354(14), दिनांक–03.08.2021 द्वारा निदेशक प्रमुख (नर्सिंग) स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना की अध्यक्षता में चार सदस्यीय "बहिर्वासी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सरलीकरण समिति" का गठन करते हुए उनसे अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

6. "बहिर्वासी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सरलीकरण समिति" से प्राप्त अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा राज्य के पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए पूर्व से अनुमान्य उपरोक्त 15(पन्द्रह) रोगों के अतिरिक्त निम्नांकित–08(आठ) नये रोगों को बहिर्वासी रोगों के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुमान्य रोगों की सूची में सम्मिलित किया जाता है:–

29

(i)रूमेटी गठिया (Rheumatoid Arthritis)	(ii) क्रोहन रोग (Crohn's Disease)	(iii) अतिगलग्रंथिता (Hyperthyroidism)
(iv) सोरायसिस (Psoriasis)	(v) लाइकेन प्लानस (Lichen Planus)	(vi) मस्तिष्क पक्षाघात (Clerebral Palsy)
(vii) पार्किंसन रोग (Parkinson's Disease)	(viii) पेल्विक इंफ्लामेट्री (Pelvic inflammatory)	

7. पूर्व निर्गत संकल्प, परिपत्र एवं आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
8. यह संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(शैलेश कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक –14/विविध –08/2021 - 736(14) /स्वा०, पटना, दिनांक– 13.04.2022
प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई०गजट, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक –14/विविध –08/2021 - 736(14) /स्वा०, पटना, दिनांक– 13.04.2022
प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले०एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सभी विभाग/सचिव, बिहार विधान परिषद/बिहार विधान सभा/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अधीक्षक, सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/प्राचार्य सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/आई०जी०आई०सी०, पटना/निदेशक/अधीक्षक, सभी सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

संoसंo—14 / विविध—05 / 2021 1462 (14) 16.08.2021

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः—राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन के संबंध में।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या—946(14), दिनांक—14.08.2015 में निहित प्रावधान के तहत् राज्य के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए रू0 5,00,000/— (पाँच लाख) की सीमा तक के व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की शक्ति विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को प्रदत्त है। रूपये 5,00,000/— (पाँच लाख) से ऊपर की राशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में वित्त विभागीय सहमति के उपरांत प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव द्वारा स्वीकृति का प्रावधान है।

2. उक्त प्रावधान लगभग पाँच वर्ष पूर्व का है, जिसमें वर्तमान की परिस्थितियों को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के त्वरित निष्पादन हेतु चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए पूर्व के प्रावधानों में निम्नरूपेण संशोधन किए जाते हैं :—

(i)	रू0 50 हजार तक	संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता के जाँचोपरान्त नियंत्री पदाधिकारी द्वारा।
(ii)	रू0 50,001 (रू0 पचास हजार एक) से रू0 10 लाख (रू0 दस लाख) तक	संबंधित मेडिकल कॉलेज/अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में गठित त्रि—सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा।
(iii)	रू0 10 लाख (रू0 दस लाख) से ऊपर	वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव द्वारा।

3. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या—946(14), दिनांक—14.08.2015 की कंडिका—6 को इस हद तक संशोधित माना जाएगा। संकल्प की शेष तथ्य पूर्ववत् रहेंगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16/8/21

(राम ईश्वर)

सरकार के संयुक्त सचिव

D/N/Sanjeeth Pramop

(87)

ज्ञापांक –14/विविध –05/2021 1462(14) /स्वा०, पटना, दिनांक– 16.08.2021

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई०गजट, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/16.08.21

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –14/विविध –05/2021 1462(14)/स्वा०, पटना, दिनांक– 16.08.2021

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले०एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सभी विभाग/सचिव, बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अधीक्षक, सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/प्राचार्य सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/आई०जी०आई०सी०, पटना/लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/16.08.21

सरकार के संयुक्त सचिव

D/N/Santosh Prasad

सं0 सं0 –14/विविध–26/2013- 703(14)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल।
सभी सिविल सर्जन।

पटना, दिनांक– 18.03.2021

विषयः–Caesarean/Normal Delivery of Child की स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की अनुमान्यता के संबंध में मार्गदर्शन।

प्रसंग :–स्वास्थ्य विभागीय परिपत्र संख्या–2087(14), दिनांक–24.12.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक विभागीय परिपत्र द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि प्रसव कोई रोग नहीं है, प्रसव के लिए अन्तःवासी चिकित्सा के अन्तर्गत शल्य चिकित्सा/सामान्य प्रसव में चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमान्य नहीं है। इसके उपरान्त कतिपय विभाग से इस बिन्दु पर पुनर्विचार के प्राप्त अनुरोध के आलोक में मामले की सम्यक् समीक्षोपरांत यह स्पष्ट किया जाता है कि यह सत्य है कि प्रसव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें सामान्यतया किसी चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि प्रसव के दौरान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है तो जच्चा व बच्चा की Morbidity व Mortality में भी निश्चित कमी होती है तथा प्रसवजन्य परिस्थिति में कम होने वाली मानव क्षमता/Stress आदि में भी कमी होती है एवं जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है।

2. सरकार की घोषित नीति संस्थागत् प्रसव को प्रोत्साहन देना भी है। वहीं सीजेरियन प्रसव सामान्यतया गर्भ के दौरान किसी Complication एवं सुरक्षित रूप से सामान्य प्रसव संभव नहीं होने की दशा में किया जाता है।

3. वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मियों तथा कई राज्य सरकार अपने कर्मियों को सामान्य प्रसव व सिजेरियन प्रसव हेतु प्रतिपूर्ति/Insurance (Mediclaim) आधारित सुविधा उपलब्ध कराते हैं। साथ ही CGHS में भी इनके लिए प्रावधान किया गया है।

4. बिहार उपचार नियमावली के नियम–26 के अनुसार राज्य सरकार को यह शक्ति है कि वह किसी भी व्यक्ति को, जो इस नियमावली के अधीन उपचार या इलाज के लिए प्राधिकृत नही है, उपचार और इलाज की सुविधा प्रदान करे। राज्य कर्मियों को अन्तःवासी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमान्य है, जिसमें रोगों का बन्धेज नही है।

5. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में, मामले की सम्यक् समीक्षोपरांत यह मार्गदर्शन दिया जाता है कि अन्तःवासी चिकित्सा के अन्तर्गत Accidental एबॉर्शन एवं सामान्य प्रसव/सिजेरियन प्रसव के मामलों में, प्रथम दो जीवित संतानों तक के लिए, सभी सरकारी कर्मियों/पदाधिकारियों को, चिकित्सा व्यय की नियमानुसार प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी।

6. पूर्व में निर्गत प्रसव संबंधी स्वास्थ्य विभागीय पत्र/परिपत्र इस हद तक संशोधित समझा जाय।

7. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/ विविध–26/2013 - 703 (14) पटना, दिनांक– 18.03.2021

प्रतिलिपि :–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

94

पत्रांक– 14/विविध.–9/15 – 997(14)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

यशस्पति मिश्र
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सभी अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल।
सभी सिविल सर्जन।

पटना, दिनांक– 28-8-15

विषयः–राज्य सरकार के कर्मियों के चिकित्सा विपत्रो को प्रतिहस्ताक्षरित करने के संबंध में मार्ग दर्शन ।

प्रसंगः–स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–946(14) दिनांक–14.08.15 के कंडिका 8 के संबंध में दिशा निर्देश।

महाशय,

निदेशानुसार राज्य सरकार के कर्मियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से प्रतिपूर्ति हेतु नई व्यवस्था का संकल्प 946(14) दिनांक–14.08.15 जारी किया जा चुका है। संकल्प की कंडिका– (6) में रू0 50,000/–(पचास हजार) से ऊपर के चिकित्सा विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमान्यता एवं शुद्धता की जॉच करने की शक्ति सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अधीक्षकों को दी गई है।

अतः इसके अनुपालन में सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। उक्त समिति में औषधि विभाग एवं शल्य चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष सदस्य के रूप में रहेगे । आवश्यकतानुसार अधीक्षक चाहे तो अन्य विभागाध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित कर सकते हैं। त्रिसदस्यीय समिति द्वारा सप्ताह में दो बार बैठक कर विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमान्यता की जॉच कर संबंधित सरकारी सेवक के प्रशासी विभाग को लौटायेंगे।

रू0 50,000/–(पचास हजार) से ऊपर के चिकित्सा विपत्रों की अनुमान्यता, शुद्धता की जॉच/प्रतिहस्ताक्षरित करने का दायित्व सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अधीक्षकों को जिला/प्रमंडलवार निम्नवत् होगा :–

1. PMCH अधीक्षक–पटना प्रमंडल का सिर्फ पटना जिला।
2. NMCH अधीक्षक–पटना प्रमंडल के अन्य जिले पटना जिला को छोडकर।
3. ANMCH अधीक्षक गया–मगध प्रमंडल के सभी जिले।
4. JLNMCH अधीक्षक भागलपुर– भागलपुर मुंगेर एवं पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलें।
5. DMCH अधीक्षक दरभंगा– दरभंगा एवं कोशी प्रमंडल के सभी जिले।
6. SKMCH अधीक्षक मुजफ्फरपुर–तिरहुत एवं सारण प्रमंडल के सभी जिले।

तत्सबंधी आदेश ज्ञापांक 1182(14) दिनांक 02.6.06 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

d/d 2015 letter rajesh format(AutoSaved)

(24)

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–946(14) दिनांक–14.08.15 के कंडिका–(8) के आलोक मे पूर्व में प्रचलित प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र/प्रपत्र को विलोपित करते हुए एक सरल एवं सुस्पस्ट प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र बनाया गया है जो निम्नवत् होगा :–

चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति प्रमाण पत्र

(1) सरकारी सेवक का नाम/पदनाम एवं कार्यालय/विभाग का नाम :–

(2) रोगी का नाम एवं सरकारी सेवक से संबंध :–

(3) रोग/बीमारी का नाम :–

(4) चिकित्सा कराये गये सरकारी /सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त/अन्य अस्पताल का नाम:–

(5) चिकित्सा की अवधि तथा चिकित्सा कराने की प्रकृति :–

(क) अंतर्वासी चिकित्सा :–दिनांक–.....से दिनांक–.....तक

(ख) बहिर्वासी चिकित्सा :–दिनांक–.....से दिनांक–.....तक

(6) राज्य के बाहर चिकित्सा कराने हेतु सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा है या नही, संस्थान/पद नाम :–

(7) सक्षम प्राधिकार द्वारा चिकित्सा कराने की स्वीकृति (अनुमति)/घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है या नहीं :–

(8) चिकित्सा में हुए कुल व्यय राशि :–

चिकित्सारत संस्थान के
अधीक्षक/निदेशक का हस्ताक्षर एवं मुहर

सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

आदेश पर प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशानिर्देशो का दृढता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
यह आदेश ततकालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन
(यशस्पति मिश्र)
सरकार के उप सचिव।

d/r/ 2015 letter rajesh format(Autosaved)

23

सं0 सं0 14/विविध–9/2015
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संकल्प

विषयः सरकारी कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में मार्गदर्शन/दिशा निर्देश ।

राज्य के सरकारी कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति/अनुमति में विभिन्न प्रकार की कठिनाईया आ रही है, जिससे सरकारी कर्मियों एवं उनके आश्रितों कोससमय चिकित्सा सुविधा प्राप्ति में कठिनाईयों एवं अनावश्यक विलम्ब का सामना करना पड़ता है । कई परिस्थितियों में सरकारी कर्मियों द्वारा विभागीय जटिलताओं के कारण प्रतिपूर्ति का दावा छोड़ देना भी पड़ रहा है । सरकारी कर्मियों एवं विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जटिलताओं को दूर करने हेतु बार–बार अनुरोध पत्र प्राप्त हुए है ।

उक्त इन्हीं कठिनाईयों को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जटिलताओं को दूर करने हेतु संकल्पित है ।

2. इस निमित्त माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय समिति का सुझाव/अनुशंसा एवं सम्यक विचारोपरान्त राज्य के कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु निम्न प्रावधान किये गये है :–

3. (क) विधान मंडल के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य / अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी एवं राज्य कर्मी को राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर के सरकारी /सी0जी0एच0एस0 मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अस्पताल में चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी । बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0–14/विविध–38/2006–1079(14), दिनांक 07 अगस्त, 2007 के उपरान्त जो भी स्पष्टीकरण (Clarification) बिना सरकार की अनुमति से निर्गत है उन्हें एतद् द्वारा विलोपित किया जायेगा ।

(ख) राज्य से बाहर एवं अंदर गैर सी0जी0एच0एस0 मान्यता प्राप्त अस्पतालों में चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में सी0जी0एच0एस0 दर पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी ।

4. अन्तर्वासी चिकित्सा हेतु कमरा शुल्क निम्नवत होगा :–

(i) ग्रेड–पे – 8700/– एवं इसके उपर के कर्मियों को प्राइवेट रूम का खर्च देय होगा । यह सुविधा विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य को भी उपलब्ध रहेगी ।

(22)

(ii) ग्रेड पे – 6600/– से ग्रेड पे – 8700/– तक के कर्मियों को सेमी प्राईवेट रूम का खर्च देय होगा ।

(iii) ग्रेड पे – 6600/– के नीचे के कर्मियों को जेनरल वार्ड का खर्च देय होगा ।

(iv) आई0सी0यू0 चिकित्सा के मामले में सभी कर्मियों को बेड चार्ज के व्यय की कुल राशि अनुमान्य होगी ।

(v) जहाँ बेड का कैटेगराइजेशन उपलब्ध नहीं हो तो सभी ग्रेड पे के कर्मियों हेतु सी0जी0एच0एस0, मार्गदर्शिका/दर के अनुरूप मान्य होगा ।

(vi) किसी भी परिस्थिति में डिलक्स/सेमी डिलक्स रूम का चार्ज देय नहीं होगा ।

5. राज्य के बाहर बिना पूर्वानुमति के बाध्यकारी परिस्थिति में कराये गये इलाज की घटनोत्तर स्वीकृति बिहार उपचार नियमावली के नियम–28 के अन्तर्गत संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव प्रदान करेंगे ।

6. राज्यकर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति पूर्व के प्रावधानों को संशोधित करते हुए निम्नवत होगी :–

(i)	50 हजार रू0 तक –	संबंधित सिविल सर्जन के द्वारा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता के जाँचोपरान्त नियंत्री पदाधिकारी द्वारा ।
(ii)	50 हजार रू0 से उपर 5 लाख रू0 तक –	संबंधित मेडिकल कॉलेज/ अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग के विभागीय सचिव/ प्रधान सचिव द्वारा ।
(iii)	5 लाख से उपर –	वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा ।

(iv) विधान मंडल के पूर्व एवं वर्त्तमान सदस्य तथा अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी को आउटडोर चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने की स्थिति में किया जा सकेगा ।

(v) 5 लाख रू0 तक चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा तथा इससे उपर की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा दी जायेगी ।

(21)

7. (i) दंत चिकित्सा (Tooth extraction, RCT, Tooth implantation) पर हुए सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति कंडिका–3 के अनुरूप होगी, परंतु कास्मेटिक चिकित्सा की प्रतिपूर्ति अनुमान्य नहीं होगी ।

(ii) पेसमेकर Implantation, नेत्र (लेंस इम्पलान्ट) तथा कॉकलीयर इम्पलान्ट संबंधी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति कंडिका–3 के अनुरूप की जायेगी ।

8. सरल प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र (प्रपत्र) एवं संबंधित मेडिकल कॉलेज अस्तपतालों के अधीक्षकों को जिला/प्रमंडलवार चिकित्सा विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु अलग से मार्गदर्शिका प्रशासी विभाग द्वारा जारी किया जायेगा ।

9. पूर्व निर्गत संकल्प, परिपत्र एवं आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

10. यह संकल्प निर्गत होने वाली तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

ह0/–
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक

प्रतिलिपि–अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 946(14) पटना, दिनांक 14/8/15

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव सभी विभाग/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ अधीक्षक, सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन नई दिल्ली/आई. जी. आई. सी. पटना/जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\rajesh kumar\pandey\latest Medical Rules Cabinet note.doc

सं0 सं0 14/विविध–6/6(खंड– II)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

944(14)
20/8/14

संकल्प

विषय : बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना की स्वीकृति ।

सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों की ओर से उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न श्रोतों से अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। इसी प्रसंग में भिन्न–भिन्न कर्मचारियों संगठनों एवं पेंशनर समाज द्वारा भी माँग पत्र प्राप्त हुये हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मियों एवं पदाधिकारियों को एवं उनके पति/ पत्नी के लिए चिकित्सीय व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियो के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निम्न प्रावधान किये गये है।

2. प्रस्तावित सुविधा राज्य के सभी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों / पदाधिकारियोंएवं उनके पति/पत्नी (बोर्ड/निगम के कर्मियों को छोड़कर) एवं पारिवारिक पेंशनरों को उपलब्ध रहेगी।

3. (क) इसके मुख्य अवयव निम्नप्रकार होंगे:–

(i) राज्य में अवस्थित सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सारी चिकित्सीय सुविधाएँ इन्हें मुफ्त उपलब्ध करायी जाएँगी।

(ii) राज्य के अंदर एवं बाहर के CGHS द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पतालों में असाध्य रोगों के उपचार हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत अधिसूचित रोगवार अधिकतम व्ययसीमा के अंतर्गत राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) <u>राज्य के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय सुविधा:–</u>

इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नप्रकार होंगी:–

(i) सभी सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizen) के लिए विशिष्ट रूप से काउण्टर एवं बैठने की व्यवस्था हेतु कार्रवाई की जाएगी।

(ii) उन अस्पतालों में उपलब्ध सारी सुविधाएँ इन्हें मुफ्त दी जाएगी।

(iii) इन अस्पतालों में यदि निजी क्षेत्र की भागीदारी से कोई paid services चलायी जा रही हो या चलायी जानी वाले हो तब भी यह सुविधा इन्हें मुफ्त दी जाएगी। इस हेतु सरकार उन अस्पतालों (जहाँ paid services चल रहा हो) की रोगी कल्याण समितियों को राशि उपलब्ध करायी जाएगी और वह समिति इस हेतु राशि संबंधित रोगी को उपलब्ध कराएगी। इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए रोगी कल्याण समितियों को अग्रिम राशि दी जाएगी।

(ग) मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अधीन अधिसूचित रोगों के लिए राशि निम्नअनुसार है:-

क्रमांक		रोगों का नाम	अनुदान की राशि रूपये में	
			राज्य के अन्दर चिकित्सा	राज्य के बाहर चिकित्सा
[1]	[2]		[3]	[4]
1	कैंसर रोग	शल्य चिकित्सा सहित	40000	60000
		शल्य चिकित्सा रहित	20000	25000
2	हृदय रोग	डी0भी0आर0		130000
		एम0 भी0 आर0	90000	91000
		पेस मेकर	50000	50000
		एसटोनेसिस/बैलुनभ एसटोसी	25000	25000
		सी0ए0बी0जी0	60000	60000
		पी0टी0सी0ए0	85000	85000
		ए0एस0डी0	35000	37000
3	गुर्दा रोग	शल्य चिकित्सा सहित		150000
4	ब्रेन ट्यूमर	लघु शल्य क्रिया	15000	15000
		वृहत शल्य क्रिया	25000	25000
5	एड्स		50000	50000
6	टोटल हिप अथवा नी रिपलेसमेन्ट		15000	20000
7	स्पाईनल सर्जरी		10000	15000
8	मेजर वासकुलर सर्जरी		20000	25000
9	बोन मैरो ट्रान्सप्लान्ट		25000	25000

(i) "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" की योजना इन सेवानिवृत कर्मियों/पदाधिकारियों के लिए मान्य होगी । इसके लिए निर्धारित आय सीमा का बंधेज नहीं होगा।

(ii) राज्य के अंदर एवं बाहर सरकारी/CGHS द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पतालों में असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में रोगों के लिए प्रावधानित राशि की अधिसीमा तक राशि संबंधित संस्थान को उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(iii) इसके लिए संबंधित सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मी को चिकित्सा संस्थान की अनुशंसा /प्राक्कलन के साथ इस उद्देश्य के लिए गठित समिति के समक्ष अनुरोध देना होगा और वह समिति राशि की स्वीकृति देकर संबंधित संस्थान को उपलब्ध कराएगी।

(iv) इस हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की तर्ज पर सभी जिलों में निम्नानुसार समितियाँ गठित की जाएंगी:-

944(M)
20/8/14

(18)

1.	जिला पदाधिकारी/ उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	वरीय पुलीस अधीक्षक/ पुलीस अधीक्षक के प्रतिनिधि	–	सदस्य
3.	अधीक्षक, सदर अस्पताल	–	सदस्य
4.	जिला कल्याण पदाधिकारी	–	सदस्य
5.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी	–	सदस्य
6.	सिविल सर्जन	–	सदस्य सचिव

पटना जिला में चूँकि पेंशनधारियों की संख्या ज्यादा होगी इसलिए उपरोक्त जिलास्तरीय समितियों के अतिरिक्त पटना जिला में तीन अनुमंडलीय स्तर के समितियाँ कार्य करेंगी जो निम्नप्रकार होंगे:–

1.	अनमुंडल पदाधिकारी, पटना सदर / पटना सिटी / दानापुर	–	अध्यक्ष
2.	अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी, पटना सदर / पटना सिटी / दानापुर	–	सदस्य
3.	अधीक्षक / उपाधीक्षक, दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल / गर्दनीबाग अस्पताल / गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी	–	सदस्य
4.	अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, पटना सदर / पटना सिटी / दानापुर	–	सदस्य
5.	सिविल सर्जन के प्रतिनिधि	–	सदस्य सचिव

(घ) <u>अन्यान्य:–</u>

(i) यह योजना सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों के लिए ऐच्छिक होगी। उन्हें विकल्प होगा कि वे पूर्ववत् प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता सरकार से लेते रहें तो उस परिस्थिति में इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। यदि वे इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो चिकित्सा भत्ता नहीं लेना होगा और उस निर्णय की स्थिति में उन्हें और उनके पति/पत्नी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

(ii) दोनों विकल्पों में से एक का चयन संकल्प निर्गत होने की तिथि से 31, अक्टूबर, 2014 तक पूर्व से सेवानिवृत कर्मचारियों/ पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा । इस तिथि के पश्चात् सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी पेंशन प्रपत्र के साथ विकल्प दे सकेंगे ।

(iii) सेवानिवृत कर्मी/पदाधिकारी अपना विकल्प संबंधित बैंक शाखा/कोषागार जहाँ से वे पेंशन प्राप्त कर रहे है/उनकी पत्नी/पति पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को देंगे जिसके स्तर से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा कि वे चिकित्सा भत्ता नहीं ले रहे है ।

(iv) इस योजना के लिए इस वित्तीय वर्ष में व्यय का वहन मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से किया जाएगा और इस हेतु बजटीय उपबंध को बढ़ाया जाएगा। इस कोष से राशि 3(ख) एवं 3(ग) के लिए उपलब्ध करायी जाएगी जिस हेतु समितियों को एक बैंक एकाउण्ट संधारित करना होगा।

944(14)
20/8/14

(17)

(v) तत्काल 3(ग) के अंतर्गत गठित समितियों के कार्यालय कार्य / लेखा संधारण हेतु स्थानीय व्यवस्था कर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति जिला पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

4 इस महत्वकांक्षी योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तर पर स्वीकृति/ अनुमोदन प्राप्त किया जाना है । अतः इस योजना का कार्यान्वयन 01 नवम्बर, 2014 से राज्य में लागू होगा । इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शन आवश्यकतानुसार अलग से वित्त विभाग के परामर्श से जारी किया जायेगा ।

आदेश :–इस संकल्प को बिहार राज्य के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को जानकारी हेतु प्रकाशित करते हुए इसकी 500(पांच सौ) प्रतियाँ सभी विभागों/जिलाधिकारियों को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – 944(14) पटना,दिनांक –20|8|14

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस गुलजारबाग, पटना को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 944(14) पटना, दिनांक 20|8|14

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला एवं सचिवालय सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिय सभी विभाग/सभी जिलाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी (पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर)/अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी, पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर/अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अधीक्षक, सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/अधीक्षक/उपाधीक्षक सभी सदर अस्पताल/ निदेशक टी0 बी0 डी0सी0 पटना, दरभंगा/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवायें को सूचनार्थ।

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\sankalp\sankalp Revised person.doc

(16)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय: राज्य में हृदय रोग की चिकित्सा उपलब्ध कराने के संबंध में ।

हृदय रोग से संबंधित सुविधाओं को राज्य के सभी चिकित्सा महाविधालय एवं जिला अस्पतालों विकसित करने की आवश्यकता है । अभी राज्य में मूल रूप से सिर्फ पटना में इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान एवं इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में सुविधाऐं हैं ।

2. उपर्युक्त के आलोक में हृदय रोग की चिकित्सा सुविधा के विस्तार के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा निम्न निर्णय लिये गये है:-

(i) <u>सदर अस्पताल</u>

- 30 अक्टूबर तक हृदय रोगो से संबंधित सामान्य ओ0पी0डी0 एवं ई0सी0जी0 जॉच की सुविधाऐं उपलब्ध करायी जाएँगी ।
- 17 जिलों में आई0सी0यू0 की सुविधाऐं अक्टूबर माह में प्रारंभ की जायेगी एवं शेष जिलों में 31 जनवरी, 2014 तक ये सुविधाएँ लागू की जायेंगी ।
- सदर अस्पतालों के कुछ चिकित्सकों और पारामैडिकल कर्मियों को इस हद तक प्रशिक्षित किया जाएगा कि वे heart attack के cases का स्थानीय तौर पर प्रारंभिक management कर सकें ।
- सदर अस्पतालों में निम्नांकित cardiology procedures की सुविधाऐं स्थापित की जाएंगी:
  - ECG
  - Thrombolytic Therapy
  - Defibrialator Shock
  - NTG/Xylocard Infusion
  - ECHO Cardiography
- सभी जिलों में advance life savings equipment के साथ ambulance उपलबध रहेंगे जिसमें ventilators की सुविधाऐं है और जिसका उपयोग कर मरीजों को जिलों से पटना एवं राज्य अन्तर्गत अन्य मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों एवं रेफरल अस्पतालों को भेजा जा सकेगा ।
- IGIC एवं IGIMS के बीच 19-19 जिलें संबद्ध किए जाएँगे (सूची संलग्न) और ये दोनों संस्थान उन जिलों के mentors के रूप में कार्य करेंगे, जिसके अन्तर्गत संबंधित अस्पताल के चिकित्सकों और पारामैडिकल कर्मियों को प्रशिक्षण देना, मरीजों के बारे में परामर्श देना एवं रेफरल मामलों को handle करना शामिल होगा ।

(i) <u>मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल</u>

- सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को निम्नांकित सुविधाओं से युक्त किया जाएगा :-
  - ECG
  - TMT
  - Holter
  - Thrombolytic Therapy
  - CVP Line
  - Defibrialator Shock
  - NTG/Xylocard Infusion
  - ECHO Cardiography

- इसके अतिरिक्त अस्थायी pace maker लगाने की भी सुविधा इन अस्पतालों में होगी ।
- सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को भी दो भागों में विभक्त कर IGIMS एवं IGIC से संबद्ध किया जाएगा जो इनके mentors के रूप में कार्य करेंगे ।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधरण अंक में प्रकाशित किया जायेगा ।

ह0/-
(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – 1/विविध-55/2013 - 773(1) पटना, दिनांक 08/10/2013

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की इस संकल्प को राजपत्र के आगामी असाधरण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 200 प्रतियों उपलब्ध करावेंगे ।

ह0/-
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – 1/विविध-55/2013 - 773(1) पटना, दिनांक 08/10/2013

प्रतिलिपि – सचिव, स्वास्थ्य-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविधालय अस्पताल, बिहार/ सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/ कार्यकारी निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

8/10/2013
संयुक्त सचिव

IGIC एवं IGIMS के साथ संबंद्ध किए गये जिलों की सूची

क्र0सं0	IGIMS के साथ संबंद्ध किए गये जिलों का नाम	क्र0सं0	IGIC के साथ संबंद्ध किए गये जिलो का नाम
1	मधुबनी	1	जहानाबाद
2	सारण	2	शिवहर
3	बेगूसराय	3	अरवल
4	सहरसा	4	भोजपुर
5	मुजफ्फरपुर	5	कटिहार
6	किशनगंज	6	अररिया
7	समस्तीपुर	7	नवादा
8	औरंगाबाद	8	प0 चम्पारण
9	जमुई	9	कैमूर
10	सुपौल	10	नालन्दा
11	शेखपुरा	11	पटना
12	लखीसराय	12	मुंगेर
13	रोहतास	13	गोपालगंज
14	वैशाली	14	सीतामढ़ी
15	पूर्णियाँ	15	खगडिया
16	भागलपुर	16	बक्सर
17	गया	17	दरभंगा
18	मधेपुरा	18	बाँका
19	पूर्वी चम्पारण	19	सिवान

8/X/2013

(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव

773(1)
08/10/2013

(13)

संचिका सं0–14/विविध–04/12
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

बिमला प्रसाद
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव, बिहार
सभी विभागाध्यक्ष, बिहार,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,बिहार

पटना, दिनांक

विषयः– सरकारी सेवकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के उपस्थापन की प्रकिया।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भारी संख्या में दावे प्रशासी विभाग/वित विभाग में प्राप्त होते है। परन्तु दावों के प्रस्तुतीकरण में अस्पष्टता रहने के कारण इनपर निर्णय लेने में कठिनाई होती है तथा निर्णय में बिलंब होता है।

अतः प्रतिपूर्ति की प्रकिया के सरलीकरण हेतु निर्णय लिया गया है कि सभी प्रतिपूर्ति दावे स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0 1182 (14) दिनांक 6.2.2006 में विहित प्रकिया का अनुपालन करते हुए संलग्न प्रपत्र–I के अनुसार जॉच पत्र तथा प्रपत्र–II के अनुसार अभिश्रवों के विवरण के साथ ही कार्यालय प्रधान के माध्यम से प्रशासी विभाग/नियंत्रण पदाधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु भेजे जाय।

इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु, कृपया अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों/सरकारी सेवकों को इससे अवगत करा दिया जाय।

अनुलग्नक–यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/–
(बिमला प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 647 C14 पटना, दिनांक 26/03/12

प्रतिलिपिः–स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी/स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं अस्पतालों के प्राचार्य एवं अधीक्षक/सभी क्षेत्रीय निदेशक/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश किया जाता है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी दावों के प्रेषण में उपर्युक्त प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों/सरकारी सेवकों को इससे अवगत करा दिया जाय।

23/3/12

सरकार के संयुक्त सचिव
23.3.12

(12)

जॉच पत्र–I (चिकित्सा प्रतिपूर्ति)

राज्य के सरकारी सेवकों/उनके आश्रित सदस्यों की चिकित्सा संबंधी प्रतिपूर्ति दावा पर विचार हेतु जॉचपत्र

(1) सरकारी सेवक के कार्यालय का नामः–

(2) सरकारी सेवक का नाम एवं पदनामः–

(3) सरकारी सेवक स्वयं बीमार नहीं हो, तो सरकारी सेवक के बीमार आश्रित का नाम एवं सरकारी सेवक से संबंधः–

(4) रोग का नामः–

(5) चिकित्सा कराये गये सरकारी /सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त/अन्य अस्पताल का नामः–

(6) चिकित्सा की अवधि तथा चिकित्सा कराने की प्रकृति

(क) अंतर्वासी–कब से कब तक

(ख) बहिर्वासी–कब से कब तक

(7) रेफर करने वाले अस्पताल/चिकित्सा संस्थान का नामः–

(8) यदि रेफर नहीं है तो बाध्यकारी स्थिति का स्पष्ट विवरण

(9) राज्य के बाहर चिकित्सा कराने हेतु सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा है या नहीं:–

(10) यदि नहीं है, तो बाध्यकारी स्थिति का स्पष्ट विवरणः–

(11) राज्य के बाहर प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा रेफर किए गए मान्यता प्राप्त अस्पताल में ईलाज कराया गया है या उससे अलग।

(12) यदि अलग कराया गया है तो उसके लिए बाध्यकारी परिस्थिति का स्पष्ट विवरण

(13) क्या रोगी हृदय रोग से ग्रसित है।

(14) यदि हृदय रोग से ग्रसित है तो हृदय में लगायें गये उपकरण का नामः–

(15) अन्य लगाए गए उपकरण का नामः–

(16) डिस्चार्ज समरी का मूल या अभिप्रमाणित–प्रति संलग्न किया जायः–

(17) हॉस्पिटल द्वारा अनुशंसित राशिः–

(18) किये गये औषधियों/जॉच से संबंधित अभिश्रव/विपत्र (मूल रूप में) संबंधित संस्थान के चिकित्सक के द्वारा मुहर के साथ हस्ताक्षरित है या नहीं:–

(19) प्रतिपूर्ति प्रमाण–पत्र अस्पताल/संस्थान के अधीक्षक/निदेशक द्वारा मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षरित है या नहीं:–

सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

अग्रसारित करने वाले पदा0 का हस्ताक्षर एवं मुहर

(11)

अभिश्रवों की विवरणी–II

कम सं0	अभिश्रव सं0	अभिश्रव की तिथि	राशि	पृष्ठ सं0
कुल राशि				

सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

अग्रसारित करने वाले पदा0 का हस्ताक्षर एवं मुहर

D:\Prarup

संचिका संख्या 14/विविध-104/2002-3800 (14)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य चि०शि० एवं प०क० विभाग

संकल्प

विषय : राज्य के सेवी वर्ग को इन्ट्रा ऑकुलर लेंस इम्पलान्ट एवं संबंधित शल्य चिकित्सा के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम प्रतिपूर्ति योग्य राशि का निर्धारण

आँख के रोगियों के द्वारा इन्ट्र ऑकुलर लेंस लगाये जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग में जो प्रस्ताव आ रहे थे उसमें लेंस की दर की भिन्नता के कारण प्रतिपूर्ति की राशि में एकरूपता का अभावा पाया जा रहा है। फलस्वरूप लेंस की कीमत का निर्धारण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

2. सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों, राज्य सम्पोषित अस्पतालों एवं राज्य के बाहर अनुमति प्राप्त अस्पतालों में नेत्र रोग के लिए कराई गई अन्तर्वासी चिकित्सा से क्रम में इन्ट्रा ऑकुलर लेंस (फोल्डेड एवं अनफोल्डेड) इम्पलान्टेशन के लिए अधिकतम 5000/- (पाँच हजार) रुपये अनुमान्य होगा एवं शल्य चिकित्सा में होनें वाले व्यय जो अनुमान्य हो, दिया जाएगा। परंतु लेंस एवं चिकित्सा दोनों पर होनेवाले व्यय की अधिकतम सीमा मात्र 10,000/- (दस हजार) रुपये निर्धारित की जाती हैं।

3. इसमें मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि संकल्प बिहार गजट के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय तथा उसकी प्रतियाँ सभी सम्बद्ध पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित की जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सी०के० अनिल)
सरकार के अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-14/विविध-104/2002/3800 (14) स्वा०, पटना, दिनांक-10.12.03

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 2000 (दो हजार प्रतियाँ) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

ज्ञापांक-14/विविध-104/2002/3800 (14) स्वा०, पटना, दिनांक-10.12.03

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, राज्य के सभी कोषागार (उप कोषागार सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

110 00

सं0 सं0 14/विविध–04/2006
बिहार सरकार
स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग
संकल्प

1070(14)
20-5-2006

विषय: राज्य सरकार के कर्मियों की चिकित्सा की स्वीकृति एवं चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

वर्त्तमान में स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र सं0 24/एम12–01/99 4286(24) दिनांक 11.12.99 द्वारा राज्य सरकार के सेवी वर्ग की राज्य के अन्दर सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा में हुए व्यय रू0 5000–00 तक की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए कतिपय शर्तो के अधीन नियंत्रण पदाधिकारी प्राधिकृत है। रू0 5000/– से अधिक की प्रतिपूर्ति के मामलों में प्रतिपूर्ति की स्वीकृति स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से दी जाती है। इस व्यवस्था से राज्य कर्मियों को प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त होने में प्रक्रियात्मक विलम्ब का सामना करना पड़ता है और उन्हे आर्थिक कठिनाई भी होती है।

2. इसी प्रकार राज्य से बाहर राज्य कर्मियों को चिकित्सा हेतु बिहार उपचार नियमावली के नियम–26 के द्वारा सरकार को प्राप्त विशेषाधिकार का उपयोग कर, प्राधिकृत चिकित्सक एवं राज्य चिकित्सा पर्षद की अनुशंसा पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से सरकारी अस्पतालो में या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों (टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई कैंसर रोग के लिए एवं सी0एम0सी0 भेलोर, गुर्दा रोग के लिए) में चिकित्सा कराने की स्वीकृति दी जाती है। चिकित्सोपरान्त सरकारी कर्मियों के नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्राप्त होने पर जांचोपरान्त अनुमान्य राशि की प्रतिपूर्ति का राज्यादेश वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है। उक्त प्रक्रिया में भी अत्यधिक समय लग जाता है तथा राशि के अभाव मे कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा वाधित होती है।

1036
26/06/06

3. उपरोक्त प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि:–

(i) राज्य के अन्दर सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा केन्द्रों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालो में करायी गयी अन्तर्वासी चिकित्सा और निर्धारित रोगों के संबंध में वहिर्वासी चिकित्सा पर 20,000/– रूपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्ति संबंधित सरकारी सेवकों के नियंत्रण पदाधिकारी को होगा।

(ii) राज्य के अन्दर सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा कन्द्रों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों मे करायी गयी अन्तर्वासी चिकित्सा और निर्धारित रोगों के संबंध में वहिर्वासी चिकित्सा पर 20,001/– रूपये से 2,00,000/– रूपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्ति संबंधित सरकारी सेवक के विभागीय सचिव को होगा। विभागीय सचिव आंतरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी स्वीकृति देंगे । दो लाख से ऊपर के प्रस्ताव में संबंधित विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्णय लिया जायेगा।

(iii) राज्य के बाहर सरकारी अस्पतालों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालो में अन्तर्वासी तथा निर्धारित रोगों के संबंध में वहिर्वासी चिकित्सा पर दो लाख तक के व्यय के प्रतिपूर्ति की शक्ति संबंधित विभागीय सचिव को होगा। विभागीय सचिव आंतरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति देंगें । दो लाख से ऊपर के प्रस्ताव पर संबंधित विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृति दी जायगी ।

(iv) राज्य के बाहर सरकारी अस्पतालों या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में प्रथमवार चिकित्सा कराने की अनुमति के लिये संबंधित प्रस्ताव में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान पटना के निदेशक की अनुशंसा पर संबंधित सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी अनुमति प्रदान करगे। इसके पश्चात प्रत्येक चेक–अप के पूर्व संबंधित सरकारी सेवक के विभागीय सचिव को संबंधित बाहरी संस्थान के संबंधित चिकित्सक की अनुशंसा पर अनुमति प्रदान करेगे।

///

(v) राज्य के बाहर अथवा सरकारी अस्पतालों/राज्य सरकार द्वारा अन्य मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अन्तर्वासी चिकित्सा के लिये संबंधित संस्थान के प्राक्कलन आधार पर 80 प्रतिशत तक की राशि, अधिकतम दो लाख तक चिकित्सा अग्रिम आंतरिक वित्तीय सलाहाकार के परामर्श से विभाग क सचिव द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। दो लाख से अधिक चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृतिं वित्त विभाग की सहमति के पश्चात विभागीय सचिव द्वारा दी जायेगी।

(vi) प्रतिपूर्ति से संबंधित स्वीकृत्यादेश प्रतिपूर्ति के लिए सक्षम पदाधिकारी (नियंत्रण पदाधिकारी/विभागीय सचिव) के कार्यालय/ विभाग से निर्गत किया जायेगा। अग्रिम से संबंधित स्वीकृत्यादेश सबंधित विभाग से निर्गत किया जायेगा:

(vii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति/अग्रिम मे होने वाले व्यय का वहन आय–व्ययक के उसी शीर्ष से होगा जिससे संबंधित सरकारी सेवक अपना वेतन आदि प्राप्त करते है। संबंधित शीर्ष के अन्तर्गत प्राथमिक ईकाई 01 47 चिकित्सा प्रतिपूर्ति से विकलनीय होगा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वेतन ईकाई में प्राप्त आवंटन में से चिकित्सा प्रतिपूर्ति/अग्रिम की राशि उल्लिखित प्राथमिक इकाई में स्थानान्तरित कर प्रतिपूर्ति/अग्रिम विपत्र की निकासी करेगें। वेतन मद में कुल आवंटित राशि एवं प्रतिपूर्ति ईकाई में स्थानान्तरित राशि उपबंधित राशि से अधिक नही होगी ।

(viii) अग्रिम राशि का सामंजन निकासी के अधिकतम छः माह के अन्दर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। पूर्व के अग्रिम के सामंजन नही होने पर द्वितीय अग्रिम स्वीकृत नही किया जायेगा। निर्धारित अवधि में अग्रिम सामंजित नही होने पर संबंधित सरकारी सेवक को असामंजित अग्रिम की राशि को एक मुश्त जमा करना होगा। अग्रिम की निकासी एक माह के भीतर चिकित्सा प्रारम्भ नही होने पर अथवा चिकित्सा हेतु प्रस्थान नही करनें पर अग्रिम की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त राजकोष मे जमा करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं नियंत्रण पदाधिकारी का होगा।

(ix) उपरोक्त प्रक्रिया में साधारण परिवर्तन विभाग द्वारा भविष्य में वित्त विभाग की सहमति से किया जा सकेगा ।

20/5/06
(अरविन्द कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : 1070(14) /स्वा0, पटना, दिनांक : 20-5-06

प्रतिलिपि ; अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस,गुलजारबाग,पटना को राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

20/5/06
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : 1070(14) /स्वा0, पटना, दिनांक : 20-5-06

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/ लोकायुक्त, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, राज्यपाल, सचिवालय, बिहार/सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक उच्च न्यायालय पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/सभी अधीक्षक,राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक पदाधिकारी/सभी पदाधिकारीगण, स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अपने स्तर से इस संकल्प की प्रति अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

20/5/06
सरकार के उप सचिव

MIC:\Department\Section - 14\Sanlek State Govern order.doc

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों यथा–लिपिक, आशुलिपिक, वाहन चालक एवं कार्यालय परिचारियों के संदर्भ में FAQ :–

FAQ

स्थापना एवं मार्गदर्शन से संबंधित

1. Q. प्रशाखा–10 एवं 20 में कार्य की प्रकृति क्या है ?

   Ans. प्रशाखा–10 एवं 20 में समाहरणालय संवर्ग के अराजपत्रित यथा– आशुलिपिक, लिपिक, वाहन चालक एवं कार्यालय परिचारी/परिचारी(विशिष्ट) की नियुक्त, अंतरजिला स्थानांतरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि जैसे कार्यों का सम्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त उक्त संवर्ग से संबंधित नियमावली का निर्माण तथा न्यायिक मामलों का अनुश्रवण एवं संबद्ध सरकारी सेवकों से संबंधित अनेक मामले में अस्पष्टता की स्थिति में मार्गदर्शन भी दिया जाता है।

2. Q. प्रशाखा में पत्र प्राप्त होने पर कितने दिनों के अंदर उसपर कार्रवाई किये जाने का निदेश है ?

   Ans. विभागीय आदेश संख्या–18039दिनांक–23.09.2025 के साथ संलग्न तत्कालीन मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–3887 दिनांक–19.06.2008 में यथा निर्धारित समय–सीमा के अंदर प्रशाखा में प्राप्त होने वाले पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

3. Q. प्रशाखा में न्यायालीय मामलों से संबंधित पत्र/याचिका प्राप्त होने पर क्या कार्रवाई की जाती है ?

   Ans. प्रशाखा में न्यायालीय मामलों से संबंधित पत्र/याचिका प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विषयाधीन मामले में जिला पदाधिकारी को प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु पत्र/याचिका की प्रति हस्तांतरित कर दिया जाता है। जिस मामला में विभाग मुख्य प्रतिवादी के रूप में रहता है, उस मामले में विभाग स्तर से प्रतिशपथ पत्र दायर करने की कार्रवाई की जाती है।

4. Q. विधान सभा से संबंधित पत्र प्राप्त होने पर क्या कार्रवाई की जाती है ?

   Ans. विधान सभा से संबंधित पत्र प्राप्त होने पर संबंधित जिला पदाधिकारी से उत्तर प्रतिवेदन की मांग की जाती है। तत्पश्चात् जिला पदाधिकारी से प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन के आधार पर तैयार उत्तर पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर विधान सभा को भेज दिया जाता है।

5. Q. प्रशाखा में वाहन क्रय से संबंधित पत्र प्राप्त होने पर क्या कार्रवाई की जाती है ?

   Ans. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–7730 दिनांक–15.10.2018 के आलोक में प्रशाखा में वाहन क्रय से संबंधित प्राप्त पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(अनु0:–संकल्प ज्ञापांक–7730 दिनांक–15.10.2018)

6. Q. राज्य के विभिन्न स्तर के लोक सेवकों/पदाधिकारियों के उपयोग के लिये सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की निर्धारित अधिसीमा क्या है ?

Ans. वित्त विभागीय पत्रांक–10517 दिनांक–28.11.2023 द्वारा राज्य के विभिन्न स्तर के लोक सेवकों/पदाधिकारियों के उपयोग के लिये सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की अधिसीमा निर्धारित की गयी है।

(अनु0:–संकल्प ज्ञापांक–10517 दिनांक–28.11.2023)

7. Q. जिला अतिथि गृह के संचालन के संबंध में पत्र प्राप्त होने पर किस नियम/पत्र के आलोक में कार्रवाई की जाती है ?

Ans. जिला अतिथि गृह के संचालन के संबंध में पत्र प्राप्त होने पर विभागीय पत्रांक–7751 दिनांक–10.08.2010 के आलोक में कार्रवाई की जाती है।

8. Q. जिला अतिथि गृह के कमरों के किराये के संबंध में क्या प्रावधान है ?

Ans. जिला अतिथि गृह के कमरों के किराये के संबंध में विभागीय पत्रांक–9722 दिनांक–31.08.2021 द्वारा प्रावधान किया गया है।

9. Q. समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 दिये जाने के संबंध में पत्र प्राप्त होने पर क्या कार्रवाई की जाती है ?

Ans. ए0सी0पी0 नियमावली, 2003, एम0ए0सी0पी0 नियमावली, 2010 के आलोक में समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों को आवश्यक अहर्त्ता पूर्ण करने पर नियुक्ति प्राधिकार के स्तर से ए0सी0पी0/एम0सी0पी0 का लाभ प्रदान किया जाता है। यदि किसी बिन्दु पर मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती है, तो वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त कर संबंधित जिला पदाधिकारी को संसूचित किया जाता है।

10. Q. सूचना के अधिकार से संबंधित पत्र प्राप्त होने पर क्या कार्रवाई की जाती है ?

Ans. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनावेदक को 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का उपबंध/प्रावधान किया गया है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित पत्र प्रशाखा में प्राप्त होने पर यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए सूचनावेदक को सूचना उपलब्ध करायी जाती है।

11. Q. समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों के सेवांत लाभ से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर क्या कार्रवाई की जाती है ?

Ans. समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों यथा–लिपिक, आशुलिपिक, वाहन चालक एवं कार्यालय परिचारी का प्रशासनिक नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभाग, (प्रशाखा–10 एवं 20) है। उक्त कर्मियों के नियुक्ति प्राधिकार संबंधित जिला पदाधिकारी होते हैं। समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों के सेवानिवृति के उपरांत सभी तरह के सेवांत लाभ का भुगतान जिला स्तर से किया जाता है। अतएव समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों के सेवांत लाभ से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रशाखा द्वारा समेकित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तैयार कर विभागीय प्रशाखा–13 को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया जाता है।

12. Q. ई–डैशबोर्ड एवं सी0पी0ग्राम से संबंधित पत्रों पर क्या कार्रवाई की जाती है ?

Ans. ई–डैशबोर्ड एवं सी0पी0ग्राम से संबंधित पत्र प्राप्त होने पर संबंधित जिला पदाधिकारी को भेजते हुए उनसे प्रतिवेदन की मांग की जाती है। तत्पश्चात् जिला पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन को पीत पत्र के माध्यम से विभागीय प्रशाखा–25 को ई–डैशबोर्ड/सी0पी0ग्राम के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु भेज दिया जाता है।

13. Q. समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों को विभागीय अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार दिया जा सकता है अथवा नहीं ?

Ans. सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 द्वारा राज्यकर्मियों को प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्यकर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार दिये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान के आलोक में निर्धारित शर्त्त/अर्हताएँ पूर्ण करने पर समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों को भी नियुक्ति प्राधिकार द्वारा उच्चतर पद का प्रभार दिया जाता है।

14. Q. इन कर्मियों पर Jumping का प्रावधान लागू होगा या नहीं ?

Ans. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 एवं विभागीय ज्ञापांक–636 दिनांक–10.01.2024 द्वारा Jumping का प्रावधान फरवरी, 2024 तक ही लागू था।

15. Q. राज्य सरकार के अधीन कार्यालय परिचारी के पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु क्या प्रावधान है ?

Ans. सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–17975 दिनांक–22.09.2023 द्वारा अधिसूचित "बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी(विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2023" में निहित प्रावधान के अनुसार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पदों पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति के संबंध में कार्रवाई किया जाता है। उक्त नियमावली विभागीय वेबसाईट के होम पेज पर टैब एक्ट एंड रूल्स में अपलोड है।

16. Q. राज्य सरकार के अधीन कार्यालय परिचारी के पद पर नियमित नियुक्ति कर्मियों के प्रोन्नति सोपानों के लिये वेतन संरचना का क्या प्रावधान है ?

Ans. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–169 दिनांक–05.01.2024 द्वारा कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के संवर्ग हेतु प्रोन्नति सोपानों के लिये वेतन संरचना का प्रावधान किया गया है। उक्त संकल्प वित्त विभागीय वेबसाईट पर अपलोड है।

17. Q. राज्य सरकार के अधीन समाहरणालय संवर्ग के आशुलिपिक के पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु क्या प्रावधान है ?

Ans. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–21486 दिनांक–22.11.2023 द्वारा समाहरणालय संवर्ग के आशुलिपिक के पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति के संदर्भ में मास्टर सर्कुलर परिचारित किया गया है। उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट के होम पेज पर टैब मास्टर सर्कुलर में अपलोड है।

18. Q. राज्य सरकार के अधीन समाहरणालय संवर्ग के लिपिक के पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु क्या प्रावधान है ?

Ans. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–18121 दिनांक–26.09.2023 द्वारा समाहरणालय संवर्ग के लिपिक के पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति के संदर्भ में मास्टर सर्कुलर परिचारित किया गया है। उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट के होम पेज पर टैब मास्टर सर्कुलर में अपलोड है।

19. Q. राज्य सरकार के अधीन समाहरणालय संवर्ग के वाहन चालक के पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु क्या प्रावधान है ?

Ans. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–11985 दिनांक–31.07.2024 द्वारा समाहरणालय संवर्ग के वाहन चालक के पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति के संदर्भ में मास्टर सर्कुलर परिचारित किया गया है। उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट के होम पेज पर टैब मास्टर सर्कुलर में अपलोड है।

20. Q. समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों यथा–आशुलिपिक, लिपिक, वाहन चालक एवं कार्यालय परिचारी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में क्या प्रावधान है ?

Ans. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–10493 दिनांक–05.07.2024 द्वारा समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों यथा–आशुलिपिक, लिपिक, वाहन चालक एवं कार्यालय परिचारी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में मास्टर सर्कुलर FAQ के साथ सभी जिला पदाधिकारी को परिचारित किया गया है। उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट के होम पेज पर टैब मास्टर सर्कुलर में अपलोड है।

21. Q. समाहरणालय लिपिक संवर्ग के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों का निर्धारित प्रतिशत क्या है ?

Ans. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–23501 दिनांक–30.12.2022 द्वारा समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों का निर्धारण निम्नवत् किया गया है :–

कोटि का नाम	स्तर	प्रतिशत
निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि	60 %
उच्चवर्गीय लिपिक	प्रोन्नति का प्रथम स्तर	25 %
प्रधान लिपिक	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर	10 %
सहायक प्रशासी पदाधिकारी	प्रोन्नति का तृतीय स्तर	05 %

उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट के होम पेज पर टैब ऐक्ट एंड रूल्स में अपलोड है।

22. Q. समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के किन–किन पदों के लिये संविदा नियोजन का प्रावधान है ?

Ans. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–13256 दिनांक–21.08.2024 द्वारा समाहरणालय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक, उच्चवर्गीय लिपिक एवं प्रधान लिपिक के पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा नियोजन किया जायेगा। उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट के होम पेज पर टैब सर्कुलर/नोटिफिकेशन में अपलोड है।

23. Q. समाहरणालय संवर्ग के सेवानिवृत्त सहायक प्रशासी पदाधिकारी के पद पर क्या संविदा नियोजन किया जा सकता है ?

Ans. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–17098 दिनांक–22.10.2024 द्वारा समाहरणालय संवर्ग के सहायक प्रशासी पदाधिकारी के पद पर सेवानिवृत्त कर्मी का संविदा नियोजन किये जाने का प्रावधान किया गया है।

24. Q. समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों यथा–आशुलिपिक, लिपिक, वाहन चालक एवं कार्यालय परिचारी के स्थानांतरण हेतु क्या प्रावधान है ?

Ans. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–19947 दिनांक–26.10.2023 द्वारा समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों यथा–आशुलिपिक, लिपिक, वाहन चालक एवं कार्यालय परिचारी के स्थानांतरण के संबंध में मास्टर सर्कुलर FAQ के साथ सभी जिला पदाधिकारी को परिचारित किया गया है। उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट के होम पेज पर टैब मास्टर सर्कुलर में अपलोड है।

25. Q. समाहरणालय संवर्ग के लिपिक के वेतनमान के संबंध में क्या प्रावधान है ?

Ans. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–8825 दिनांक–20.12.2020 द्वारा समाहरणालय संवर्ग के लिपिकों का पृथक्कीकरण कर निम्नवर्गीय लिपिक एवं उच्चवर्गीय लिपिक पदनाम दिया गया। निम्नवर्गीय लिपिक का वेतनमान 3050–4500 एवं उच्चवर्गीय लिपिक का वेतनमान 4000–6000 निर्धारित किया गया। उक्त आदेश के निर्गत होने के पूर्व से कार्यरत लिपिक को उच्चवर्गीय लिपिक माना जायेगा और उक्त तिथि के उपरांत निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान 3050–4590 में ही सीधी नियुक्ति की जायेगी और उच्चवर्गीय लिपिक पूर्णतः प्रोन्नति का पद होगा।

26. Q. प्रशाखा में क्रियाशील संचिका का संधारण किस प्रकार किया जाता है ?

Ans. प्रशाखा में क्रियाशील संचिका का संधारण वर्षवार एवं विषयवार किया जाता है।

27. Q. अभिलेखागार में किस प्रकार की संचिका का संधारण किया जाता है ?

Ans. अक्रियाशील संचिकाओं की सूची विषयवार एवं वर्षवार बनाने के पश्चात् उसे विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। तत्पश्चात् संबंधित अक्रियाशील संचिकाओं को बंडल में रखकर अभिलेखागार में संधारित किया जाता है।

स्थानांतरण से संबंधित :–

28. Q. क्या समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों का अंतरप्रमंडलीय/अंतरजिला स्थानांतरण हेतु सीधे विभाग को समर्पित किये गये आवेदन पर स्थानांतरण–पदस्थापन की जाती है ?

Ans. नहीं। अंतरप्रमंडलीय/अंतरजिला स्थानांतरण हेतु कर्मियों का आवेदन संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से आवश्यक प्रपत्र में वांछित सूचना प्राप्त होने पर स्थानांतरण–पदस्थापन की कार्रवाई की जाती है।

29. Q. क्या समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों का पदस्थापित रहने वाले जिला से सेवा इतिहास आदि संबंधी सूचना विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराने पर विभाग द्वारा कर्मियों का स्थानांतरण– पदस्थापन कर दिया जाता है ?

Ans. नहीं। बल्कि कर्मियों के पदस्थापन रहने वाले जिलों से सेवा इतिहास आदि उचित माध्यम से प्राप्त होने पर, जिस जिले में कर्मी स्थानांतरण चाहते है, उन जिलों से रिक्ति एवं अनापत्ति की मांग की जाती है। प्राप्त होने पर तदनुसार स्थानांतरण–पदस्थापन की कार्रवाई की जाती है।

30. Q. क्या किसी कर्मी के उपर विभागीय कार्यवाही संचालित हो तो, उस कर्मी का अंतरप्रमंडलीय/अंतरजिला स्थानांतरण– पदस्थापन की जाती है ?

Ans. नहीं।

31. Q. आरक्षण कोटि एक ही हो तो क्या पारस्परिक स्थानांतरण किया जाता है ?

Ans. हाँ। संबंधित जिले से दोनों कर्मियों का सेवाइतिहास एवं अनापत्ति प्राप्त होने पर अंतरप्रमंडलीय/अंतरजिला स्थानांतरण– पदस्थापन की जाती है।

32. Q. क्या विभागीय पत्रांक–8593 दिनांक–31.05.2022 द्वारा परिचारिक प्रपत्र में सेवा इतिहास आदि उपलब्ध कराना आवश्यक है ?

Ans. हाँ। वांछित सूचना एवं एकरूपता की दृष्टि से आवश्यक है।

33. Q. क्या अंतरजिला स्थानांतरण हेतु कालावधि निर्धारित है ?

Ans. हाँ। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक–881 दिनांक–03.06.2009 द्वारा तीन वर्षो की सेवावधि पूरा होने के पश्चात् ही स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान किया गया है, परन्तु कार्यहित एवं विशेष परिस्थिति में उक्त समयावधि के अंदर अंतरजिला स्थानांतरण पर निर्णय लिया जा सकता है।

34. Q. अंतरजिला स्थानांतरण हेतु किस प्राधिकार का अनुमोदन अपेक्षित होता है ?

Ans. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक–881 दिनांक–03.06.2009 द्वारा वर्ष में एक बार जून माह में अंतरजिला स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान किया गया है। जून माह के अतिरिक्त स्थानांतरण किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से एक स्तर उपर के पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित :–

35. Q. चिकित्सा प्रतिपूर्ति किन्हें अनुमान्य है ?

Ans. चिकित्सा प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवक एवं उनके आश्रित को अनुमान्य है।

36. Q. क्या बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है ?

Ans. हाँ। बिहार राज्य के सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों को एवं उनके पति/पत्नी को चिकित्सीय व्यवस्था कतिपय शर्त्तों के अधीन किया गया है, जो स्वास्थ्य विभागीय संकल्प ज्ञापांक–944(14) दिनांक–20.08.2014 द्वारा परिचारित है।

(अनु0:–संकल्प ज्ञापांक–944(14) दिनांक–20.08.2014)

37. Q. राज्य सरकार के कर्मियों के द्वारा राज्य से बाहर कराये गये चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु किन–किन अभिलेखो की आवश्यकता है ?

Ans. राज्य सरकार के कर्मियों को राज्य से बाहर करायी गयी चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित अभिलेख वांछित है :–

(i) चिकित्सा पूर्जा मूल/अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–1070(14) दिनांक–20.05.2006 की कंडिका–3(iv) के आलोक में विहित चिकित्सा संस्थान में राज्य से बाहर चिकित्सा कराये जाने हेतु रेफर किये जाने की अनुशंसा का प्रमाण पत्र मूल में।

(iii) डिस्चार्ज समरी मूल में।

(iv) स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–997(14) दिनांक–28.08.2015 एवं 647(14) दिनांक–26.03.2012 द्वारा परिचारित विहित प्रपत्र पूर्ण रूपेण भरा हुआ हो एवं मुहरांकित तथा हस्ताक्षरित हो।

(v) चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अभिश्रव मूल रूप में।

(vi) आश्रित होने की स्थिति में शपथ–पत्र मूल रूप में।

(vii) राज्य से बाहर चिकित्सा कराने की पूर्वानूमति से संबंधित आदेश पत्र।

(viii) बाध्यकारी परिस्थिति में यदि घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव हो तो, कारण सहित प्रस्ताव।

(ix) स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर अन्य निर्गत परिपत्र/संकल्प आदि के आलोक में प्रस्ताव।

38. Q. सरकारी सेवकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के उपस्थापन से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण किस परिपत्र द्वारा किया गया है ?

Ans. स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र संख्या–647(14) दिनांक–26.03.2012 द्वारा सरकारी सेवकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित दावे को स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या–1182(14) दिनांक–06.02.2006 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रपत्र–I के अनुसार जाँच पत्र तथा प्रपत्र–II के अनुसार अभिश्रवों के विवरण के साथ कार्यालय प्रधान के माध्यम से प्रशासी विभाग/नियंत्रण पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजे जाने का प्रावधान है।

(अनु0:–परिपत्र संख्या–647(14) दिनांक–26.03.2012)

39. Q. राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रित के चिकित्सा व्यय विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने तथा उसकी स्वीकृति किस नियम द्वारा की जाती है ?

Ans. स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–1450(14) दिनांक–27.06.2024 द्वारा राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रित के चिकित्सा व्यय विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने तथा उसकी स्वीकृति दी जाती है।

(अनु0:– पत्रांक–1450(14) दिनांक–27.06.2024)

40. Q. सरकारी सेवको की प्रतिपूर्ति हेतु चिकित्सा व्यय विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच/प्रतिहस्ताक्षरित किस संस्था द्वारा कराया जाना है ?

Ans. चिकित्सा व्यय की विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच/प्रतिहस्ताक्षरित हेतु स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–1450(14) दिनांक–27.06.2024 द्वारा परिचारित है।

41. Q. सरकारी सेवको को Caesarean/Normal Delivery Of Child की स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति का क्या प्रावधान है ?

Ans. चिकित्सा विभाग के परिपत्र संख्या–703(14) दिनांक–18.03.2021 द्वारा सरकारी सेवकों के Caesarean/Normal Delivery Of Child की स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमान्यता के संबंध में मार्गदर्शन निर्गत है, जिसमें अंतर्वासी चिकित्सा के अंतर्गत Accidental Abortion एवं सामान्य प्रसव/सिजेरियन प्रसव के मामलो में प्रथम दो जीवित संतानों के लिये सभी सरकारी कर्मियों/पदाधिकारियों को चिकित्सा व्यय की नियमानुसार प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी।

(अनु0:– परिपत्र संख्या–703(14) दिनांक–18.03.2021)

42. Q. सरकारी सेवको को चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु किन रोगो में बहिर्वासी चिकित्सा अनुमान्य है ?

Ans. स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या–1182(14) दिनांक–02.06.2006, 1177(14) दिनांक–14.08.2006 एवं 736(14) दिनांक–13.09.2022 में उल्लिखित रोगों में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु बहिर्वासी चिकित्सा अनुमान्य की गई है।

(अनु0:– संकल्प संख्या–1182(14) दिनांक–02.06.2006, 1177(14) दिनांक–14.08.2006 एवं 736(14) दिनांक–13.09.2022)

43. Q. क्या राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों द्वारा सरकारी/गैर सरकारी अस्पतालों में Same Day/Day Care में चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमान्य है ?

Ans. स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र संख्या–917(14) दिनांक–04.05.2022 द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों को Date Of Admission और Date Of Discharge (Date Of Death) के साथ Discharge Ticket जिस पर की गयी चिकित्सा/Procedure का विवरण अंकित हो, समप्रित किये जाने के उपरांत अंतर्वासी चिकित्सा पर व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमान्य है।

(अनु0:– परिपत्र संख्या–917(14) दिनांक–04.05.2022)

44. Q. राज्य के बाहर बिना पूर्वानुमति के बाध्यकारी परिस्थिति में कराये गये ईलाज की घटनोत्तर स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार कौन है ?

Ans. राज्य के बाहर बिना पूर्वानुमति के बाध्यकारी परिस्थिति में कराये गये ईलाज की घटनोत्तर स्वीकृति हेतु बिहार उपचार नियमावली के नियम–26 के अंतर्गत संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव सक्षम प्राधिकार हैं।

45. Q. राज्य के सरकारी कर्मियों का राज्य से बाहर एवं अंदर गैर सी0जी0एच0एस0 मान्यता प्राप्त अस्पतालों में चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में चिकित्सा व्यय अनुमान्य होगा ?

Ans. राज्य के सरकारी कर्मियों का राज्य से बाहर एवं अंदर गैर सी0जी0एच0एस0 मान्यता प्राप्त अस्पतालों में चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में सी0जी0एच0एस0 दर पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी।

(अनु0:– परिपत्र संख्या–946(14) दिनांक–14.08.2015)

46. Q. वर्तमान में चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र किस प्रारूप में बनाना है ?

Ans. स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र संख्या–997(14) दिनांक–28.08.2015 द्वारा पूर्व में प्रचारित चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र को विलोपित करते हुये चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप निर्गत किया गया है।

(अनु0:– परिपत्र संख्या–997(14) दिनांक–28.08.2015)

47. Q. वर्तमान में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति किस किस स्तर पर किया जाता है ?

Ans. स्वास्थ्य विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1450(14) दिनांक–27.06.2024 द्वारा प्रावधान किया गया हैं कि 1,00,000/– तक के विपत्र की स्वीकृति नियंत्री पदाधिकारी, 1,00,001/– से 10,00,000/– तक के विपत्र की स्वीकृति प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव तथा 10,00,000/– से ऊपर तक के विपत्र की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा किया जाता हैं।

(अनु0:– पत्रांक–1450(14) दिनांक–27.06.2024)

48. Q. वर्तमान में चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति हेतु क्या प्रावधान किया गया है ?

Ans. स्वास्थ्य विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2686(14) दिनांक–09.10.2023 द्वारा प्रावधान किया गया हैं कि संबंधित चिकित्सा संस्थान से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर प्राक्कलित राशि का 80% चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया जायेगा। अधिकतम 8 लाख तक राशि के अग्रिम की स्वीकृति प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा किया जाता हैं। 8 लाख रूपये से उपर राशि के अग्रिम की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा किया जाता हैं।

(अनु0:– पत्रांक–2686(14) दिनांक–09.10.2023)

49. Q. राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मियों के आश्रितों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आश्रितों की परिभाषा/उम्र सीमा के संबंध में क्या प्रावधान है ?

Ans. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1920(14) दिनांक–13.08.2024 के कंडिका–3 में राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों के आश्रितों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आश्रितों की परिभाषा/उम्र सीमा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

(i) **पुत्र के लिये** :– उसके विवाह हो जाने तक या उसके द्वारा उपार्जन शुरू किये जाने अथवा 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो।

(ii) **पुत्री के लिये** :– आयु सीमा का विचार किये बिना उसके द्वारा उपार्जन शुरू किये जाने या उसके विवाह हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो।

(iii) **किसी तरह की स्थाीय अशक्तता से पीड़ित पुत्र/पुत्री (शारीरिक या मानसिक)** :– आयु सीमा पर विचार किये बिना तथा वैवाहिक स्थिति के होते हुए भी आश्रित माना जायेगा।

(iv) **आश्रत/तलाकशुदा/पति द्वारा परित्यक्त या उससे अलग हुई पुत्रियाँ/विधवा पुत्रियाँ तथा आश्रित अविवाहित/तलाकशुदा/पति द्वारा परित्यक्त या उससे अलग हुई बहनें/विधवा बहनें** :– आयु सीमा पर विचार किये बिना।

(अनु0:– पत्रांक–1920(14) दिनांक–13.08.2024)

50. Q. राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मियों के आश्रितो के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आश्रित की आय सीमा क्या है ?

Ans. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1920(14) दिनांक–13.08.2024 के कंडिका–4 में निहित प्रावधान द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मियों के आश्रितो के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आश्रित की आय सीमा निर्धारित की गयी है।

(अनु0:– पत्रांक–1920(14) दिनांक–13.08.2024)

पत्र संख्या–20/न्याय–05(पू0च0)–121/2019 सा.प्र. 5983 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

ई–मेल
निबंधित डाक

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/
प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 23-6-2020

विषयः– **राज्य में 'कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)' की रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–18612/2019 और सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–18070/2019, 17070/2019, 18148/2019 तथा 18443/2019 में दिनांक–18.12.2019 को पारित न्यायादेशों के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के संबंध में समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं, इस संबंध में :–

1. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–2916 दिनांक–16.09.2011 द्वारा राज्य के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों की स्थापना तथा मुफस्सिल स्थापना में कार्यरत समूह 'घ' के कर्मियों को 'कार्यालय परिचारी' तथा संकल्प संख्या–11358 दिनांक–01.09.2017 द्वारा विशिष्ट प्रकृति के कार्य का निष्पादन करने वाले समूह 'घ' कर्मियों को 'परिचारी (विशिष्ट)' पदनामित किया गया है। तद्नुसार अधिसूचना संख्या–8760 दिनांक–02.07.2019 द्वारा "बिहार समूह 'घ' (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्ते नियमावली, 2010)' को "बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी विशिष्ट (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्ते नियमावली, 2010)" के रूप में नामित किए जाने का निर्णय संसूचित है।

2. राज्य में कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पदों पर नियुक्तियों के लिए दिनांक–26.03.2010 को अधिसूचित बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2010 सम्प्रति प्रभावी है। इस नियमावली का विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में है, जो सचिवालय के विभागों एवं मुफस्सिल कार्यालयों पर समान रूप से लागू है।

3. दिनांक–26.03.2010 को अधिसूचित आलोच्य अधिसूचना में कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 'अष्टम् उत्तीर्ण' निर्धारित थी। तदन्तर, दिनांक– 12.12.2012 को अधिसूचित बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2012 द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन करते हुए उसे 'मैट्रिक उत्तीर्ण' के रूप में निर्धारित किया गया।

4. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19553 दिनांक 26.12.2013 द्वारा यह अधिसूचित भी हुआ कि कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) की संशोधित नियमावली, 2012 के दिनांक–12.12.2012 को अधिसूचित होने के पूर्व तक कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 'अष्टम् वर्ग' उत्तीर्ण रहेगी।

1/5

123

5. मिथिलेश पाठक एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से संबंधित एक अवमाननावाद (जो औरंगाबाद जिला से संबंधित था) में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7365 दिनांक–29.06.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद सहित सभी जिला पदाधिकारियों को कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) की नियुक्ति प्रक्रिया में कतिपय मापदंडों का प्रयोग किये जाने का मार्गदर्शन भेजा गया, जो निम्नांकित हैं:–

(i) जिन पदों के लिए जिला पदाधिकारी, चयन पदाधिकारी होते हैं तथा जिनके पारिश्रमिक का भुगतान बिहार सरकार की राशि से होता है, उन्हीं रिक्त पदों के विरूद्ध कार्य करने वाले दैनिक पारिश्रमिक के कार्यानुभव को वैध कार्यानुभव माना जा सकता है।

(ii) चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदकों का वैध कार्यानुभव/मानव दिवसों की गणना के आधार पर न्यूनतम 240 दिन की अर्हता मानते हुए मेधा सूची में प्रथम प्राथमिकता पर रखा जा सकता है।

(iii) रिक्त पदों के अवशेष रहने पर समाहरणालय एवं उससे सीधे रूप से सम्बद्ध कार्यालय यथा–अनुमण्डल कार्यालय, प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय इत्यादि में दैनिक पारिश्रमिक के तहत कार्य करने वाले कर्मियों के कार्यानुभव एवं मानव दिवसों की गणना कर मेधा सूची में द्वितीय प्राथमिकता पर रखा जा सकता है।

(iv) समाहरणालय एवं उससे सीधे रूप से संबद्ध कार्यालय के अतिरिक्त अन्य Line Department में कार्य करनेवाले दैनिक पारिश्रमिक के तरह कार्य करने वाले कर्मियों के कार्यानुभव/मानव दिवसों को मेधा सूची में तृतीय प्राथमिकता पर रखा जा सकता है।

(v) उपर्युक्त बिन्दुओं में कार्यानुभव/मानव दिवस की गणना समान रहने पर आवेदक को अधिक उम्र के आधार पर मेधा सूची में प्राथमिकता पर रखा जा सकता है।

(vi) बिना किसी कार्यानुभव वाले आवेदकों को अधिक उम्र के आधार पर मेधा सूची में चतुर्थ प्राथमिकता पर रखा जा सकता है।

6. विभिन्न जिलों में कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) की रिक्तियों के विरूद्ध संचालित प्रक्रिया और उनसे संबंधित विज्ञापन आदि का प्रतिकार करते हुए कुछ व्यक्तियों द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष समादेश याचिकाएँ दायर की गयी थीं। उन याचिकाओं के विवरण निम्नवत् हैं:–

(i) सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–18612/2019 (कपिल कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य)। यह याचिका गया जिला से संबंधित थी।

(ii) सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–18070/2019 (रामजी प्रसाद श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य)। यह याचिका पूर्वी चम्पारण जिला से संबंधित थी।

(iii) सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–17070/2019 (प्रवीण कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य)। यह याचिका मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित थी।

(iv) सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–18148/2019 (कैलाश तांती बनाम बिहार राज्य एवं अन्य)। यह याचिका सहरसा जिला से संबंधित थी।

(v) सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–18443/2019 (आशुतोष कुमार सिन्हा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य)। यह याचिका सहरसा जिला से संबंधित थी।

6.1 उपर्युक्त सभी याचिकाओं में न्यायादेश दिनांक 18.12.2019 को पारित हुए हैं। इनमें से सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–18612/2019 का न्यायादेश पृथक रूप से पारित हुआ है तथा शेष में समेकित रूप से पारित न्यायादेशों के प्रभावी अंश अग्ररूपेण हैं:–

124

(क) सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–18612/2019 में पारित न्यायादेश का प्रभावी अंश :–

" Noticing the constitutional provisions and the law as declared by the Supreme Court referred to above, in my opinion, the advertisement to the extent it allows preference under subclause (1)(2)(3)(4)(5) and (6) of Clause 7 are held to be illegal, violative of Articles 14 and 16 of the Constitution of India and are struck down accordingly. **Though, it may be open for the respondents to allow some reasonable weightage on rationale basis for those having work experience after having been selected through a transparent process of selection, the work experience as daily wager simpliciter cannot itself be the sole/ main criteria for selection and appointment.** The respondents are obliged to follow a fair process of selection in accordance with the statutory rules and constitutional mandate. It is noteworthy that though the rules have been framed for selection and appointment against Class-IV (Group-D) posts, no clear and definite process of selection has been laid down, therein. If no transparent, fair and impartial procedure is adopted for judging the inter se merit of the candidates, who have applied in response to the advertisement made, the eligible candidates cannot get a fair chance to compete, which would be violative of the guarantee enshrined under Article 16 of the Constitution, as held in case of UPSC vs. Girish Jayanti Lal Vaghela (supra)."

" These writ applications are accordingly disposed of with specific direction to the respondents, particularly, the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, General Administration Department, Government of Bihar, Commissioner, Madadh Division, Gaya and the District Magistrate, Gaya to ensure that the process of selection through the advertisement in question is completed by adopting a fair procedure. **In my opinion, holding of written examination of the candidates who have applied against the said advertisement would be a fair procedure for preparation of merit-list, in the absence of any provision in the Rules.** This, in my opinion, would ensure transparency in the process of selection. Since the advertisement was issued more than six years ago, the respondents are directed to conclude the process of selection and appointment against such posts, which were available on the date of issuance of advertisement, within a period of three months from today. The respondents are further directed to ensure that a fair process of selection, strictly in accordance with statutory rules and in conformity with the mandate of Articles 14 and 16 of the Constitution is undertaken on regular basis, after advertising number of post, so that the persons acquiring eligibility after the initiation of one selection process have a chance to seek and participate in subsequent selection processes. This practice of fairness in the process of selection for filling up public posts generates faith in the hearts and minds of the citizen in the governance, laws and the Constitution."

3/5

125

(ख) सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–18070/2019, 17070/2019, 18148/2019 तथा 18443/2019 का प्रभावी अंश :–

"These writ applications are accordingly disposed of in terms of the said judgment and order dated 18.12.2019 passed in CWJC No.18182 of 2019 (Kapil Kumar Vs. State of Bihar & Ors.) and other analogous cases. Consequently the Sub-clause (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of the advertisement dated 13.03.2013 (Annexure-4), are declared to be illegal and constitutionally invalid, in teeth of Articles 14 and 16 of the Constitution of India, and are, therefore, struck down. The respondents are directed proceed to adopt a fair process of selection on the basis of applications received pursuant to the said advertisement, by holding a written examination. The observations and directions issued by this Court in case of Kapil Kumar (Supra) shall be applied mutatis mutandis in the present case."

"If same is the practice being followed, as was being followed in the districts of Gaya and East Champaran, in other districts, the State Government will have to ensure that the selections are made strictly in accordance with law and the rules and in the light of the observations made by this Court in case of Kapil Kumar vs. State of Bihar (Supra), through out the State of Bihar. The respondents are restrained from adopting any other method of selection and appointment against Class-IV posts in question in the Collectorates and its attached offices, in violation of the statutory rules and Articles 14 and 16 of the Constitution of India."

7. **उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि –**

(i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत उक्त विभागीय परिपत्र संख्या/ज्ञापांक–7365 दिनांक–29.06.2011 को रद्द किया जाता है।

(ii). सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या/ज्ञापांक–7365 दिनांक–29.06.2011 के निर्देशों के अनुरूप कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) की रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु विभिन्न विभागों/जिलों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में निहित अभ्यर्थियों की कार्यानुभव आधारित प्राथमिकता निर्धारण से संबंधित मानदंड नियुक्ति प्रक्रिया में लागू नहीं माने जाएँगे।

(iii) संबंधित सभी विभागों/जिलों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के आलोक में समर्पित हुए आवेदन तथा संदर्भित विज्ञापनों की प्रतिलिपि और आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की गणना सहित संबंधित अभ्यर्थियों की प्रमाणिक सूचियों (Hard Copy with Soft Copy) की माँग सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जाएगी और उन्हें समेकित रूप से बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को भेजा जाएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के स्तर से प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में ऑन लाइन समर्पित आवेदनों का सत्यापन आयोग द्वारा आलोच्य कागजात से मिलान कर किया जाएगा।

(iv) उक्त विभागीय पत्र के अनुरूप विभिन्न विभागों/जिलों द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में समर्पित आवेदनों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के बीच One time measure के रूप में एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसके लिये विज्ञापन का प्रकाशन तथा परीक्षा का आयोजन बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा किया जायेगा। विज्ञापन के आलोक में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन दिया जाएगा।

(v) माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या/ज्ञापांक–7365 दिनांक–29.06.2011 में निहित समूह 'घ' के कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की कार्यानुभव आधारित प्राथमिकता संबंधी मानदंड को निरस्त कर दिये जाने के कारण उक्त मानदण्डों के अनुरूप विभिन्न जिलों में प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से हुई नियुक्तियों से संबंधित व्यक्ति भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा आयोजित होने वाली आलोच्य परीक्षा में अनिवार्यतः शामिल होंगे।

(vi) परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, जो दसवीं/समकक्ष स्तर के सामान्य ज्ञान, सामान्य अंक गणित और सामान्य हिन्दी ज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 होगा।

(vii) परीक्षा शुल्क का निर्धारण बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा किया जाएगा।

(viii) कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) की नियुक्ति की उपर्युक्त प्रक्रिया से आच्छादित पूर्व से विज्ञापित रिक्तियों के विरूद्ध विभाग/जिला स्तर पर नियुक्ति की कार्रवाई विभाग/जिला पदाधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। इस हेतु स्वच्छ विज्ञापन का प्रकाशन बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

8. राज्य में समूह 'घ' की होने वाली भावी नियुक्तियों के संबंध में उपयुक्त निर्णय बाद में लिया जाएगा।

विश्वासभाजन

23.6.20

(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–20/विविध–01(पू0च0)–121/2019 सा0प्र0 5983 /पटना–15, दि0 23-6- 2020

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

23.6.20

(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–20/विविध–01(पू0च0)–121/2019 सा0प्र0 5983 /पटना–15, दि0 23-6- 2020

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित के ई–मेल आई0डी0 पर भेजने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23.6.20

(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के अपर सचिव।

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1945 (श0)

(सं0 पटना 829) पटना, शुक्रवार, 13 अक्तूबर 2023

सं0–11/आ0 नी0–I–03/2023 (खण्ड)19300/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

13 अक्तूबर 2023

प्रस्तावना :– राज्य के प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने की प्रक्रिया के संबंध में।

1. (i) जहाँ कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष वादों के लंबित रहने की स्थिति में दिनांक–11.04.2019 से राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति नहीं दी जा रही है।

(ii) जहाँ कि राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति की प्रक्रिया विगत कई वर्षों से अवरूद्ध है एवं राज्याधीन सेवाओं में 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार प्रोन्नति के पदों पर रिक्ति की संख्या लगभग 76,595 है।

(iii) जहाँ कि विगत कई वर्षों में बड़ी संख्या में राज्य के लोक सेवक बिना प्रोन्नति के सेवानिवृत हो चुके हैं।

(iv) जहाँ कि राज्याधीन सेवाओं के प्रोन्नति के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं।

(v) जहाँ कि उच्चतर पदों पर रिक्तियों की व्यापकता के कारण राज्य सरकार का कार्य प्रभावित हो रहा है।

(vi) जहाँ कि राज्य के प्रशासनिक एवं लोक हित में इस विषय से संबंधित वादों में माननीय न्यायालयों द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक की अवधि के लिए उच्चतर प्रोन्नत पदों के लिए कार्यकारी व्यवस्था किया जाना आवश्यक समझा जा रहा है।

अतएव अब भारतीय संविधान की अनुच्छेद–309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में बिहार के राज्यपाल के आदेश से निम्नलिखित नियमावली बनायी जाती है :–

2. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार राज्य के सभी सेवाओं/कैडर में समूह–'क', 'ख' एवं 'ग' तक सीमित रहेगा।

(3) इस नियमावली का विस्तार राज्य पोषित संस्थानों, वैधानिक संकायों, समितियों एवं ऐसे संस्थानों में भी होगा, जो राज्य सरकार के वित्तीय समर्थन से संचालित एवं कार्यान्वित की जाती है।

3. लागू होने की समय एवं तिथि– यह नियमावली बिहार गजट में प्रकाशन के पश्चात तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

4. परिभाषाएँ–

(1) **सरकार** से अभिप्रेत है, **बिहार सरकार।**

(2) **बेसिक ग्रेड** के पद से अभिप्रेत है, **समूह–'क', 'ख' एवं 'ग' में प्रवेश का स्तर।**

(3) **उच्चतर पद के प्रभार** से अभिप्रेत है, समूह–'क', 'ख' एवं 'ग' में प्रत्येक अगला उच्चतर पद एवं समूह–'ग' से समूह–'ख' एवं समूह–'ख' से समूह–'क' के पदानुक्रम में विहित वेतनमान सहित उच्चतर पद का प्रभार।

(4) **सक्षम प्राधिकार** से अभिप्रेत है, वह प्राधिकार, जिसमें प्रोन्नति देने की शक्ति निहित है।

(5) विभागीय प्रोन्नति समिति/स्क्रीनिंग समिति से अभिप्रेत है, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य विभागों के अंतर्गत प्रोन्नति देने हेतु बनाई गयी समिति।

(6) **आयोग** से अभिप्रेत है, **बिहार लोक सेवा आयोग।**

(7) **नियुक्ति प्राधिकार** से अभिप्रेत है, जिसे राज्य के विभिन्न सेवा नियमावली में नियुक्ति प्राधिकार बनाया गया है।

5. नियमावली के संचालन की सीमा–

(1) इस नियमावली का उद्देश्य राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवकों के नियमित प्रोन्नति होने तक पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था करना है।

(2) यह अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था किसी लोक सेवक को उच्चतर सेवा/कैडर में विहित वेतनमान सहित उच्चतर पद का प्रभार देने के लिए की गयी है। ऐसी अस्थायी व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने मात्र के आधार पर ऐसे कर्मी/पदाधिकारी, उच्चतर पद पर विधिवत प्रोन्नति पाने के हकदार नहीं होंगे।

6. अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था का परिणाम–

(i) इस नियमावली के अधीन अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतर पद धारित लोक सेवक को उच्चतर पद का वेतनमान एवं सभी सुविधाएँ पाने के योग्य होंगे।

(ii) भविष्य में नियमित प्रोन्नति पाने के पश्चात अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतर पद का लाभ प्राप्त करने वाले लोक सेवक यह सुविधा लगातार प्राप्त करते रहेंगे।

(iii) नियमित प्रोन्नति की प्रक्रिया में अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतर पद का प्रभार धारित लोक सेवक किसी कारणवश प्रोन्नति प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे उच्चतर पद से उसके मूल पद पर वापस कर दिया जाएगा, यद्यपि उच्चतर पद के आधार पर प्राप्त की गयी वेतन–भत्ते एवं सुविधाओं की वसूली उनसे नहीं की जाएगी।

(iv) इस नियमावली के अधीन अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के लिए रोस्टर क्लीयरेंस की व्यवस्था नियमित प्रोन्नति की व्यवस्था आरम्भ होने तक स्थगित रखी जाएगी।

(v) (क) अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कैडर (पद) के कुल स्वीकृत पद का 16 प्रतिशत की दर से एवं अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कैडर (पद) का 01 प्रतिशत की दर से अर्थात कुल 17 प्रतिशत की दर से पद सुरक्षित रखे जाएंगे।

(उदाहरणस्वरूप–कोटि– स्वीकृत पद – अनुमान्यता – कार्यरत – रिक्ति, जिसे सुरक्षित रखना है)

SC	200	200 x 16% =	32	12	20
ST	200	200 x 1% =	2	0	2

(ख) उपर्युक्त कंडिका–(v) (क) में दिए गए उदाहरण के अनुसार सुरक्षित रखे जाने वाले पदों के अतिरिक्त 83% पदों को आधार मान कर उच्चतर पद का प्रभार दिए जाने के समय यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 16% एवं 01% पद स्वतः नहीं भरे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में Adequate Representation अर्थात 16% एवं 01% पूरा करने के लिए उतनी संख्या में रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से सुरक्षित रख लिया जाएगा, जिसके संबंध में भविष्य में निर्णय लिया जा सकेगा।

उदाहरणस्वरूप यदि किसी संवर्ग में 100 पद स्वीकृत हों, तो सर्वप्रथम 16 एवं 01 पद सुरक्षित रखते हुए केवल 83 पदों पर ही उच्चतर पद का प्रभार दिया जा सकेगा। उच्चतर पद का प्रभार देते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि अनुसूचित जाति को स्वतः 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति को 01 प्रतिशत प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो

रहा है, तो जितना शेष (Unfilled) रह जाएगा, उन पदों को भी यथास्थिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिसके संबंध में भविष्य में निर्णय लिया जा सकेगा।

(ग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विहित पदों को सुरक्षित रखने के बावजूद मूल कोटि की वरीयता के आधार पर गैर आरक्षित वर्ग सहित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को भी समान रूप से उच्चतर पद के प्रभार का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

(घ) उच्चतर पद पर प्रभार प्राप्त कर बितायी गयी सेवा अवधि को नियमित प्रोन्नति के समय कालावधि पूरी करने हेतु नियमानुसार परिगणित किया जा सकेगा।

(vi) अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था के अंतर्गत विहित वेतनमान सहित उच्चतर पद का प्रभार लोक सेवकों के सेवा अथवा कैडर में मूल कोटि की वरीयता के आधार पर दी जाएगी।

(vii) इस व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने के लिए ऐसे लोक सेवक पात्र नहीं होंगे, जिनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई/आपराधिक कार्रवाई लंबित हो अथवा कोई दंड प्रभावी हो।

(viii) उक्त कार्यकारी व्यवस्था को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु न्यूनतम कालावधि को दृष्टिगत रखा जाएगा, किन्तु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–7433 दिनांक–05.06.2018 की कंडिका–3 (iv) के प्रावधानानुसार, "धारित पद पर एक वर्ष के कार्य अनुभव प्राप्त करने की शर्त में छूट दी जा सकेगी।" उदाहरणस्वरूप वेतन स्तर–11 से वेतन स्तर–12 में के लिए न्यूनतम कालावधि 05 वर्ष की है तथा वेतन स्तर–12 से वेतन स्तर–13 के लिए भी कालावधि 05 वर्ष की है, ऐसी स्थिति में वेतन स्तर–11 के पदाधिकारी के संबंध में यह देखा जाएगा कि उस पदाधिकारी द्वारा यदि 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर ली गयी हो, तो उसे वेतन स्तर–12 में एक साल के कार्यानुभव की छूट देते हुए वेतन स्तर–12 एवं इसके पश्चात वेतन स्तर–13 के उच्चतर पद का लाभ एक साथ दिया जा सकेगा। इस प्रकार दिये गये उच्चतर पद के प्रभार को Level jumping नहीं माना जाएगा। यह व्यवस्था एकबारगी उपाय (One time measure) के रूप में केवल कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए लागू की जाएगी।

(ix) आरक्षण एवं परिणामी वरीयता के आधार पर पूर्व से कार्यरत कर्मियों को निचले पद पर प्रत्यावर्तित (Revert) नहीं किया जाएगा, अपितु मूल कोटि की वरीयता के अनुसार यथा स्थिति उच्चतर पद का लाभ दिया जाएगा।

(x) कार्यकारी व्यवस्था की यह प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या–4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य संबद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर औपबंधिक रूप से की जाएगी। अतएव सभी विभागों से अपेक्षित है कि इस संकल्प के निर्गत होने के पश्चात यह प्रक्रिया अधिकतम दो माह के अंतर्गत पूर्ण कर ली जाय, अन्यथा दो माह के पश्चात उपर्युक्त कंडिका–6(viii) में दी जाने वाली छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी।

7. एतद संबंधी पूर्व निर्गत आदेश/संकल्प/परिपत्र आदि के असंगत अंश इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे।

8. उपर्युक्त प्रावधान संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 बी0 राजेन्दर,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)829-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
—:: अधिसूचना ::—

सं०–11/आ०नी०–I–03/2023 (खण्ड)..................सा.प्र., पटना, दिनांक–.....................

प्रस्तावना :– राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने के निमित्त प्रवृत्त अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 (अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023) के नियम–6(x) में निर्धारित समय–सीमा को विस्तारित करने के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 के माध्यम से राज्य के प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं के प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 प्रवृत्त की गयी है। इस नियमावली की कंडिका–6(x) में यह प्रावधान किया गया है कि– **संदर्भित नियमावली की कंडिका–6(viii) के अनुसार संवर्गीय प्रोन्नति के पदानुक्रम में उच्चतर पद का प्रभार देने की इस प्रक्रिया को Level Jumping नहीं माना जाएगा। यह व्यवस्था एकबारगी उपाय (One time measure) के रूप में केवल कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए लागू की जाएगी।**

2. उपर्युक्त नियमावली दिनांक–13.10.2023 को प्रवृत्त की गयी है तथा इसके प्रावधानानुसार नियमावली की कंडिका–6(x) के अनुसार नियमावली की कंडिका–6(viii) की सुविधा दिनांक–12.12.2023 को समाप्त हो चुकी है, किन्तु सम्प्रति कतिपय विभागों एवं सेवा/संवर्गों में उच्चतर पद का प्रभार देने की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है।

3. अतएव उपर्युक्त के आलोक में कार्य हित में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 (अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023) में कार्यहित में इस नियमावली की कंडिका–6(viii) के प्रावधान को अगले 02 माह के लिए विस्तारित किया जाता है। इस प्रकार संदर्भित नियमावली की कंडिका–6(x) में निर्धारित समय–सीमा को दिनांक–12.02.2024 तक विस्तारित किया जाता है।

4. उपर्युक्त नियमावली में अवधि विस्तारण के पश्चात संदर्भित नियमावली इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे एवं इसके अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(डॉ० बी० राजेन्दर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/आ०नी०–I–03/2023 खण्ड सा.प्र.....पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारवाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/आ०नी०–I–03/2023 खण्ड सा.प्र.....पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना, उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार बिधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/आ०नी०–I–03/2023 खण्ड सा.प्र.636 पटना–15, दिनांक–10/01/2024

प्रतिलिपि–आई०टी० मनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

10/01/24
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषयः– वैसे मामलों में जहाँ एक ही विज्ञापन के माध्यम से दिनांक–01.09.2005 के पूर्व कतिपय अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना के तहत तथा 01.09.2005 के पश्चात कतिपय अभ्यर्थी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) के तहत नियुक्त हुए हैं, एन0पी0एस0 के तहत नियुक्त वैसे कर्मियों को कतिपय शर्तो के अधीन पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प प्रदान करने के संबंध में ।

वित्त विभागीय संकल्प सं0–1964 दिनांक–31.08.2005 द्वारा दिनांक–01.09.2005 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मियों हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एन0पी0एस0) लागू की गयी है ।

2. ऐसे कई मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं, जिनमें पुरानी रिक्ति/विज्ञापन के आधार पर सम्पन्न चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की नियुक्ति कई चरणों में हुई है । एक ही मेधा सूची से चयनित अभ्यर्थियों की योगदान तिथि में अंतर होने के कारण कतिपय कर्मी पुरानी एवं कतिपय कर्मी नई पेंशन योजना से आच्छादित किये गये है। दिनांक–01.09.2005 के पूर्व योगदान समर्पित करने वाले अभ्यर्थी को पुरानी पेंशन योजना का जबकि दिनांक–01.09.2005 के पश्चात योगदान समर्पित करने वाले अभ्यर्थी को एन0पी0एस0 का लाभ प्रदान किया गया है । उक्त स्थिति को कई अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय में चुनौती दी गयी एवं माननीय न्यायालय का निर्णय उनके पक्ष में आने के फलस्वरूप न्यायादेश के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए सरकार द्वारा उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया गया है।

3. पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक–57/04/2019–P&PW(B) दिनांक–17.02.2020 द्वारा ऐसे

.....2

कर्मियों को जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक–01.01.2004 के पूर्व सम्पन्न हो चुकी थी लेकिन नियुक्ति दिनांक–01.01.2004 के पश्चात हुई थी, को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया गया है ।

4. उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं भारत सरकार के प्रावधान को दृष्टिपथ में रखते हुए सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वैसे मामलों में जहाँ एक ही विज्ञापन के माध्यम से दिनांक–01.09.2005 के पूर्व कतिपय अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना के तहत तथा 01.09.2005 के पश्चात कतिपय अभ्यर्थी एन0पी0एस0 के तहत नियुक्त हुए हैं; एन0पी0एस0 के तहत नियुक्त वैसे कर्मियों को निम्न शर्तो के अधीन पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया जाएगा :–

(i) रिक्ति एवं विज्ञापन दिनांक–01.09.2005 से पूर्व का हो,

(ii) चयन प्रक्रिया दिनांक–01.09.2005 से पूर्व सम्पन्न हो चुकी हो तथा मेधासूची से कतिपय अभ्यर्थी दिनांक–01.09.2005 से पूर्व वास्तविक योगदान समर्पित कर चुके हों एवं उन्हें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया गया हो,

(iii) दिनांक–01.09.2005 के पश्चात नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब प्रशासनिक कारणों से अथवा न्यायिक वाद के कारण हुआ हो,

(iv) संबंधित कर्मी अपने नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष विकल्प संबंधी आवेदन आदेश निर्गत की तिथि के छः माह के भीतर प्रस्तुत करेंगे तथा नियुक्ति प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त शर्तों के अधीन मामले की समीक्षा कर वित्त विभागीय सहमति प्राप्त करते हुए आवेदन समर्पित करने की तिथि के छः माह के भीतर समुचित निर्णय लेते हुए आदेश निर्गत किया जाएगा ।

(v) विकल्प का प्रयोग एक ही बार किया जाएगा एवं वह अंतिम होगा ।

(vi) एन0पी0एस0 से पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये जाने के फलस्वरूप संबंधित कर्मी के एन0पी0एस0 फंड में संचित राशि का समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–330 दिनांक–05.04.2016 एवं 485 दिनांक–09.08.2021 के आलोक में किया जाएगा ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव(संसाधन)

ज्ञापांक– वि0(27)–पे0को0–48 / 2020 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / महालेखाकार, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव(संसाधन)

ज्ञापांक– वि0(27)–पे0को0–48 / 2020 1206 (पे०) पटना, दिनांक–28-11-2023

प्रतिलिपिः–महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय / सचिव, बिहार विधान सभा / परिषद् / प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट वित्त विभाग / सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग / अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव(संसाधन)
28/11/2023

पत्र संख्या-वि0(27)पे0को0-48/2020 /वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

दीपक आनन्द,भा0प्र0से0,
सचिव(व्यय)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव
सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक-

विषयः- **वित्त विभागीय संकल्प सं0-1206 दिनांक-28.11.2023 के आलोक में एन0पी0एस0 के जगह पुरानी पेंशन योजना अनुमान्य किये जाने के प्रस्ताव में वित्त विभागीय सहमति हेतु जाँच पत्रक के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0-1206 दिनांक-28.11.2023 द्वारा वैसे मामलों में जहाँ एक ही विज्ञापन एवं मेधा सूची के माध्यम से दिनांक-01.09.2005 के पूर्व कतिपय अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना के तहत तथा 01.09.2005 के पश्चात कतिपय अभ्यर्थी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) के तहत योगदान किए हैं, एन0पी0एस0 के तहत नियुक्त वैसे कर्मियों को कतिपय शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया गया है ।

2. उपर्युक्त वित्त विभागीय संकल्प सं0-1206 दिनांक-28.11.2023 के आलोक में प्रशासी विभागों से वित्त विभागीय सहमति हेतु संचिका के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं । लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि प्रस्ताव में तथ्यात्मक स्थिति क्रमबद्ध ढंग से नहीं रखी जा रही है तथा स्पष्ट विभागीय अभिमत का भी गठन नहीं किया जा रहा है । ऐसे में वित्त विभागीय सहमति प्रदान करने में कठिनाई हो रही है । इस कारण इस संदर्भ में एक जाँच पत्रक तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गयी है ताकि सभी तथ्यों को समेकित करते हुए विभागीय अभिमत के साथ संचिका वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जा सके ।

3. वित्त विभागीय संकल्प सं0-1206 दिनांक-28.11.2023 के आलोक में एन0पी0एस0 के जगह पुरानी पेंशन योजना अनुमान्य किये जाने के प्रस्ताव के संदर्भ में जाँच पत्रक की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि जाँच पत्रक के सभी कॉडिकाओं को भरते हुए जाँच पत्रक पर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव का हस्ताक्षर/मुहर अंकित करते हुए एतद संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव संचिका के माध्यम से वित्त विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनु0-यथोक्त । **विश्वासभाजन**

ह0/
(दीपक आनन्द)
सचिव(व्यय)

.....2

ज्ञापांक- 298 (पे०)　　　　　　　　　　दिनांक- 19-3-2024

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/ परिषद्/ प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/3/24

सचिव(व्यय) ।

19.3.24

137

वित्त विभागीय संकल्प संख्या–1206, दिनांक–28.11.2023 के आलोक में एन0पी0एस0 के तहत नियुक्त कर्मी को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने से संबंधित विकल्प प्रदान करने से संबंधित जाँच पत्रक

1.	आवेदक का नाम	
2.	वर्तमान पद नाम (विभाग सहित)	
3.	प्रथम योगदान की तिथि	
4.	रिक्ति एवं विज्ञापन, दिनांक–01.09.2005 से पूर्व का है अथवा नहीं, (विज्ञापन संख्या–अंकित किया जाय)	
5.	चयन प्रक्रिया दिनांक–01.09.2005 से पूर्व संपन्न हुई है या नहीं, (चयन प्रक्रिया कब संपन्न हुई है, अंकित किया जाय)	
6.	(i) मेधासूची से कतिपय अभ्यर्थी दिनांक–01.09.2005 से पूर्व वास्तविक योगदान समर्पित कर चुके है अथवा नहीं (साक्ष्य सहित) । (ii) क्या उन्हें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है (साक्ष्य सहित)?	
7.	क्या दिनांक–01.09.2005 के पश्चात् नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया में विलम्ब प्रशासनिक कारणों से अथवा न्यायिक वाद के कारण हुआ है (तथ्य सहित)	
8.	पुरानी पेंशन योजना का विकल्प से संबंधित आवेदन कालबाधित है या नहीं	
9.	आवेदक को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जा सकता है अथवा नहीं से संबंधित विभागीय मंतव्य	

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
प्रशासी विभाग का हस्ताक्षर एवं मुहर

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ संकल्प ॥

विषयः— सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने के संबंध में।

विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों यथा जिला/प्रखण्ड/अंचल में कार्य बोझ (Work Load) तो काफी बढ़ गए हैं पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की बड़ी संख्या में रिक्तियाँ कार्यों के निष्पादन में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 8025 दिनांक 21.05.2013 द्वारा सभी विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने अधीन सभी संवर्गों के रिक्त पदों पर एक वर्ष में नियमित नियुक्ति कर लिए जाने हेतु निदेश निर्गत किये गये हैं। अनेक विभागों में नियमित नियुक्ति के लिए कार्रवाई प्रारंभ भी की जा चुकी है। परंतु कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के कार्य करने की सीमा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही सारी नियुक्तियाँ हो पाना संभव नहीं प्रतीत होता है; यद्यपि इसके लिए काफी सकारात्मक प्रयास भी किये जा रहे हैं।

2. यह सर्वविदित है कि नियमित नियुक्तियों का कोई उचित विकल्प नहीं हो सकता है, परंतु नियमित नियुक्तियों में संभावित अपरिहार्य विलम्ब की अवधि में कार्य प्रभावित नहीं हो, इसके लिए अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

3. इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा समयक् विचारोपरांत विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा पर लिये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 2804 दिनांक 29.03.2010 द्वारा मार्गदर्शन एवं प्रकिया निर्गत किया जा चुका है। कालान्तर में उक्त संकल्प की समीक्षा के कम में उसके कतिपय प्रावधानों के वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में अव्यवहारिक हो जाने के कारण सरकार द्वारा उक्त संकल्प एवं उसके तहत् निर्गत अन्य संकल्पों/आदेशों को संशोधित करते हुए निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जायेगी :—

(1) सभी विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों में संलग्न **अनुसूची** में उल्लिखित पदों पर पूर्व से सेवा निवृत्त अथवा भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को इस संकल्प की अधोलिखित उप—कंडिकाओं के प्रावधानानुसार संविदा के आधार पर नियोजित किया जा सकेगा।

परंतु **संलग्न अनुसूची** में उल्लिखित पदों से भिन्न पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन की आवश्यकता होने पर संबंधित विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा **संलग्न अनुसूची** में उक्त पदों को जोड़े जाने की कार्रवाई अलग से की जा सकेगी।

(2) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें लेने के दो तरीके होंगेः–

(क) भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों का चयन एवं

(ख) पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का चयन।

(क) <u>भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों का चयन</u>।– (i) संकल्प की **संलग्न अनुसूची** में वर्णित पद से भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों का आकलन कर संबंधित विभाग द्वारा इन पदों पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के चयन के लिए इस संकल्प की कंडिका– 3(3) के तहत् गठित संबंधित चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी एवं चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर ही संबंधित विभागों/कार्यालयों के सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जायेगी।

(ii) चयन हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के संवर्ग नियंत्री विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

(iii) किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।

(iv) एक विभाग/जिला से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक अन्य विभाग/जिला में भी नियोजन के लिए पात्र माने जाएंगे।

(v) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा–विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, 65 वर्ष के बाद भी, 67 वर्ष तक किया जा सकेगा। ९६

परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

(vi) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और कार्य संतोषजनक नहीं हाने पर उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

(vii) चूँकि जिस पद से सरकारी सेवक (आरक्षित/अनारक्षित) सेवानिवृत्त हो रहें हैं, उनका चयन पुनः उसी पद पर किये जाने से संकल्प संख्या–117 दिनांक– 30.09.1995 के आलोक में आरक्षण का अनुपालन स्वतः हो जाएगा अतः ऐसे नियोजन हेतु अलग से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु एक विभाग/जिला से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक का नियोजन अन्य विभाग एवं जिला में किये जाने से आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की आवश्यकता होगी। ऐसे चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा जो बिन्दु एक से प्रारंभ किया जायेगा।

(ख) <u>पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चयन के लिए–</u>

(i) **संलग्न अनुसूची** में उल्लिखित पदों पर पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर उनके चयन हेतु संबंधित विभाग/प्रमंडल/जिला द्वारा अपने विभागीय/प्रमंडलीय/जिला के website में तथा समाचार पत्रों के माध्यम से आम विज्ञापन निकालकर आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे और इस प्रकार प्राप्त आवेदन इस संकल्प की कंडिका 3(3) के तहत् गठित संबंधित चयन समिति के समक्ष विचार हेतु उपस्थापित किए जायेंगे। संबंधित चयन समिति की अनुशंसा पर संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकेगा।

(ii) चयन हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के पूर्व सेवा निवृत्त सरकारी सेवक के संवर्ग नियंत्री विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

(iii) किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।

(iv) एक विभाग/जिला से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अन्य विभाग/जिला में भी नियोजन के लिए पात्र माने जायेंगे।

(v) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के

लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा–विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, 65 वर्ष के बाद भी, 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

(vi) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

(vii) चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा जो बिन्दु एक से प्रारंभ होगा।

(3) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चयन हेतु निम्न प्रकार से चार स्तर पर चयन समिति गठित की जाएगी :–

(क) <u>राज्यस्तरीय चयन समिति</u>– समूह–'क' के पदों पर निम्नवत् गठित राज्यस्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर संविदा नियोजन किया जा सकेगा–

(i) मुख्य सचिव, बिहार	–अध्यक्ष
(ii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	–सदस्य
(iii) प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	–सदस्य सचिव
(iv) संबंधित प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव जिनके विभाग में संविदा नियोजन प्रस्तावित हो	– विशेष आमंत्रित सदस्य
(v) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अ0जा0/अ0ज0जा0 के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों	–सदस्य
(vi) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों	–सदस्य

(ख) <u>विभाग स्तरीय चयन समिति</u>– समूह–'क' से भिन्न सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के पदों पर संविदा के आधार पर सेवा लेने हेतु सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का चयन सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन निम्नवत् गठित चयन समिति की अनुशंसा पर किया जा सकेगा–

(i) प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	–अध्यक्ष
(ii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	–सदस्य

(iii) संबंधित प्रशासी विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून, पदाधिकारी, जिनके विभाग में संविदा नियोजन प्रस्तावित हो – विशेष आमंत्रित सदस्य

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अ0जा0/अ0ज0जा0 के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों –सदस्य

(v) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों –सदस्य

(ग) <u>प्रमंडल स्तरीय चयन समिति</u>– ऐसे पदों, जिनके नियुक्ति प्राधिकार प्रमंडलीय आयुक्त अथवा प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी हों, पर सेवा लेने हेतु सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का चयन प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा गठित प्रमंडल स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जा सकेगा, जिसमें अनुसूचित जाति के एक पदाधिकारी को सदस्य के रूप में रखा जाना अनिवार्य होगा।

(घ) ऐसे पदों, जिनके नियुक्ति प्राधिकार जिला पदाधिकारी अथवा जिला स्तरीय पदाधिकारी हों, पर सेवा लेने हेतु सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का चयन **जिला पदाधिकारी के स्तर पर गठित चयन समिति** की अनुशंसा के आधार पर किया जा सकेगा। उक्त चयन समिति निम्नवत् होगी–

(i) जिला पदाधिकारी – अध्यक्ष

(ii) उप विकास आयुक्त – सदस्य

(iii) अपर समाहर्त्ता – सदस्य

(iv) संबंधित कार्यालय के जिला स्तरीय पदाधिकारी, (जिनके अधीन संविदा नियोजन प्रस्तावित हो।) – सदस्य

(v) अनुसूचित जाति के उप समाहर्त्ता स्तर के एक पदाधिकारी (जिनका मनोनयन जिला पदाधिकारी करेंगे) – सदस्य

(4) उक्त प्रक्रिया के अधीन निम्नांकित सरकारी सेवकों की सेवायें नहीं ली जा सकेंगी :–

(i) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।
(ii) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।
(iii) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।
(iv) जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।
(v) सामान्यतः प्रोन्नति की श्रृखंला वाले पदों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं रहेगी, परंतु संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि प्रोन्नत पद

पर प्रोन्नति अगले एक वर्ष के अन्दर दिया जाना संभव नहीं हो वहाँ ऐसी नियुक्तियाँ उक्त व्यवस्था के अंतर्गत की जा सकती है।

(5) नियोजन हेतु सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

(6) (i) संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परन्तु पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। मानदेय निर्धारण की यह प्रकिया केवल संविदा के आधार पर नियोजन में ही लागू होगी, अन्य किसी प्रकार के पुनर्नियोजन पर यह प्रकिया लागू नहीं होगी।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में **व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ** ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(ii) सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उस दर से अनुमान्य होगा जो उनके धारित पद के लिए एक नियमित सरकारी सेवक को अनुमान्य है।

(iii) पदीय दायित्व को ध्यान में रखकर परिवहन एवं टेलीफोन की सुविधाएँ संबंधित विभाग द्वारा दी जा सकेगी तथा इस पर निर्णय नियोजन के समय ही संबंधित विभाग द्वारा लिया जायेगा।

(iv) सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

(7) नई पेंशन योजना से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अथवा बोर्ड/निगम/लोक उपकमों से सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा नियोजन–

(i) नई पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को संविदा पर नियोजन सेवानिवृत्ति के समय धारित पद/समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा।

बोर्ड/निगम/लोक उपकमों से सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा पर नियोजन सरकारी विभागों/कार्यालयों में सेवानिवृत्ति के समय धारित पद/समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा।

(ii) ऐसे कर्मियों का चयन भी उपर्युक्त उप कंडिका–(3) में प्रावधानित चयन समिति की अनुशंसा पर किया जा सकेगा।

(iii) ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे–बैण्ड का प्रारंभिक वेतन + उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महँगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा। परंतु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगी। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय वेतन+महंगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।

4. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

5. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/बोर्ड एवं निगम के कर्मियों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

6. पूर्व से संविदा पर नियोजित कर्मियों के संदर्भ में संकल्प के प्रावधान निर्गत की तिथि से प्रभावी होंगे।

7. पूर्व से इस संबंध में निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र/पत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाए तथा इसकी 25 प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/7/2015

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 3/एम0–63/2013सा0प्र0 10000 /पटना–15, दिनांक– 10.7. 2015

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग/वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10/7/2015

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

145

ज्ञापांक– 3/एम0–63/2013सा0प्र0 10000 पटना–15, दिनांक– 10.7. 2015

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 3/एम0–63/2013सा0प्र0 10000 पटना–15, दिनांक– 10.7. 2015

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव एवं सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

146 24

अनुसूची

(देखें संकल्प की कंडिका 3(1), 3(2)(क)(i), 3(2)(ख)(i))

पदों का नाम जिनपर सेवा निवृत्त हाने वाले अथवा पूर्व से सेवा निवृत्त पदाधिकारियों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है–

1. राजस्व कर्मचारी
2. पंचायत सचिव (पंचायत सेवक)
3. जन सेवक
4. अमीन
5. अंचल निरीक्षक
6. प्रखंडों में कार्य करने वाले अन्य पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी जिनसे बिहार ग्रामीण विकास सेवा एवं बिहार राजस्व सेवा संवर्गों के अधीन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्तियाँ की जा रही हैं।
7. ए0एन0एम0
8. ग्रेड 'ए' नर्सेज
9. सचिवालय सहायक
10. पैरा मेडिकल स्टाफ, जैसे कि ओ0टी0 असिस्टेंट/ड्रेसर/फार्मासिस्ट आदि
11. जिला पदाधिकारी कार्यालय अथवा उनके अधीन कार्यालयों के लिपिक।
12. सचिवालय संवर्ग के आशुलिपिक एवं क्षेत्रीय कार्यालय (समाहरणालय) के आशुटंकक संवर्ग।
13. चालक
14. स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली कार्यालय के सहायक प्रबंधक, परिवहन एवं न्याचार का पद।
15. बिहार मानवाधिकार आयोग में रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार का पद।
16. जिला उपभोक्ता फोरम एवं राज्य उपभोक्ता आयोग के लिपिकों, बेंच कलर्कों, आशुटंककों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का पद।
17. गृह विभाग के सैनिक कल्याण निदेशालय के अंतर्गत जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में भूतपूर्व सैनिकों के संविदा नियोजन हेतु निम्नवर्गीय लिपिक के पद।
18. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी का पद।
19. बिहार गजेटियर्स, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में शोध पदाधिकारी का पद।
20. जल संसाधन विभाग में जनसम्पर्क पदाधिकारी का पद।
21. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य) में उप मत्स्य निदेशक, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, मत्स्य निरीक्षक, लिपिक, प्रधान लिपिक एवं चालक का पद।
22. श्रम संसाधन विभाग में बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो में पदाधिकारी का पद।

23. श्रम संसाधन विभाग के बिहार सचिवालय भोजशाला में बियरर, सहायक रसोईया एवं विक्रेता का पद।
24. पर्यावरण एवं वन विभाग के बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में प्रशाखा पदाधिकारी का पद।
25. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में स्नातक शिक्षकों का पद।
26. उर्जा विभाग में डिग्री धारी सहायक विद्युत अभियंता का पद।
27. विधि विभाग में अभिलेखावाह का पद।
28. सम्पर्क कार्यालय (विधि विभाग), बिहार भवन, नई दिल्ली में कार्यालय परिचारी का पद।
29. पर्यावरण एवं वन विभाग में सहायक वन संरक्षक, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, वनरक्षी एवं अमीन का पद।
30. योजना एवं विकास विभाग के बिहार राज्य योजना पर्षद के अंतर्गत प्रारूपक का पद।
31. ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता का पद।
32. गृह (आरक्षी) विभाग के अधीन वितंतु संचार व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से बिहार पुलिस रेडियो संगठन, पटना के साक्षर सिपाही (तक0), सहायक अवर निरीक्षक (तक0), अवर निरीक्षक (तक0) एवं पुलिस निरीक्षक (तक0) स्तर का पद।
33. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के अधीन पुलिस उपाधीक्षक का पद।
34. योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) के अन्तर्गत तकनीकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का पद।
35. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सूचना लिपिक, छायाकार, उर्दु सहायक, अनुवादक, वाहन चालक, आशुलिपिक एवं अनुसेवक का पद।
36. सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का पद।
37. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में स्नातक शिक्षक का पद।
38. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी का पद।
39. परिवहन विभाग के ट्रेजरी सरकार का पद।
40. गृह (आरक्षी) विभाग के बिहार पुलिस रेडियो संगठन के ऑपरेशनल उप संवर्ग के साक्षर सिपाही (ऑप0), सहायक अवर निरीक्षक (ऑप0), अवर निरीक्षक (ऑप0) एवं पुलिस निरीक्षक (ऑप0) का पद।
41. महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवायें, बिहार के कार्यालय में उप निदेशक बजट एवं लेखा (बि0स0से0 के अवर सचिव के समकक्ष) का पद।

148

42. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के वरीय लेखा लिपिक, कनीय लेखा लिपिक, उच्चवर्गीय लिपिक, निम्नवर्गीय लिपिक, पम्प ऑपरेटर, नलकूप मिस्त्री, प्लम्बिग मिस्त्री, इलेक्ट्रिशिएन एवं आदेशपाल का पद।

43. स्वास्थ्य विभाग के प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक का पद।

44. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में ट्रेजरी सरकार का पद।

45. गन्ना उद्योग विभाग के अधीन सहायक निदेशक एवं ईख प्रसार पदाधिकारी का पद

46. योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानिक क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता का पद

47. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के क्षेत्रीय निबंधन कार्यालयों के अधीन कार्यालय अधिक्षक, प्रधान लिपिक, अभिलेखपाल, उच्चवर्गीय लिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का पद।

48. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में कार्यालय परिचारी का पद।

49. खान एवं भूतत्व विभाग में विधि पदाधिकारी पद पद

50. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के अन्तर्गत राज्य अभिलेखागार निदेशालय एवं क्षेत्रीय अभिलेखागार के अधीन अभिलेखवाह का पद।

51. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नियंत्रणाधीन (क) स्थानिक आयुक्त बिहार, बिहार भवन, नई दिल्ली के कार्यालय के लिपिक का पद एवं (ख) स्थानिक आयुक्त, बिहार, बिहार भवन, नई दिल्ली के कार्यालय के स्वागतक–सह–दुरभाष परिचर का पद।

52. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, सिविल विमानन निदेशालय में उड्डन लिपिक का पद।

53. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नियंत्रणाधीन स्थानिक आयुक्त बिहार, बिहार भवन, नई दिल्ली के कार्यालय के दुरभाष परिचर का पद।

54. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला का पद।

55. श्रम संसाधन विभाग में संयुक्त श्रमायुक्त; उप–श्रमायुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त का पद

56. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कृषि गणना प्रक्षेत्र के केन्द्रीय योजना स्कीम के अन्तर्गत सृजित पदों यथा संयुक्त निदेशक; उप निदेशक; सहायक निदेशक; सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सांख्यिकी सहायक का पद।

57. बिहार सचिवालय सेवा के उप सचिव एवं अवर सचिव का पद।

58. अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग के अधीन क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों के लिपिक–सह–टंकक का पद।

59. वाणिज्य–कर विभाग में वाणिज्य–कर विभाग के बिहार वित्त सेवा के सभी कोटि के पदाधिकारी।

60. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी का पद।

61. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन संकलक का पद।

62. ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन अधीक्षण अभियंता संवर्ग के संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी का पद।

---

१५१ /50

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 कार्तिक 1946 (श0)

(सं0 पटना 1027) पटना, बुधवार, 23 अक्तूबर 2024

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

22 अक्तूबर 2024

आदेश संख्या 3/एम0–22/2023–17098/सा0प्र0—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक 10.07.2015 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका–3(1) के प्रावधान के तहत सम्यक विचारोपरांत बिहार समाहणालय लिपिकीय सेवा के "सहायक प्रशासी पदाधिकारी" के पद को संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है।

3. उपरोक्त पद पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित शर्त्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इन पदों पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1027+571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

संoसंo–14/विविध–26/2013

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः– विधानमंडल के सदस्यों/राज्य के सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों (न्यायिक सेवा सहित) के आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति हेतु आश्रितों की परिभाषा/उम्र सीमा/आश्रित की आय के निर्धारण के संबंध में।

बिहार उपचार नियमावली–1947 एवं इसके अंतर्गत समय–समय पर निर्गत विभिन्न आदेशों, परिपत्रों/संकल्पों के माध्यम से राज्य के सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों (न्यायिक सेवा सहित) एवं उनके आश्रितों यथा माता–पिता, पति–पत्नी एवं पुत्र–पुत्री (सौतेले संतान सहित) को अंतर्वासी एवं कतिपय बहिर्वासी चिकित्सा पर हुए व्यय की नियमानुसार प्रतिपूर्ति अनुमान्य है। परन्तु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति हेतु आश्रित की स्पष्ट व्याख्या नहीं रहने के कारण विभिन्न प्रशासी विभागों द्वारा समय–समय पर आश्रितों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के बिन्दु पर परामर्श की अपेक्षा की जाती रही है।

2. विधानमंडल के सदस्यों/राज्य के सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों (न्यायिक सेवा सहित) के आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति हेतु आश्रितों की परिभाषा/उम्र सीमा/आश्रित की आय के निर्धारण करने के संबंध में एक स्पष्ट दिशा–निर्देश की आवश्यकता महसूस की गई।

3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संo–4–24/96–सी एण्ड पी/सीजीएचएस/सीजीएचएस(पी), दिनांक–31.05.2007 की कंडिका–2 में आश्रित के लिए आयु सीमा का निर्धारण किया गया है जो निम्नवत् है :–

(i). पुत्र के लिएः–उसके विवाह हो जाने तक या उसके द्वारा उपार्जन शुरू किए जाने अथवा 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो।

(ii). पुत्री के लिएः– आयु सीमा का विचार किए बिना उसके द्वारा उपार्जन शुरू किए जाने या उसके विवाह हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो।

(iii). किसी तरह की स्थायी अशक्तता से पीड़ित पुत्र/पुत्री (शारीरिक या मानसिक):– आयु सीमा पर विचार किये बिना तथा वैवाहिक स्थिति के होते हुए भी आश्रित माना जाएगा।

(iv). <u>आश्रित तलाक शुदा/पति द्वारा परित्यक्त या उससे अलग हुई पुत्रियां/विधवा पुत्रियां तथा आश्रित अविवाहित/तलाक शुदा/पति द्वारा परित्यक्त या उससे अलग हुई बहनें/विधवा बहनें</u> :– आयु सीमा पर विचार किये बिना।

(v). <u>नाबालिग भाई</u> :– व्यस्क होने की आयु तक।

4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के OM No.-11012 दिनांक–08.11.2016 की कंडिका–6 में किये गये प्रावधान के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु परिवार के सदस्य, जिनकी मासिक आय 9000 + D.A से कम है वही सरकारी कर्मी पर आश्रित माने जायेंगे।

5. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में विधानमंडल के सदस्यों/राज्य के सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों (न्यायिक सेवा सहित) के आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति हेतु आश्रितों को नये सिरे से परिभाषित निम्नरुपेण किया जाता है :–

क). **"आश्रित"** :– का तात्पर्य विधानमंडल के सदस्यों/राज्य के सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों (न्यायिक सेवा सहित) के माता–पिता (सौतेले माता–पिता को छोड़कर), पत्नी/पति, पुत्र/पुत्री(सौतेले संतान सहित), नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन।

ख). <u>"आश्रित की उम्र सीमा"</u> :–

(i). <u>पुत्र के लिए:–</u>उसके विवाह हो जाने तक या उसके द्वारा उपार्जन शुरू किए जाने अथवा 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो।

(ii). <u>पुत्री के लिए:–</u> आयु सीमा का विचार किए बिना उसके द्वारा उपार्जन शुरू किए जाने या उसके विवाह हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो।

(iii). <u>किसी तरह की स्थायी अशक्तता से पीड़ित पुत्र/पुत्री (शारीरिक या मानसिक)</u>:–आयु सीमा पर विचार किये बिना तथा वैवाहिक स्थिति के होते हुए भी आश्रित माना जाएगा।

(iv). <u>आश्रित तलाक शुदा/पति द्वारा परित्यक्त या उससे अलग हुई पुत्रियां/विधवा पुत्रियां तथा आश्रित अविवाहित/तलाक शुदा/पति द्वारा परित्यक्त या उससे अलग हुई बहनें/विधवा बहनें</u> :– आयु सीमा पर विचार किये बिना।

(v). <u>नाबालिग भाई</u> :– व्यस्क होने की आयु तक।

ग). <u>"आश्रित की आय"</u> :–

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु उपरोक्त कंडिका– 5(क) एवं 5(ख) के वैसे सदस्य जिनकी मासिक आय 9000+ महँगाई भत्ता से कम है वही सरकारी कर्मी पर आश्रित माने जायेंगे परन्तु पति/पत्नी के मामले में आश्रितता (Dependency) हेतु उक्त आय की अधिसीमा प्रभावी नहीं होगी।

6. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(आदित्य प्रकाश)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–14/विविध–26/2013 -1920(14) **/स्वा०, पटना, दिनांक–** 13/8/2024

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई0गजट, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार/सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी निदेशक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक– 06.08.2024 की बैठक के मद संख्या–30 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Aditya Prakash 13/8/2024
सरकार के अपर सचिव।

संoसंo-एम-4-53/2007 7730 /विo

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 15-10-18

विषय :- स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

दिनांक 01.04.2017 से योजना एवं गैर योजना स्कीमों का विलय हो जाने के कारण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-306, दिनांक 17.03.2017 द्वारा वित्तीय [illegible] प्रत्यायोजित [illegible] के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758, दिनांक 31.05.2017, [illegible] दिनांक 04.07.2017, 8236 दिनांक 17.10.2017, 4443 दिनांक 14.06.2018 एवं 6439 दिनांक 28.08.2018 द्वारा स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है ।

2. प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 30.07.2018 की बैठक में निर्णय लिया गया है कि निष्प्रयोजित्त किये गए वाहन के विरूद्ध निर्धारित मूल्य अधिसीमा के अन्तर्गत नये वाहन क्रय का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष रखने की आवश्यकता नही है । ऐसे मामलों में संबंधित प्रशासी विभाग के स्तर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी । केवल निर्धारित अधिसीमा से अधिक मूल्य पर वाहन क्रय, अतिरिक्त नया वाहन क्रय एवं नये पद के पदधारक के लिए वाहन क्रय से संबंधित प्रस्ताव ही प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे । इसी आलोक में वित्त विभागीय संकल्प 3758 [illegible] 2017 की [illegible] में संशोधन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो [illegible]

3. उपरोक्त [illegible] विभागीय संकल्प संख्या-3758, दिनांक 31.05.2017 [illegible] में [illegible] प्रावधान के बाद परन्तुक के रूप में निम्नलिखित [illegible]

"परन्तु निष्प्रयोजित किये गए वाहन के विरूद्ध निर्धारित मूल्य अधिसीमा के अन्तर्गत नये वाहन क्रय का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है । ऐसे मामलों में संबंधित प्रशासी विभाग के स्तर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी। केवल निर्धारित अधिसीमा से अधिक मूल्य पर वाहन क्रय, बगैर निष्प्रयोजन के वाहन क्रय, अतिरिक्त नया वाहन क्रय एवं नये पद के पदधारक के लिए वाहन क्रय से संबंधित प्रस्ताव ही प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे ।"

4. इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 09.10.2018 की बैठक में मद संख्या-27 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

5. संकल्प में निर्धारित अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी । वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में पूर्व निर्गत संकल्प/परिपत्र भी इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय)

ज्ञापांक-एम-4-53/2007 7730 /वि०, पटना, दिनांक 15-10-18

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव(व्यय)

ज्ञापांक-एम-4-53/2007 7730 /वि०, पटना, दिनांक 15-10-18

प्रतिलिपि-सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव(व्यय)

ज्ञापांक-एम-4-53/2007 7730 /वि०, पटना, दिनांक 15-10-18

प्रतिलिपि-ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

सचिव(व्यय)

156 दर।

पत्रांक—3ए—8—बैठक—07/2018—................................/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग।

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : ....

विषय :— **विभिन्न स्तर के लोक—सेवकों/पदाधिकारियों के उपयोग के लिए सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की अधिसीमा निर्धारण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय पत्रांक—7487, दिनांक—08.11.2021 द्वारा माननीय मंत्री/उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश एवं समकक्ष के उपयोग के लिए सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की अधिसीमा **₹ 30 लाख** निर्धारित है। शेष पदधारकों के उपयोग के लिए सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की अधिसीमा (जिसमें वाहन की ऑन रोड कीमत एवं साज—सज्जा में होने वाले अन्य व्यय भी शामिल है) का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा पर सरकार द्वारा किया गया है। उक्त के आलोक में सरकारी वाहन के क्रय हेतु निम्नवत् अधिसीमा निर्धारित की जाती है :—

(i)	**अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं समकक्ष के लिए**	₹ 25 लाख
(ii)	जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रत्येक जिला न्यायमंडल में एक)/जिला पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए	₹ 20 लाख
(iii)	पुलिस अधीक्षक एवं समकक्ष के लिए	₹ 16 लाख
(iv)	अन्य पदाधिकारी (जिन्हें वाहन अनुमान्य है) के लिए	₹ 14 लाख

विश्वासभाजन
ह0/—

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 3ए—8—बैठक—07/2018—............./वि०   पटना, दिनांक : ....

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०) का कार्यालय, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना—800001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 3ए—8—बैठक—07/2018—16517/वि०   पटना, दिनांक : 28/11/2023

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट शाखा/**सिस्टम एनालिस्ट,** वित्त विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।
28/11/2023

I Fol. 2023\PPS-20.10.2023

बिहार सरकार
वित्त विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना सं०–3ए–5–से०नि०(MACP)–01/2025 10543/वि०, भारतीय संविधान के अनुच्छेद–309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया एवं शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ :–**

(i) यह नियमावली **"बिहार राज्य कर्मचारी सेवा–शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2025"** कही जाएगी।

(ii) इसका विस्तार बिहार राज्य के सभी नियमित कर्मचारियों पर होगा। यह नियमावली राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक अनुदान प्रदत्त स्वायत्त संस्थाओं/लोक उपक्रमों पर लागू नहीं होगी।

(iii) यह 01/01/2009 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ:** इस योजना में, जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(i) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है एक पृथक इकाई के रूप में कोई सेवा या पदों का समूह;

(ii) **"उत्क्रम"** से अभिप्रेत है योजना के अधीन परिलक्षित किये गए मूल कोटि से उच्चतर कोटि का ग्रेड–पे/वेतनस्तर;

(iii) **"सीमित प्रतियोगिता परीक्षा"** से अभिप्रेत है अधीनस्थ सेवा या संवर्ग के सदस्यों के बीच से उच्चतर संवर्ग के लिए चयन हेतु परीक्षा;

(iv) **"योजना"** से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2025.

3. **योजना का विस्तार:–** (1) यह योजना बिहार सरकार के समूह 'क', 'ख', एवं 'ग' के नियमित कर्मचारियों पर प्रभावी होगी तथा दिनांक–01.06.2018 के पूर्व के मामलो में समूह 'घ' के नियमित कर्मियों पर भी प्रभावी होगा। यह समूह 'क' के एकाकी पदों पर भी लागू की जा सकेगी।

राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों हेतु इस योजना का लाभ शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत प्रावधानों के अधीन अनुमान्य होगा।

परन्तु योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक अनुदान प्रदत्त स्वायत्त संस्थाओं या लोक उपक्रमों पर लागू नहीं होगी।

(2) इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के मामलों पर वही समिति विचार करेगी, जो तत्समय सुनिश्चित वृत्ति योजना में वित्तीय उन्नयन पर विचार करती रही है। यह ध्यान रखा जाएगा कि समिति के सदस्य वैसे पदाधिकारी होंगे, जो एम०ए०सी०पी०

158

के विचारणीय ग्रेड से कम से कम एक ग्रेड ऊपर के पद धारण करते हों तथा वह सरकार में उप सचिव के समकक्ष पद से अन्यून पंक्ति के न हों। अध्यक्ष समिति के सदस्यों के ग्रेड से कम से कम एक ग्रेड ऊपर का होगा।

(3) जहाँ समिति विभाग में गठित की जाती है, वहाँ स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसाएँ विभागीय सचिव के समक्ष अथवा अन्य मामलों में संगठन के प्रधान/सक्षम प्राधिकार के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेंगी।

(4) स्क्रीनिंग समिति एक समय सीमा का पालन करेगी तथा एक वित्तीय वर्ष में दो बार, अधिमानतः जनवरी के प्रथम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में उसकी बैठक अगले छमाही में परिपक्व होने वाले मामलों पर अग्रिम विचार करने के लिए होगी। तदनुसार किसी वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही (अप्रैल–सितम्बर) के दौरान परिपक्व होनेवाले मामलों पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होनेवाली स्क्रीनिंग समिति की बैठक में विचार किया जाएगा। ठीक इसी तरह किसी वित्तीय वर्ष के जुलाई के प्रथम सप्ताह में होनेवाली स्क्रीनिंग समिति की बैठक में उन्हीं मामलों पर विचार किया जाएगा, जो उसी वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही (अक्टूबर–मार्च) में परिपक्व होंगे।

(5) इस योजना के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के कारण किसी कनीय कर्मचारी को वरीय कर्मचारी से अधिक वेतन मिलने की दशा में वरीय को वेतन अथवा ग्रेड वेतन/वेतनस्तर नहीं बढ़ाया जाएगा।

व्याख्या– यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई पुराना मामला पुनः खोला नहीं जाएगा। आगे, एम०ए०सी०पी० योजना को लागू करते समय एक ही संवर्ग में पुरानी ए०सी०पी० योजना नियमावली, 2003 तथा एम०ए०सी०पी० योजना, 2010 के अधीन वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतनमान में अंतर, विसंगति नहीं मानी जाएगी।

4. **योजना की शर्तें एवं प्रक्रिया।**– इस योजना को प्रभावी करने तथा वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने की शर्तें एवं प्रक्रिया निम्नवत् होगी–

(1) रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन सीधी भर्ती वाले ग्रेड में क्रमशः 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर तीन वित्तीय उन्नयन दिए जाएंगे। जब कभी कोई व्यक्ति एक ही ग्रेड–वेतन/वेतनस्तर में लगातार 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेगा, तब उसे इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा।

(2) रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति राज्य सरकार के अधीन उपलब्ध वेतन संरचना में ठीक ऊपर के ग्रेड–पे/वेतनस्तर में दिया जाएगा। इस प्रकार रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के समय, जहाँ दो आनुक्रमिक ग्रेडों/वेतनस्तर के बीच नियमित प्रोन्नति नहीं होती हो, कतिपय ऐसे मामले में ग्रेड–वेतन/वेतनस्तर

उससे भिन्न हो सकता है, जो नियमित प्रोन्नति के समय उपलब्ध होता हो। ऐसे मामले में संबद्ध संवर्ग/संगठन के पद सोपान में अगली प्रोन्नति से जुड़ा उच्चतर ग्रेड–वेतन/वेतनस्तर नियमित प्रोन्नति के समय ही दिया जाएगा।

(3) इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन देते समय वेतन निर्धारण का वही लाभ दिया जाएगा, जो नियमित प्रोन्नति के समय दिया जाता है। इसलिए, ऐसे उन्नयन के पूर्व वेतन–बैंड और ग्रेड–वेतन में मिलने वाले कुल वेतन में 3% की वृद्धि की जाएगी। किन्तु यदि रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन स्वीकृत ग्रेड–वेतन वही हो, जो नियमित प्रोन्नति के समय का ग्रेड–वेतन हो, तो नियमित प्रोन्नति के समय कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा। वास्तविक प्रोन्नति के समय यदि यह उससे उच्चतर ग्रेड–वेतन वाला पद हो, जो रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के समय मिला था, तब भी कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा और मात्र ग्रेड–वेतन की अन्तर राशि जोड़ी जाएगी।

उदाहरणः– यदि कोई सरकारी सेवक वेतन बैंड–1 के ग्रेड वेतन रुपये 1900/– वेतनस्तर–2 में सीधी भर्ती के माध्यम से योगदान करता है और उसे 10 वर्षों की सेवा पूरी करने तक कोई प्रोन्नति नहीं मिलता हो तो रुपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के अधीन उसे अगले उच्चतर ग्रेड वेतन रुपये 2000/– वेतन स्तर–3 में वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जायेगा। दिनांक–01.01.2006 से 31.12.2015 तक वित्तीय उन्नयन प्राप्त होने की स्थिति में उसका वेतन निर्धारण एक वेतनवृद्धि के साथ–साथ ग्रेड पे के अन्तर अर्थात् रुपये 100 को जोड़कर निर्धारित किया जायेगा तथा रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर लेने के बाद यदि वह सरकारी सेवक अपने संवर्ग के ऊपरी पदसोपान में नियमित प्रोन्नति प्राप्त करता हो जिसका ग्रेड वेतन रुपये–2400/– हो तो, नियमित प्रोन्नति मिलने पर उसे मात्र ग्रेड वेतन रुपये–2400/– और रुपये–2000/– की अन्तर राशि ही प्रदान की जायेगी।

(4) दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन स्वीकृत वेतनस्तर वही हो, जो नियमित प्रोन्नति का वेतनस्तर हो, तो नियमित प्रोन्नति के समय कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा। वास्तविक प्रोन्नति के समय प्राप्त होने वाला वेतनस्तर रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के समय मिले वेतनस्तर से उच्चतर होने पर भी कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा और मात्र प्रोन्नति के वेतनस्तर के संगत प्रक्रम पर fit-in किया जाएगा।

उदाहरणः– दिनांक–01.01.2016 के बाद वित्तीय उन्नयन प्राप्त होने की

स्थिति में संगत प्रक्रम पर एक वेतनवृद्धि देते हुए अगले वेतन स्तर में fit-in किया जायेगा। वित्तीय उन्नयन प्राप्त होने के बाद किसी सरकारी सेवक को अपने पदसोपान में नियमित प्रोन्नति मिलने पर उसे मात्र वेतन स्तर–4 में संगत प्रक्रम पर fit-in किया जायेगा। इस प्रक्रम पर उसे कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि नहीं दी जायेगी।

(5) वेतन समिति/आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमानों के आमेलन/पदों के उत्क्रमण के कारण जिन ग्रेड–वेतन/वेतनस्तर का अब ग्रेड–वेतन/वेतनस्तर एक ही हो गया है उन ग्रेडों की पूर्व में अर्जित प्रोन्नति सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन स्वीकृत उत्क्रमणों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उत्क्रमण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

उदाहरण:– (क) कोई सरकारी सेवक जिसकी नियुक्ति पदसोपान के 5000–8000/– के वेतनमान में हुई थी और 01.01.2006 के पूर्व 25 वर्षों की सेवा के बाद भी कोई प्रोन्नति नहीं मिली, उसके मामले में उसे सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन अपने संवर्ग के पदसोपान के अगले ग्रेडों में दो वित्तीय उन्नयन मिला होता, अर्थात् उसे रुपये–5500–9000/– और रुपये–6500–10500/– का पुनरीक्षण पूर्व वेतन मिलता।

(ख) दूसरा, सरकारी सेवक उसकी पदसोपान के रुपये–5000–8000/– के वेतनमान में नियुक्त हुआ, उसने 25 वर्ष की सेवा पूरी की, किन्तु उस अवधि में उसे रुपये–5500–9000/– और रुपये–6500–10500/– के अगले उच्चतर ग्रेडों में दो प्रोन्नतियाँ मिली।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) दोनों मामलों में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन दिनांक–01.01.2006 के पूर्व रुपये–5500–9000/– तथा रुपये–6500–10500/– के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में स्वीकृत प्रोन्नति/वित्तीय उत्क्रमण को वेतन समिति द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में रुपये–5000–8000/–, रुपये–5500–9000/– और रुपये–6500–10500/– के आमेलन के मद्देनजर नज़र अन्दाज़ कर दिया जायेगा। वेतन समिति की अनुशंसा पर वित्त विभाग के संकल्प संख्या–630 दिनांक–21.01.2010 के अनुसार उन दोनों को वेतन–बैंड–2 में ग्रेड वेतन रुपये–4200/– प्रदान किया जायेगा। रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू किये जाने पर उपरोक्त–'क' एवं 'ख'– दोनों मामलों में वेतन बैंड–2 में दो उच्चतर ग्रेड वेतन रुपये–4600/– और रुपये–4800/– का दो वित्तीय उत्क्रमण प्रदान किया जायेगा।

(6) दिनांक–31.12.2005 तक सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण प्राप्त सभी कर्मचारियों के मामले में, उनका पुनरीक्षित वेतन सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उन्हें स्वीकृत वेतनमान के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

(i) दिनांक–01.01.2006 और 31.12.2008 के बीच सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उत्क्रमण प्रदान किए जाने की दशा में, राज्य सरकार के कर्मचारी को वित्त विभाग के संकल्प सं०–630, दिनांक–21.01.2010 के अधीन यह विकल्प होगा कि वह वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना के अधीन अपना वेतन निर्धारण या तो **(क)** 01.01.2006 के प्रभाव से 01.01.2006 को अपने पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के संदर्भ में करावे, या **(ख)** सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन स्वीकृत पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के संदर्भ में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन अपने वित्तीय उत्क्रमण की तिथि के प्रभाव से करावे। यदि विकल्प (ख) का चयन किया जाता है तो वह अपने बकाए वेतन को प्राप्त करने का हकदार अपने विकल्प की तिथि से ही होगा अर्थात सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण की तिथि से।

(ii) वैसे मामलों में जहाँ सरकारी सेवकों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, 2003 के उपबंधो के अनुसार अपने संवर्ग के पदसोपान में अगले उच्चतर वेतनमान में वित्तीय उत्क्रमण स्वीकृत किया गया था, किन्तु जहाँ वेतन समिति की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप संवर्ग के पदसोपान में अगला उच्चतर पद उच्चतर ग्रेड वेतन स्वीकृत किए जाने से उत्क्रमित कर दिया गया हो वहाँ ऐसे कर्मचारियों की पुनरीक्षित वेतन संरचना उस पद के लिए स्वीकृत उच्चतर ग्रेड–वेतन के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। परन्तु, रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू किये जाने की तिथि से इस योजना के अधीन सभी वित्तीय उत्क्रमण वेतन समिति की अनुशंसा एवं वेतन पुनरीक्षण संकल्प 2010 द्वारा यथा अनुसूचित वेतन बैंडों के ग्रेड–वेतनों के सोपान के अनुसार ही किया जाए।

(7) प्रोन्नति दिए जाने/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण प्रदान किए जाने पर वेतन निर्धारण के संदर्भ में सरकारी सेवक को एफ० आर० 22(1) (क) के अधीन यह विकल्प होता है कि वह अपना वेतन, उच्चतर पद/ग्रेड–वेतन में या तो अपनी प्रोन्नति/उत्क्रमण की तिथि से निर्धारित करावे या अपनी अगली वेतनवृद्धि की तिथि से। वेतन तथा अगली वेतनवृद्धि की तिथि वेतन पुनरीक्षण संकल्प के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(8) (i) भर्ती नियमावली के अनुसार प्रोन्नति श्रृंखला में समान ग्रेड–वेतन वाले पद में अर्जित प्रोन्नति की गणना रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

(ii) वेतन समिति की अनुशंसाओं को लागू किए जाने के फलस्वरूप, 5400 रू० का ग्रेड वेतन अब दो वेतन बैंडों यथा वेतन बैंड–2 और वेतन बैंड–3 में है। रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उत्क्रमण स्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ वेतन बैंड–2 के ग्रेड वेतन 5400 रू० तथा वेतन बैंड–3 में ग्रेड वेतन 5400 रू० को पृथक ग्रेड वेतनों के रूप में माना जाएगा। अर्थात् PB-2+4800/- या

PB-2+5400/- से चार वर्ष की नियमित एवं सम्पुष्ट सेवा के उपरान्त PB-3+5400/- में स्वतः उत्क्रमण को एक वित्तीय उन्नयन माना जाएगा।

(9) रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रयोजनार्थ "नियमित सेवा" नियमित आधार पर सीधी भर्ती वाले पद पर योगदान की तिथि से प्रारंभ होगी चाहे वह सीधी भर्ती के माध्यम से हुई हो या समायोजन/पुनर्नियोजन के माध्यम से। नियमित नियुक्ति के पूर्व तदर्थ रूप से की गई सेवा की गणना करते हुए इन्हें वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा। संविदा नियोजन के अधीन की गयी सेवा की गणना वित्तीय उन्नयन के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी। नए विभाग में नियमित नियुक्ति के पूर्व एक ही ग्रेड वेतन वाले पद पर दूसरे सरकारी विभाग की पिछली लगातार नियमित सेवा, जो टूट रहित हो, उसे भी रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रयोजनार्थ (न कि नियमित प्रोन्नतियों के प्रयोजनार्थ) अर्हक नियमित सेवा के रूप में गिनी जाएगी। परन्तु ऐसे मामले में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन लाभ देने पर तबतक विचार नहीं किया जाएगा जबतक कि नए पद पर परिवीक्षा अवधि को संतोषप्रद ढंग से पूरा न कर लिया जाए।

(10) राज्य सरकार में नियुक्ति के पूर्व राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक अनुदान प्रदत्त स्वायत्त संस्थाओं या लोक उपक्रमों में किसी सरकारी सेवक द्वारा की गई पिछली सेवा की गणना नियमित सेवा के रूप में नहीं की जाएगी।

(11) नियमित सेवा में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा में बिताई गई सभी अवधि, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत अन्य प्रकार की सभी छुट्टियाँ शामिल होंगी।

(12) रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना कार्यभारित कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी, यदि उनकी सेवा शर्तें नियमित स्थापना के कर्मचारियों से तुलनीय हो।

(13) रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना मात्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रत्यक्षतः लागू होगा। यह किसी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक अनुदान प्रदत्त स्वायत्त संस्थाओं या लोक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा।

(14) यदि कर्मचारियों के अयोग्य होने के कारण या विभागीय कार्यवाही आदि के कारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना आस्थगित/विलम्बित रखा जाता हो और किसी ग्रेड–वेतन में 10 वर्षों के बाद नहीं दिया जाता हो, इसका परिणामी प्रभाव उत्तरवर्ती (बाद के) वित्तीय उत्क्रमण पर भी पड़ेगा और वह भी उस हद तक आस्थगित/विलम्बित हो जाएगा।

(15) इस योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण प्रदान किए जाने पर पदनाम,

वर्गीकरण या उच्चतर हैसियत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किन्तु वित्तीय तथा कतिपय अन्य लाभ, जो कर्मचारी को प्राप्त वेतन से जुड़े हुए हैं, यथा गृह निर्माण अग्रिम, सरकारी आवास का आवंटन, दिए जाएंगे।

(16) जिन राज्य कर्मियों द्वारा प्रोन्नति हेतु सभी अर्हताएँ/अध्यपेक्षाएँ धारित करने के बावजूद प्रोन्नति प्राप्त नहीं हो पाती है, उन्हें रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ दिया जा सकेगा। इस हेतु रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन नियमावली के अधीन वित्तीय उन्नयन की मंजूरी के लिए भी निहित अध्यपेक्षाएँ एवं ढ़ंग वही होंगें जो भर्त्ती/सेवा नियमावली में रिक्तियों के विरूद्ध नियमित प्रोन्नति के लिए विहित किये गये हों। यदि किसी प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा पास करना या कोई अन्य अर्हत्ता विहित की गयी हो तो इस नियमावली के अधीन लाभ की मंजूरी के लिए वह अनिवार्य शर्त होगी यदि वे शर्त्तें नियमावली/परिपत्रों/ संकल्पों के अधीन विहित की गयी हों।

(17) अनुशासनिक/शास्ति वाली कार्यवाहियों के मामले में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन लाभ प्रदान किया जाना सामान्य प्रोन्नति को विनियमित करने वाले नियमों के अध्यधीन होगा।

(18) रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना में मात्र व्यक्तिगत आधार पर ठीक उच्चतर ग्रेड–वेतन/वेतनस्तर में केवल वित्तीय उत्क्रमण प्रदान की जानी है और इससे संबद्ध कर्मचारियों को वास्तविक कार्यात्मक प्रोन्नति नही मिलती। इसलिए, रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना पर कोई आरक्षण आदेश/रौस्टर लागू नहीं होगा और इसका लाभ समान रूप से सभी पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को भी मिलेगा। किन्तु नियमित प्रोन्नति के समय प्रोन्नति में आरक्षण के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(19) रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण कर्मचारी विशेष के लिए पूर्णतः व्यक्तिगत होगा और उसकी वरीयता की स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वरीय कर्मचारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण नहीं होगा कि उस ग्रेड–वेतन/वेतनस्तर में कनीय कर्मचारी ने रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत उच्चतर वेतन/ग्रेड–वेतन/वेतनस्तर प्राप्त कर लिया है।

(20) रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन स्वीकृत ग्रेड–वेतन/वेतनस्तर में प्राप्त वेतन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के सेवांत लाभ के निर्धारण के लिए आधार के रूप में लिया जाएगा।

(21) यदि समूह 'क' का सरकारी कर्मचारी, जो सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन आच्छादित नहीं था, 30 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के कारण अब यदि सीधे तृतीय वित्तीय उत्क्रमण का हकदार हो गया हो तो उसका

वेतन पुनरीक्षित वेतन बैंड और ग्रेड–वेतन के सोपान में क्रमशः ठीक अगले तीन उच्चतर ग्रेड–वेतन में निर्धारित किया जाएगा और हर स्तर पर उसे 3% का वेतन निर्धारण लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण के लिए पात्र हो गए व्यक्तियों का वेतन भी तद्नुसार निर्धारित किया जाएगा।

(22) यदि किसी कर्मचारी को अपने संगठन में अतिरेक घोषित कर दिया जाता हो और उसकी नियुक्ति नये संगठन में उसी वेतनमान या निम्नतर वेतनमान में की जाती हो तो पिछले संगठन में उसके द्वारा की गई नियमित सेवा की गणना रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन नए संगठन में उसे वित्तीय उत्क्रमण देने के प्रयोजनार्थ नियमित सेवा के रूप में की जाएगी।

(23) यदि कोई कर्मचारी प्रोन्नति/सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन प्राप्त करने के बाद निम्नतर पद या निम्नतर वेतनमान में एकपक्षीय स्थानान्तरण चाहता हो तो वह नए संगठन के पद पर अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन 20/30 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने पर यथास्थिति द्वितीय और तृतीय वित्तीय उत्क्रमण का ही हकदार होगा।

(24) वित्तीय उत्क्रमण का हकदार होने के पूर्व यदि किसी कर्मचारी को नियमित प्रोन्नति का ऑफर दिया गया हो किन्तु उसके द्वारा ऑफर ठुकरा दिया गया हो तो ऐसे कर्मचारी को कोई वित्तीय उत्क्रमण स्वीकृत नहीं किया जाएगा, क्योंकि अवसर के अभाव के कारण वह गत्यावरोध की स्थिति में नहीं रहा। परन्तु, यदि गत्यावरोध के कारण वित्तीय उत्क्रमण स्वीकृत किया गया हो और बाद में कर्मचारी ने प्रोन्नति अस्वीकार कर दिया हो तो वित्तीय उत्क्रमण वापस लेने का यह आधार नहीं बनेगा। परन्तु वह आगे वित्तीय उत्क्रमण दिए जाने के लिए विचार करने का तबतक पात्र नहीं होगा जबतक कि वह पुनः प्रोन्नति दिए जाने पर विचार करने के लिए राजी न हो जाए तथा द्वितीय एवं अगले वित्तीय उत्क्रमण भी अस्वीकार किए जाने के कारण विवर्जन की अवधि के हद तक आस्थगित कर दिया जाएगा।

(25) अन्य व्यक्तियों के साथ–साथ पूर्णतः तदर्थ आधार पर उच्चतर पद धारण करने वाले व्यक्ति के मामले पर भी स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जाएगा। कनीय पद पर प्रत्यावर्तन होने पर अथवा यदि तदर्थ आधार पर प्राप्त वेतन की अपेक्षा यह अधिक लाभकारी होने पर उन्हें भी वित्तीय उत्क्रमण स्वीकृत किया जा सकेगा।

(26) रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले कर्मचारियों को अपने पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तित होने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने द्वारा धारित पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उन्हें अनुमान्य वेतन और ग्रेड वेतन का योग, जो भी लाभकारी हो, प्राप्त करने के लिए नए सिरे से विकल्प दे सकेंगे।

(27) उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन क्रम में निम्नोक्त उदाहरण का संदर्भ लिया जाना अपेक्षित है :–

(क) (1) यदि वेतन बैंड–1, ग्रेड वेतन रुपये–1900/– वेतनस्तर–2 वाला कोई सरकारी सेवक (नि०व०लि०) 8 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अपना प्रथम नियमित प्रोन्नति (उ०व०लि०) के वेतन बैंड–1, ग्रेड वेतन रुपये–2400/– वेतनस्तर–4 प्राप्त करता हो और तब उसी ग्रेड वेतन में आगे 10 वर्षों तक बिना किसी प्रोन्नति के बना रहता हो तो वह 18 वर्षों (8+10 वर्ष) की सेवा पूरी करने के बाद रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वेतन बैंड–1, ग्रेड वेतन रुपये–2800/ वेतनस्तर–5 में द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण का पात्र होगा।

(2) यदि वह तत्पश्चात् कोई प्रोन्नति नहीं प्राप्त करता हो तो वह आगे 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अर्थात् 28 वर्ष (8+10+10) की सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड–2 ग्रेड वेतन रुपये–4200/ वेतनस्तर–6 में तृतीय वित्तीय उत्क्रमण प्राप्त करेगा।

(3) किन्तु यदि वह आगे पाँच वर्षों की सेवा के बाद अर्थात 23 वर्ष (8+10+5) की सेवा पूरी करने पर द्वितीय प्रोन्नति वेतन बैंड–2, ग्रेड वेतन रुपये–4200/– में प्राप्त कर लेता हो, तो वह 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अर्थात् द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के 10 वर्ष बाद तृतीय वित्तीय उत्क्रमण वेतन बैंड–2 ग्रेड वेतन रुपये–4600/ वेतनस्तर–7 में प्राप्त करेगा।

उपरोक्त परिदृश्य में ऐसा उत्क्रमण के पूर्व प्राप्त वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के योग के 3 प्रतिशत देकर उसका वेतन बढ़ा दिया जाएगा। किन्तु यदि नियमित प्रोन्नति उसी ग्रेड वेतन या उच्चतर ग्रेड वेतन में होती हो, तो उस समय पुनः कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा।

(ख) यदि किसी वेतन बैंड–1, ग्रेड वेतन रुपये–1900/वेतनस्तर–2 वाले सरकारी सेवक (नि०व०लि०) को 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड–1, ग्रेड वेतन रुपये–2000/– वेतनस्तर–3 में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन प्रथम वित्तीय उत्क्रमण स्वीकृत किया जाता हो और 5 वर्ष बाद वह वेतन बैंड–1, ग्रेड वेतन रुपये–2400/– वेतनस्तर–4 में प्रथम नियमित प्रोन्नति (उ०व०लि०) में प्राप्त करता हो, तो 20 वर्षों की सेवा पूरी करने पर रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उसे अगले उच्चतर ग्रेड वेतन अर्थात सरकारी सेवक द्वारा धारित ग्रेड वेतन से उपर का वेतन बैंड–1 ग्रेड वेतन रुपये–2800/वेतनस्तर–5 में

द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण प्रदान किया जाएगा। 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर वह ग्रेड वेतन रुपये–4200/वेतन स्तर–6 में तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन प्राप्त करेगा। किन्तु 20 वर्षों की सेवा पूरी करने के पूर्व यदि वह दो प्रोन्नतियाँ प्राप्त कर लेता है, तो द्वितीय प्रोन्नति की तारीख से उस ग्रेड वेतन में 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर या सेवा के 30वें वर्ष में, जो भी पहले हो, तृतीय वित्तीय उत्क्रमण अनुमान्य होगा। यदि सरकारी सेवक को दो नियमित प्रोन्नति दी गई हो अथवा 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के बाद अगस्त 1999 की सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण दिया गया हो तो उसे 30 वर्षों की सेवा पूरी करने अथवा दिनांक–01.01.2009 जो बाद में हो, से रूपान्तरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना के अधीन मात्र तृतीय वित्तीय उत्क्रमण अनुमान्य होगा, बशर्ते कि अपने पदसोपान में वह तृतीय प्रोन्नति प्राप्त न किया हो।

(28) यह योजना पूर्व की ए०सी०पी० नियमावली, उसके सभी संशोधनों एवं स्पष्टीकरण को अधिक्रमित कर बनायी गयी है। ए०सी०पी० नियमावली, 2003 दिनांक–13.07.2010 के प्रभाव से निरसित है, अतः इसके उपबंधों के अधीन वित्तीय उन्नयन दिनांक–12.07.2010 तक ही स्वीकृत किए जायेंगे।

5. **शंकाओं का निराकरण।**– यदि इस योजना के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो इस मामले को सरकार के वित्त विभाग को निर्देशित किया जायेगा, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

6. **इस योजना का अभिभावी प्रभाव।**– किसी अन्य नियमावली में इस योजना के प्रतिकूल किसी प्रावधान के होने पर भी इस योजना के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा।

7. **निरसन एवं व्यावृत्ति :–** (1) बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना), 2010 को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) "बिहार राज्य कर्मचारी सेवा–शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003"एवं "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010" के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस योजना द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी, मानो यह योजना उस तिथि को प्रवृत्त था, जिस तिथि को ऐसा कार्य किया गया था या कोई कार्रवाई की गई थी।

(3) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व जिन राज्य कर्मियों को सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या–18727/2017 (कमलानन्द ठाकुर एवं अन्य) तथा अन्य समरूप वाद में पारित न्यायादेश के द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता अथवा निर्धारित अर्हत्ता पूर्ण किये बिना ही

एम०ए०सी०पी० का लाभ अनुमान्य किया जा चुका है, उनके मामले में एम०ए०सी०पी० के लाभ के लिए विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता अथवा निर्धारित अर्हत्ता धारित करना बाध्यकारी नहीं होगा।

(4) इस योजना का कोई भी प्रावधान किसी व्यक्ति को योजना के प्रवृत्त होने के पूर्व पारित किसी आदेश के संबंध में अपील करने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा, जो उसे प्राप्त होता, यदि यह योजना लागू नहीं होती।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

6.10.25

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक–3ए–5–से०नि०(MACP)–01/2025–10543**/वि० पटना, दिनांक–** 06.10.2025

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.10.25

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक–3ए–5–से०नि०(MACP)–01/2025–10543**/वि० पटना, दिनांक–** 06.10.2025

प्रतिलिपि:–माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी लेखा पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.10.25

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक–3ए–5–से०नि०(MACP)–01/2025–10543**/वि० पटना, दिनांक–** 06.10.2025

प्रतिलिपि:–महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.10.25

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक–3ए–5–से०नि०(MACP)–01/2025–10543/वि० पटना, दिनांक– 06.10.2025

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.10.25

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक–3ए–5–से०नि०(MACP)–01/2025–10543/वि० पटना, दिनांक– 06.10.2025

प्रतिलिपिः– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आगामी बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

6.10.25

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)

पत्रांक–3/एम0–05/2023सा0प्र0 13256/

(43)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में

सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक–21.8.2024

विषयः– सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित कतिपय पदों को स्पष्ट किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 द्वारा राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों में बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवा संविदा के आधार पर लिये जाने हेतु राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय एवं प्रक्रिया संसूचित किया गया है। उक्त संकल्प के प्रावधानों के आलोक में मात्र उन्हीं पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा नियोजन किया जा सकता है, जो पद उक्त संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित हों। संकल्प के प्रावधान के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर अलग–अलग आदेशों से कतिपय अन्य पद भी संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित किये गये हैं।

2. मूल संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नांकित पद भी सम्मिलित हैं–

"6. प्रखण्डों में कार्य करने वाले अन्य पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी जिनसे बिहार ग्रामीण विकास सेवा एवं बिहार राजस्व सेवा संवर्गों के अधीन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्तियाँ की जा रही हैं।

11. जिला पदाधिकारी कार्यालय अथवा उसके अधीन कार्यालयों के लिपिक।

12. सचिवालय संवर्ग के आशुलिपिक एवं क्षेत्रीय कार्यालय (समाहरणालय) के आशुटंकक संवर्ग।"

उक्त पदों के संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु बार–बार रेफरेन्स प्राप्त होते रहते हैं।

3. विदित हो कि–

(i) 01 अप्रील, 2010 से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के पदों से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा वापस ले लिया गया है। उक्त पदों के संदर्भ में बिहार ग्रामीण विकास सेवा एवं बिहार राजस्व सेवा के गठन एवं उक्त सेवाओं के पदाधिकारियों के उपलब्ध होने तक के लिए उक्त पदों पर निम्नांकित संवर्ग के पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था–

(क) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी;

(ख) कृषि विभाग के प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी;

(५२)

(ग) ग्रामीण विकास विभाग के प्रसार पदाधिकारी एवं महिला प्रसार पदाधिकारी;
(घ) पंचायती राज विभाग के पंचायत पर्यवेक्षक;
(ङ) योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) के सांख्यिकी पर्यवेक्षक;
(च) श्रम संसाधन विभाग के श्रम निरीक्षक;
(छ) सहकारिता विभाग के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 के साथ संलग्न अनुसूची के क्रम संख्या–6 पर अंकित पद का तात्पर्य उक्त वर्णित पदों से था।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–3026 दिनांक–13.02.2023 द्वारा "6. प्रखण्डों में कार्य करने वाले अन्य पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी जिनसे बिहार ग्रामीण विकास सेवा एवं बिहार राजस्व सेवा संवर्गों के अधीन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्तियाँ की जा रही हैं।" को विलोपित किया जा चुका है। अतः उप कंडिका–(i) में वर्णित पद सम्प्रति संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं।

4. संकल्प की अनुसूची के क्रम संख्या–11 पर जिला पदाधिकारी कार्यालय अथवा उसके अधीन कार्यालयों के लिपिक का तात्पर्य बिहार समाहरणालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक एवं प्रधान लिपिक से है।

उक्त संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में पत्र संख्या–15884 दिनांक 21.08.2023 द्वारा जिला पदाधिकारी, भोजपुर को यह परामर्श दिया गया था कि जिला पदाधिकारी कार्यालय के प्रधान लिपिक का पद प्रासंगिक संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। अतः पूर्व में उक्त पत्र द्वारा दिये गये परामर्श को वापस लिया जाता है।

5. संकल्प की अनुसूची के क्रम संख्या–12 पर सचिवालय संवर्ग के आशुलिपिक एवं क्षेत्रीय कार्यालय (समाहरणालय) के आशुटंकक संवर्ग का तात्पर्य बिहार सचिवालय आशुलिपिकीय संवर्ग एवं क्षेत्रीय कार्यालय (समाहरणालय) आशुटंकक संवर्ग के सभी पदों से है।

6. अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/ कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाय।

विश्वासभाजन,

21/8/24

(गुफरान अहमद)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक–मं०मं०–01 / आर०–28 / 2006 881

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक

गिरीश शंकर,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में

सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव,
बिहार, पंटना।

पटना, दिनांक 03 जून, 2009

विषय :– सरकारी सेवकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संदर्भ में बनायी गयी नीति एवं प्रक्रियाओं का दृढ़ता से अनुपालन करने हेतु मार्गदर्शन।

महाशय,

आप अवगत हैं कि सरकारी सेवकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संदर्भ में अद्यतन संशोधित कार्यपालिका नियमावली के नियम 22(3) से 22(5) में प्रावधान किए गए हैं। कतिपय मामलों के संदर्भ में नियम 32(क) में भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या 434 दिनांक 01.03.07 तथा संकल्प संख्या 1697 दिनांक 28.05.08 द्वारा इसी संदर्भ में सरकार के नीतिगत निर्णय संसूचित हैं। विभाग का यह दायित्व है कि सभी स्थानांतरण एवं पदस्थापन में उपर्युक्त नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. विभागों द्वारा वर्ष 2008 के जून माह में किए गए स्थानांतरणों की उच्चस्तरीय समीक्षा की गयी थी। समीक्षा के बाद यह तथ्य सामने आया था कि कई मामलों में नियमों का पालन नहीं हुआ था। अतः स्थानांतरण / पदस्थापन की प्रक्रिया को त्रुटिहीन बनाने के उद्देश्य से उपर्युक्त वर्णित नियमों एवं संकल्पों के प्रावधानों को लागू करने के संदर्भ में विस्तृत मार्गदर्शन नीचे दिए जा रहे हैं :–

(1) सामान्य स्थानांतरण एवं पदस्थापन वर्ष में एक बार जून माह में ही किया जाना है। जून माह से भिन्न माह में मात्र प्रोन्नति, कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण सक्षम स्तर के एक स्तर ऊपर के प्राधिकारी के अनुमोदन से ही किया जाना है। किन्तु कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से होने वाले स्थानांतरणों में भी स्पष्ट कारण संचिका पर अंकित होने चाहिए। कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण / पदस्थापन के संदर्भ में आगे की कंडिका में और स्पष्ट मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं।

(2) गृह जिला में पदस्थापन — सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में ही पदाधिकारी / कर्मचारी के अपने मनोनुकूल स्थान पर स्थानांतरण / पदस्थापन के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। इससे भिन्न सभी मामलों में, जिला सम्वर्ग को छोड़कर, किसी भी पदाधिकारी / कर्मचारी को गृह जिला में पदस्थापित नहीं किया जाएगा। सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के पदों को गृह जिला का पद नहीं माना जाएगा।

(3) तीन वर्षों की सेवावधि पूरी होने के पश्चात् ही स्थानांतरण किए जाने हैं। यदि किसी विभाग द्वारा स्थायी आदेश के जरिए किसी पद विशेष के लिए स्थानांतरण हेतु सेवावधि दो वर्षों की निर्धारित की गयी हो, तो वही लागू होगी।

स्थानान्तरण हेतु निर्धारित सेवावधि वर्ष 2009 के संदर्भ में 30 जून, 2009 तक ही पूरी होनी चाहिए। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी कर्मचारी का पूर्व पद पर पदस्थापन 02 जुलाई, 2006 (जहां सेवावधि दो वर्षों की है वहां 02 जुलाई 2007) को या उसके बाद हुआ हो, तो वैसे कर्मी की सेवावधि स्थानांतरण हेतु पूरी नहीं मानी जाएगी।

(4) सेवावधि सामान्यतः तीन वर्ष (आपवादिक स्थिति में विशेष आदेश से दो वर्ष) पूरी होने के पूर्व स्थानांतरण / पदस्थापन के आपवादिक मामलों में निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाए :–

(I) *प्रशासनिक कारण* :

क) प्रोन्नति होने पर अथवा वरीयता के आधार पर उच्चतर पद पर पदस्थापन किए जा सकते हैं।
ख) न्यायालय के आदेश से, यदि आवश्यक हो, स्थानांतरण / पदस्थापन किए जा सकते हैं।

1726

स्वाक्षर

ग) प्रतीक्षारत् कर्मियों अथवा दूसरे विभाग से सेवा प्राप्त कर्मियों का पदस्थापन किया जा सकता है।

घ) यदि कोई अन्य प्रशासनिक कारण हो, तो उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख संचिका में अवश्य होना चाहिए। ऐसे कारण औचित्यपूर्ण होने चाहिए। यदि असंतोषप्रद कार्य के कारण स्थानान्तरण पर विचार किया जा रहा है, तो वैसे कर्मियों का पदस्थापन कम महत्व के स्थान पर ही किया जाना चाहिए।

प्रशासनिक कारणों से किए जा रहे ऐसे स्थानांतरणों के मामलों में भी पूर्ण पारदर्शिता बरता जाना आवश्यक होगा।

ङ) यदि उच्चतर पद पर पदस्थापन आवश्यक हो, और उस वेतनमान के पदाधिकारी उपलब्ध न हों, तो वैसे पद पर वित्त विभाग के परिपत्र के आलोक में ही पदस्थापन किया जाना चाहिए।

(II) <u>अभ्यावेदन के आधार पर</u> :

सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के अभ्यावेदन के मामलों में भी कारण यथेष्ट और औचित्यपूर्ण होने पर ही, सेवावधि पूरी होने के पूर्व, स्थानांतरण/पदस्थापन किए जा सकते हैं। इनमें सामान्यतः निम्न प्रकार के मामले आएंगे :–

क) सेवानिवृत्ति में एक वर्ष अथवा उससे कम की अवधि बची हो।

ख) पति एवं पत्नी का एक जगह पदस्थापन का अनुरोध हो।

ग) कर्मचारी स्वयं गंभीर अस्वस्थ हो।

घ) सेवक के निकट परिवार के किसी सदस्य (उसकी पत्नी या पति, उनके बच्चे, उसके माता–पिता अथवा, पत्नी अथवा पति, के माता–पिता) की गम्भीर अस्वस्थता।

(5) कार्यपालिका नियमावली की अनुसूची–4 के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन स्थानांतरण/पदस्थापन के आदेश जारी किए जा सकते हैं। कार्यपालिका नियमावली के नियम 21 के तहत इनसे भिन्न स्थानांतरण/पदस्थापन की प्रक्रिया से संबंधित कोई आंतरिक आदेश निकालने के पूर्व मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त मार्गदर्शनों का पूर्ण पालन करते हुए कार्यपालिका नियमावली के नियमों एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा निर्गत संकल्पों के प्रावधानों के तहत ही स्थानांतरण/पदस्थापन अपने विभाग में सुनिश्चित किया जाय।

4. यह भी अनुरोध है कि कार्यपालिका नियमावली के नियमों, मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्पों तथा उपर्युक्त मार्गदर्शनों से अपने विभागीय मंत्री को भी अवगत कराने की कृपा करें, जिससे उन्हें निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

विश्वासभाजन,
3/6/09
(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – मं०मं०–01/आर०–28/2006 881 पटना, दिनांक 03 जून, 2009

प्रतिलिपि माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय उप मुख्य मंत्री, माननीय मंत्रिगण एवं माननीय राज्य मंत्रिगण के आप्त सचिवों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे माननीय मुख्य मंत्री/माननीय उप मुख्य मंत्री/माननीय मंत्री/माननीय राज्य मंत्री को उपर्युक्त सभी प्रावधानों एवं मार्गदर्शन से अवगत करा देंगे।

3/6/09
(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव

2686(14)
09/10/2023

संο–14/विविध–05/2021

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः– राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा अग्रिम की अधिसीमा एवं स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन के संबंध में।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–1462(14), दिनांक–16.08.2021 द्वारा राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए रू0 10,00,000/– (दस लाख रुपया) की सीमा तक के व्यय की राशि की प्रतिपूर्त्ति की स्वीकृति की शक्ति प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को प्रदत्त है तथा रूपये 10,00,000/– (दस लाख रुपया) से ऊपर की व्यय राशि की प्रतिपूर्त्ति वित्त विभाग की सहमति के उपरांत प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा स्वीकृति का प्रावधान किया गया है परन्तु चिकित्सा अग्रिम की अधिसीमा में बढ़ोत्तरी के संबंध में प्रावधान नही किया जा सका है।

2. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–946(14), दिनांक–14.08.2015 की कंडिका– 6(V) में निहित प्रावधान के तहत् राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा हेतु चिकित्सा अग्रिम रू0 5,00,000/– (पाँच लाख रुपया) की सीमा तक की राशि की स्वीकृति की शक्ति प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को प्रदत्त है तथा रूपये 5,00,000/– (पाँच लाख रुपया) से ऊपर की राशि की चिकित्सा अग्रिम के संबंध में वित्त विभाग की सहमति के उपरांत प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव द्वारा स्वीकृति का प्रावधान है।

3. कतिपय विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–946(14), दिनांक–14.08.2015 की कंडिका– 6(V) में निहित प्रावधान में संशोधन की अपेक्षा की जाती रही है।

4. उक्त प्रावधान लगभग आठ वर्ष पूर्व का है, जिसमें वर्त्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए संशोधन की आवश्यकता है।

5. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों के ईलाज हेतु विभागीय संकल्प संख्या–946(14), दिनांक–14.08.2015 की कंडिका– 6(V) में चिकित्सा अग्रिम की अधिसीमा एवं स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति को निम्नरुपेण संशोधन किया जाता है :–

(i)	अधिकतम रू0 8 लाख (आठ लाख रुपया) तक	प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा।
(ii)	रू0 8 लाख (आठ लाख रुपया) से ऊपर	वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव द्वारा।

6. संबंधित चिकित्सा संस्थान से प्राप्त प्राक्कलन (Estimate) के आधार पर प्राक्कलित राशि का 80 प्रतिशत स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम राशि का सी0जी0एच0एस0 दर पर निर्धारित समय सीमा (अधिकतम 6 माह) के भीतर समायोजन

सुनिश्चित की जायेगी जिसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था प्रशासी विभाग और नियंत्रण पदाधिकारी दोनों स्तर पर की जायेगी।

7. चिकित्सा अग्रिम हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–946(14), दिनांक–14.08.2015 की कंडिका–6(V) इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

8. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6/10/23

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक –14/विविध– 05/2021 2686 (14) स्वा०, पटना, दिनांक– 09/10/2023

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई0गजट, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार/ सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी निदेशक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

6/10/23

सरकार के सचिव।

175

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। आदेश ।।

आदेश संख्या–3/एम0–13/2025...../सा0प्र0, पटना–15 दिनांक–.....

बिहार सरकार के विभिन्न विभागों की संरचना एवं कार्यालय का ढाँचा **सचिवालय अनुदेश** के अध्याय–1.4 एवं 1.8 में विहित है। साथ ही **सचिवालय अनुदेश** के अध्याय–1.3 एवं 1.9 में विभागों के सचिव एवं अपर सचिव तथा चर्या–लिपिक, संग्रहीता, अभिलेखों, टंकक, प्रधान टंकक, उच्च वर्गीय सहायक, प्रशाखा प्रधान, आशुलिपिक, कार्यवाह सहायक, निबंधक एवं अवर सचिव के कर्त्तव्य एवं दायित्व का निर्धारण किया गया है।

2. परन्तु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा सचिवालय के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों की संरचना एवं पदनाम में संशोधन के फलस्वरूप प्रासंगिक अधिकांश पदों का पदनाम परिवर्तित हो गया है जिसके कारण वर्तमान में विद्यमान पदों के कर्त्तव्य एवं दायित्व के संदर्भ में स्पष्टता का अभाव है। साथ ही विभिन्न विभागों की आधारभूत संरचना एवं विभागीय उपस्करों की गुणवत्ता में भी विगत समय में गुणात्मक वृद्धि हुई है।

3. अतः सचिवालय के विभागों (संलग्न कार्यालय सहित) की कार्य संचालन प्रक्रिया एवं विभिन्न पदधारकों के कर्त्तव्य एवं दायित्व के संदर्भ में सचिवालय अनुदेश में विहित प्रावधानों को स्पष्ट करने हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure- SOP) निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस की गयी है।

4. अतः उक्त संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त विभागों में कार्य संचालन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure- SOP) निम्नवत् निर्धारित किया जाता है –

(1) निम्नवर्गीय लिपिक के दायित्व–

(i) सभी प्राप्त पत्रों/संचिकाओं को प्राप्ति की तिथि को ही **दैनिकी पंजी (Diary Register)** में नियमित रूप से **दर्ज (Diary)** किया जाय।

(ii) पत्र एवं संचिका को दर्ज (Diary) करने के लिए **अलग–अलग दैनिकी पंजी (Diary Register)** का उपयोग किया जाय।

(iii) दैनिकी पंजी (Diary Register) में पत्र/संचिका की संख्या, उसका विषय, कहाँ से प्राप्त हुआ है एवं तिथि का **स्पष्ट उल्लेख** किया जाय।

(iv) दो पत्रों अथवा संचिकाओं की प्रविष्टि दर्ज (Diary) करने के क्रम में स्पष्टता बनाये रखने हेतु उनके बीच **खाली स्थान रखना** सुनिश्चित किया जाय।

(v) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कर्मपुस्तिका में प्राप्त पत्र एवं संचिका की प्रविष्टि हेतु **अलग–अलग कर्मपुस्तिका** का उपयोग किया जाय।

(vi) प्रत्येक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कर्मपुस्तिका में पत्र अथवा संचिका की डायरी संख्या एवं तिथि की प्रविष्टि के पूर्व क्रम संख्या का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। यह पंचांग वर्ष के प्रथम दिन, अर्थात् 01 जनवरी, को क्रम संख्या 01 से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर तक लगातार चलेगी।

(vii) अपेक्षित कार्य निष्पादन के उपरान्त दूसरे विभागों की संचिका वापस किये जाने के क्रम में शाखा की दैनिकी पंजी (Diary Register) एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कर्मपुस्तिका में **वापसी की तिथि** भी प्रविष्ट किया जाय।

(viii) प्रत्येक 15 दिनों पर **अथवा** अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा शाखा की पाक्षिक/साप्ताहिक समीक्षा की निर्धारित तिथि की पूर्व संध्या को शाखा के सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की पत्र एवं संचिका से संबंधित कर्मपुस्तिका में निम्न प्रतिवेदन लाल स्याही से अंकित कर संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी के माध्यम से कनीय/वरीय प्रभारी को अवलोकित कराया जाय–

- पूर्व से लंबित पत्र/संचिका की संख्या–
- आलोच्य अवधि में प्राप्त नये पत्र/संचिका की संख्या–
- कुल लंबित पत्र/संचिका की संख्या–
- आलोच्य अवधि में निष्पादित पत्र/संचिका की संख्या–
- शेष लंबित पत्र/संचिका की संख्या–

(ix) प्रशाखा की डायरी एवं फाईल गतिपंजी का रख–रखाव करना, टाईपिंग करना, मिलान करना, कम्प्यूटर पर डाटा इन्ट्री करना, प्रशाखा के दिन–प्रतिदिन के कार्यों में सहयोग करना (जैसे फोटो कॉपी करना, अभिलेखों का रखरखाव, ई–मेल करना, फैक्स भेजना आदि), उच्च वर्गीय लिपिक की अनुपस्थिति में उससे संबंधित कार्यों का निष्पादन करना तथा समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

(2) उच्च वर्गीय लिपिक के दायित्व–

(i) निम्नवर्गीय लिपिक के लिए निर्धारित सभी दायित्वों का निर्वहन एवं उसकी अनुपस्थिति में उनसे संबंधित सभी कार्य निष्पादित करना।

(ii) संचिका का संधारण एवं रखरखाव।

(iii) प्रशाखा की डायरी एवं फाईल गतिपंजी का रखरखाव।

(iv) प्राप्त/निर्गत पत्र को संबंधित संचिका में लगाकर उनका सारांकण करना एवं आवश्यकतानुसार नई संचिका खोलना।

(v) प्रशाखा द्वारा बार–बार किये जाने वाले रूटीन कार्य का निष्पादन।

(vi) अनुमोदित प्रारूपों पर उच्चाधिकारी का हस्ताक्षर प्राप्त कर निर्गत करना एवं संचिका में सारांकण करना।

(vii) समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करना।

(3) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के दायित्व–

(i) प्रतिदिन अपराह्न में अपने कर्मपुस्तिका में दर्ज पत्र एवं संचिका को देखकर उनके **निष्पादन की प्राथमिकता** निर्धारित की जाय।

(ii) निष्पादन की प्राथमिकता के आधार पर कर्मपुस्तिका में दर्ज पत्र एवं संचिका का ससमय निष्पादन किया जाय। इस क्रम में तत्कालीन मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–3887 दिनांक–19.06.2008 में यथानिर्धारित समय–सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

नोटः– उक्त परिपत्र (छायाप्रति संलग्न) से निर्गत निदेश निम्नवत् है–

> **"किसी भी स्तर पर संचिका तीन दिनों से अधिक समय तक लंबित नहीं रखा जाए। जिस भी स्तर पर विलम्ब होता है उसे कर्त्तव्यों की अवहेलना मानते हुये जिम्मेवारी निर्धारित कर नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।"**

(iii) कर्मपुस्तिका में दर्ज पत्र की डायरी संख्या के सामने जिस संचिका में इसे उपस्थापित किया जा रहा हो, उसकी संचिका संख्या के साथ–साथ उपस्थापन की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जाय। इसी प्रकार कर्मपुस्तिका में दर्ज संचिका की डायरी संख्या के सामने संचिका के उपस्थापन की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जाय। कार्य निष्पादन/आदेश के उपरान्त संचिका वापस प्राप्त होने पर प्रासंगिक डायरी संख्या के सामने संचिका वापस प्राप्त होने की तिथि भी स्पष्ट रूप से अंकित की जाय।

(iv) संचिका में टिप्पणी के उपरान्त **हस्ताक्षर के नीचे स्पष्ट रूप से नाम अंकित** किया जाय।

(v) उपस्थापित टिप्पणी एवं प्रारूप में आवश्यकतानुसार **निर्देशीकरण (Referencing)** करना सुनिश्चित किया जाय।

(vi) टिप्पणी प्रारम्भ करने के पूर्व प्राप्त पत्र का **सारांकण (Docketing)** करना सुनिश्चित किया जाय। इसी प्रकार कार्य निष्पादन के उपरान्त निर्गत पत्र का भी सारांकण (Docketing) करना सुनिश्चित किया जाय।

(vii) अपनी **टिप्पणी स्वयं टंकित** किया जाय।

(viii) यदि टंकित टिप्पणी प्रस्तुत की गयी हो, तब प्रत्येक टंकित पृष्ठ पर आद्याक्षर (initial) अंकित किया जाय।

(ix) संचिका उपस्थापन के क्रम में यदि कोई विचारण सूची, चार्ट, प्रतिवेदन आदि उपस्थापित किया जा रहा हो, तब उनकी सत्यता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु उन पर भी स्पष्ट हस्ताक्षर अंकित किया जाय। परन्तु अनुमोदनार्थ उपस्थापित किये जाने वाले प्रारूप पर आद्याक्षर अंकित नहीं किया जाना है।

(x) माननीय न्यायालय से संबंधित मामलों में निम्नवत् कार्रवाई सुनिश्चित की जाय–

(क) माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण से संबंधित सभी मामलों को सहायकवार एवं प्रशाखावार सूचीबद्ध किया जाए।

(ख) इन सभी मामलों में प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है अथवा नहीं जाँच लें यदि नहीं किया गया हो तो एक सप्ताह के अंदर प्रतिशपथ पत्र दायर कर विभागीय एवं प्रशाखा की पाक्षिक बैठक में उपस्थापित किया जाए।

(ग) इन मामलों से संबंधित सरकारी अधिवक्ताओं से संपर्क स्थापित कर आवश्यक दस्तावेज एवं सामग्री उन्हें उपलब्ध करा दें एवं उनके साथ विषयवस्तु से विमर्श कर सरकार के पक्ष को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया जाए।

(घ) प्रतिशपथ पत्र में अंकित तथ्यों की समीक्षा कर ली जाए एवं यह सुनिश्चित हो लें कि अंकित तथ्य सही है एवं सरकार के पक्ष को समुचित रूप में रखा जाए।

(ङ) यदि किसी वाद में आदेश पारित हुआ हो तो पारित आदेश का अध्ययन कर उस वाद में यदि अपील, Revision या Modification दायर करने की आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाए। यदि संभव नहीं हो तो अविलंब आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(च) न्यायिक मामलों से संबंधित सभी संचिकाओं का यथाशीघ्र अध्ययन कर संचिका वरीय पदाधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ उपस्थापित किया जाए। यदि उस संचिका में कार्रवाई की आवश्यकता हो तो प्रधान सचिव के समक्ष एक सप्ताह के अंदर उपस्थापित करना सुनिश्चित करें।

(छ) न्यायिक मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए एवं इसके लिए संबंधित सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(xi) प्रभार में प्राप्त compactor अथवा दराज में **अनावश्यक वस्तु नहीं रखा जाना** है और इसकी साफ–सफाई सुनिश्चित की जानी है।

(xii) अपने प्रभार के सभी संचिकाओं को एक कार्य योजना के अनुरूप अध्ययन कर सुनिश्चित हो लें कि संबंधित संचिका क्रियाशील है अथवा अक्रियाशील। उदाहरणस्वरूप किसी के प्रभार में यदि सौ संचिकायें हैं, तब सामान्य प्रकृति की अधिक संचिकाओं का अध्ययन कम समय में किया जा सकता है और जटिल संचिकाओं के अध्ययन में अधिक समय लग सकता है। अतः इसके लिए एक कार्य योजना तैयार कर एक महीने के अंदर सभी संचिकाओं का अध्ययन करना सुनिश्चित किया जाय।

तदुपरान्त प्रभार की अक्रियाशील संचिकाओं को, प्रभारी पदाधिकारी से सभी संचिकाओं में आदेश प्राप्त करते हुए, नियमानुसार विभागीय अभिलेखागार में संरक्षित कराया जाय। प्रभार की **क्रियाशील संचिकाओं को सूचीबद्ध** कर इसकी एक प्रति अपने पास तथा एक प्रति प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी के पास रखा जाय। साथ ही सूची की एक प्रति प्रभार में प्राप्त compactor अथवा दराज में संचिकाओं के संबंधित बंडल में भी रखा जाय। इस सूची को साप्ताहिक रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(xiii) अग्रदैनिकी (Forward Register) संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। अग्रदैनिकी का उपयोग भविष्य की तिथियों के लिए निर्धारित किसी कार्य, यथा– प्रथम/द्वितीय अपील की सुनवाई की तिथि, स्मार पत्र उपस्थापित करने की तिथि, माननीय न्यायालय में सुनवाई की अगली तिथि, किसी बैठक के आयोजन की तिथि आदि, से संबंधित सूचना अंकित करने के लिए किया जाता है जिससे कि संबंधित कर्मी के अवकाश आदि पर रहने की स्थिति में भी उन कार्यों का निष्पादन ससमय सुनिश्चित हो सके।

(xiv) यथानिदेशित हस्तलेखन सुनिश्चित किया जाय एवं पाक्षिक समीक्षा बैठक के उपरान्त संचिका में अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अवलोकनार्थ उपस्थापित किया जाय।

(xv) हिन्दी टंकण की न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की **यथानिर्धारित गति प्राप्त की जाय और इस बरकरार रखा जाय।**

(xvi) प्रशाखा के लिए निर्धारित कार्य से संबंधित परिपत्र/नियम/प्रावधान आदि से स्वयं को अद्यतन रखें तथा शाखा के लिए निर्धारित **रेडिरेकनर (सुलभ संगणक) को आत्मसात करें।**

(xvii) विविध नाम से कोई संचिका नहीं खोली जाय। प्रत्येक संचिका में विषय का स्पष्ट उल्लेख किया जाय और अलग–अलग विषयों के लिए अलग–अलग संचिकाएँ खोली जाय।

180

(4) प्रशाखा पदाधिकारी के दायित्व–

(i) उप–कंडिका–(1) एवं (2) में निम्नवर्गीय लिपिक/उच्च वर्गीय लिपिक एवं उप–कंडिका–(3) में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए निर्धारित दायित्वों के अनुपालन का **पर्यवेक्षण** किया जाना।

(ii) सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का **पटल निरीक्षण** किया जाना। निरीक्षण में कार्यालय में ससमय उपस्थिति, कार्य निष्पादन में तत्परता एवं कार्य स्थल की स्वच्छता पर विशेष बल दिया जाना। पटल निरीक्षण का विहित प्रपत्र संलग्न है।

(iii) शाखा की पाक्षिक समीक्षा बैठक के उपरान्त बैठक की कार्यवाही, उपस्थिति प्रतिवेदन, लंबित पत्रों/संचिकाओं की सूची एवं प्रशाखा की उपलब्धि से संबंधित प्रतिवेदन अलग–अलग संचिका में अवलोकनार्थ उपस्थापित कराना सुनिश्चित किया जाना।

(iv) अधीनस्थ कर्मियों से ऑनलाईन/ऑफलाईन प्राप्त **अवकाश आवेदनों को अनुशंसा के साथ मुख्यालय स्थापना शाखा को उपलब्ध** कराना सुनिश्चित किया जाना।

(v) किसी अधीनस्थ कर्मी के अवकाश, प्रशिक्षण अथवा किसी अन्य कारण से अनुपस्थित रहने पर उसके पटल के कार्यों का निष्पादन उपस्थित किसी **अन्य कर्मी से कराया जाना सुनिश्चित किया जाना। एतद्संबंधी स्थायी आदेश शाखा के स्तर पर निर्गत किया जाय।**

(vi) अधीनस्थ कर्मियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभिलेखन के क्रम में उनके **Objective Assessment के आधार पर उनका बेंचमार्किंग** किया जाना, रूटीन तरीके से नहीं।

(vii) अग्रदैनिकी (Forward Register) संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। अग्रदैनिकी का उपयोग भविष्य की तिथियों के लिए निर्धारित किसी कार्य, यथा– प्रथम/द्वितीय अपील की सुनवाई की तिथि, स्मार पत्र उपस्थापित करने की तिथि, माननीय न्यायालय में सुनवाई की अगली तिथि, किसी बैठक के आयोजन की तिथि आदि, से संबंधित सूचना अंकित करने के लिए किया जाता है जिससे कि संबंधित कर्मी के अवकाश आदि पर रहने की स्थिति में भी उन कार्यों का निष्पादन ससमय सुनिश्चित हो सके।

(viii) वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रशाखा की उपलब्धि से संबंधित प्रतिवेदन के साथ–साथ प्रशाखा में लंबित सभी प्रकार के मामलों यथा– न्यायालय मामले, विधान मंडलीय मामले, सूचना का अधिकार, आरोप, अधिरोपित दण्ड आदि से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन हमेशा तैयार रखा जाय और उसे प्रत्येक दिन अद्यतन किया जाय जिससे कि मांग के आधार पर वांछित प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जा सके।

(ix) प्रत्येक वर्ष प्रशाखा के रेडिरेकनर (सुलभ संगणक) को अद्यतन कर मुद्रित कराना।

(5) आशुलिपिक संवर्ग के कर्त्तव्य–

(i) अपने पदाधिकारी से श्रुतिलेख लेना एवं उसकी टंकित प्रतिलिपि तैयार करना

(ii) अपने पदाधिकारी के अनुदेशों का पालन करना।

(iii) पदाधिकारियों के कार्यालय कक्ष एवं आवासीय कार्यालय, यदि कोई हो, में सभी अद्यतन विभागीय संहिताएँ एवं अन्य निर्देश पुस्तकें रखने के लिए उत्तरदायी रहना। उपलब्ध पुस्तकों को सूचीबद्ध एवं संख्यांकित करना।

(iv) प्रत्येक बुधवार को सुबह कार्य प्रारम्भ करने के पहले अपने पदाधिकारी के पास लंबित मामलों (पत्र/संचिकाओं) की सूची तैयार करना और उसे मुख्यालय स्थापना के कनीय प्रभारी के समक्ष उपस्थापित करना।

(v) अपने पदाधिकारी द्वारा पत्र/संचिकाओं को निष्पादित किये जाने के उपरान्त उन्हें सम्बद्ध पदाधिकारी के पास भेजना।

(vi) आवश्यकता होने पर प्रेषण/टंकण में सहायता देना और गोपनीय लिपिक के रूप में कार्य करना।

(vii) अपने पदाधिकारी द्वारा निष्पादन के उपरान्त विभाग से बाहर जाने वाली संचिकाओं में टिप्पणी एवं पत्राचार भाग के पृष्ठों की संख्या से संबंधित प्रमाणपत्र अंकित करना।

(viii) अपने पदाधिकारी के स्तर पर निर्धारित किसी बैठक की सूचना दूरभाष द्वारा सभी संबंधित को दिया जाना सुनिश्चित करना। साथ ही अपने पदाधिकारी के प्रतिदिन की अद्यतन कार्य विवरणी (Engagement) सुलभ संदर्भ हेतु उनके पटल पर हमेशा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।

(ix) समय–समय पर अपने पदाधिकारी एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करना।

(6) कनीय/वरीय पदाधिकारी के दायित्व–

(i) अपने प्रभार की प्रशाखाओं का नियमित अन्तराल पर निरीक्षण किया जाना। निरीक्षण में कार्यालय में ससमय उपस्थिति, कार्य निष्पादन में तत्परता एवं कार्य स्थल की स्वच्छता पर विशेष बल दिया जाना।

(ii) उप–कंडिका–(1) एवं (2) में निम्नवर्गीय लिपिक/उच्च वर्गीय लिपिक, उप–कंडिका–(3) में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं उप–कंडिका–(4) में प्रशाखा पदाधिकारी के लिए निर्धारित दायित्वों के अनुपालन का पर्यवेक्षण किया जाना।

(iii) जिन संचिकाओं में मुख्य सचिव/माननीय मंत्री/माननीय मुख्य मंत्री के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव उपस्थापित किया जा रहा हो, उनमें कनीय अथवा वरीय– किसी एक प्रभारी पदाधिकारी द्वारा आत्मभारित टिप्पणी दिया जाना।

(iv) प्रशाखा द्वारा उपस्थापित संचिकाओं में "विमर्श करें/स्पष्ट करें/ प्रस्ताव दें/प्रस्ताव क्या है? आदि" टिप्पणी देने से यथासम्भव बचा जाय। आवश्यकता होने पर व्यक्तिशः बुलाकर तत्समय ही विमर्श कर लिया जाय। निगरानी/गोपनीय/जटिल मामलों में प्रशाखा के स्तर पर समुचित प्रस्ताव गठित करने में कठिनाई की स्थिति में अपने स्तर से टंकित प्रस्ताव उपस्थापित करें।

(v) प्रभार की शाखाओं के दायित्व के संदर्भ में पूर्णतः उत्तरदायी होना।

(7) विभाग/कार्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों के सामान्य दायित्व–

(i) कार्यालय अवधि के लिए निर्धारित समय का अनुपालन सुनिश्चित करना अर्थात् निर्धारित समय पर कार्यालय आना, कार्यालय अवधि में अपने पटल पर कार्यों का निष्पादन करना तथा निर्धारित समय पर कार्यालय छोड़ना।

नोटः– बायोमैट्रिक उपस्थिति की विवरणी के आधार पर विलम्ब से कार्यालय आने वाले, कार्यालय अवधि से पूर्व कार्यालय से प्रस्थान करने वाले एवं बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछ कर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

(ii) अपरिहार्य परिस्थिति में विलम्ब से कार्यालय आने अथवा समय से पहले कार्यालय छोड़ने हेतु सक्षम वरीय प्राधिकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना। अत्यन्त आकस्मिक परिस्थितियों में दूरभाष अथवा whatsapp पर भी ऐसी अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

(iii) सामान्य परिस्थिति में बिना अवकाश स्वीकृत कराये बिहार सेवा संहिता में यथानिर्धारित किसी भी अवकाश में प्रस्थान नहीं किया जाय। विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकार को व्यक्तिशः, दूरभाष अथवा whatsapp पर आकस्मिकता से अवगत कराकर ही अवकाश पर प्रस्थान किया जाय। अवकाश स्वीकृति हेतु समय पर आवेदन दिया जाय। अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व अवकाश की स्वीकृति/अस्वीकृति की संसूचना अप्राप्त रहने पर लिखित आवेदन में इससे अवगत कराते हुए अवकाश पर प्रस्थान किया जाय।

(iv) निर्धारित कक्ष छोड़ने के पूर्व AC एवं अन्य विद्युत उपकरण बन्द करना सुनिश्चित करना।

(v) विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये पौधों की समुचित देखभाल करना।

(vi) अपने कार्यस्थल को साफ एवं सुव्यवस्थित रखा जाना सुनिश्चित करना।

(vii) सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुसार ड्रेस कोड का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी भी परिस्थिति में Casual ड्रेस यथा जिन्स, टी–शर्ट आदि पहन कर कार्यालय नहीं आया जाय। सरकारी कर्मियों का परिधान कोड के अनुरूप, साफ–सुथरा एवं व्यवस्थित होना चाहिए।

(viii) कार्यालय अवधि में सभी पदाधिकारी/कर्मचारी अपना–अपना पहचान पत्र पहनना सुनिश्चित करेंगे।

5. उक्त मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure- SOP) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संदर्भ में किसी शंका का निराकरण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सचिवालय अनुदेश एवं राज्य सरकार के अन्य निदेशों के आलोक में किया जा सकेगा।

ह0/–
(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–3/एम0–13/2025..... /सा0प्र0, पटना–15 दिनांक–.....

प्रतिलिपि–(1) सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) अनुरोध है कि उक्त वर्णित प्रावधानों का अनुपालन अपने नियंत्रणाधीन विभाग/कार्यालय में कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–
(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–3/एम0–13/2025 18039 /सा0प्र0, पटना–15 दिनांक– 23.9.25

प्रतिलिपि– सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajendra 23.9.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव

निबन्धक / कार्यालय-पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर

(2) फाइल-पंजी – (क) फाइल-पंजी निम्न फॉर्म में रहेगी :-

क्रम सं	विभाग का नाम	फाइल संख्या	विषय	गतिविधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

(ख) इसके अन्तर्गत उन सभी फाइलों की सूची रहेगी, जो या तो दूसरे विभाग से प्राप्त हुई हों अथवा विभाग के बाहर से प्राप्त पत्रों, या विभाग ही में खुली नयी फाइलों के फलस्वरूप विभाग में खोली गयी हों। सहायक ने मामला मौलिक रूप से जिस पदाधिकारी को, अर्थात् निबन्धक/अवर-सचिव/सचिव/मुख्य सचिव को, उपस्थापित किया हो, उनका पद-नाम और उपस्थापन की तारीख, गतिविधि-स्तंभ में लिखेंगे। मामला वापस मिलने पर, वे इस स्तंभ की प्रविष्टि [illegible], जिससे यह पता चलेगा कि फाइल [illegible] पास है। जब फाइल, अन्तिम रूप से निबटाकर, संग्रहीता के पास ("अ", "आ", "इ" मामलों के रूप में) संग्रहण के लिए भेज दी जाय, तब इस स्तंभ में इस आशय की प्रविष्टि [illegible] चाहिए और फाइल के निबटाव की तारीख भी लिख देनी चाहिए। फाइल पर संग्रहीता द्वारा [illegible] संख्या और अभ्युक्ति स्तंभ में चढ़ेगी।

(3) अग्र-दैनिकी – जब भारत-सरकार से प्राप्त किसी पत्र, सभा या परिषद् प्रश्न या किसी दूसरे पत्र का उत्तर किसी खास तारीख तक देना हो या जब कोई मामला किसी पदाधिकारी को किसी खास तारीख तक उपस्थापित करना आवश्यक हो, तब वह मामला [illegible] में विहित फारम (राजस्व बोर्ड फारम संख्या 561, अनुसूची 14) में रखी जानेवाली अग्र-दैनिकी में [illegible]।

(4) मामलों की तालिका – चर्या-लिपिक से प्रारूप जिस पर संख्या और तारीख दी हुई हो, मिलने पर, प्रभारी सहायक उसे संगत फाइल में फिर रख देंगे और तब उस मामले को तुरत समुचित [illegible] की तालिका में लिख देंगे। मामलों की तालिका के अन्तर्गत दूसरे विभागों से सलाह के लिए भेजे गये सभी मामलों की सूची भी रहेगी। हर कार्यवाह-सहायक सप्ताह में – सोमवार से शनिवार तक – हर पदाधिकारी द्वारा निबटाये मामलों की अलग सूची तैयार करेंगे और उसे अधिक-से-अधिक मंगलवार के प्रातः तक अपने प्रशाखा-प्रधान को उपस्थापित करेंगे। प्रशाखा-प्रधान भिन्न-भिन्न तालिकाओं का, जिस पदाधिकारी के लिए वे तैयार की गयी हों, उसके अनुसार, वर्गबन्धन करेंगे और उन्हें संबद्ध पदाधिकारी को उच्चतर पदाधिकारी के सामने उपस्थापन के लिए, प्रस्तुत करेंगे। [1][इसे प्रत्येक माह के 5 और 20 तारीख को मंत्रिमंडल सचिवालय को अग्रसारित किया जाना चाहिए।

तालिका निम्न फारम में तैयार होगी :-

बिहार सचिवालय के .... विभाग में ....

[2][पखवारा में .... तारीख तक निबटाये मामलों की तालिका .... तारीख को समाप्त होनेवाले

क्र.सं.	पत्र संख्या और तारीख	विषय तथा फाइल-संख्या	आदेश	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

(5) कार्यालय-स्थायी-आदेश-पुस्त – हर कार्यवाह-सहायक निबन्धक के प्राधिकार से या उपरिस्थ

1. शुद्धि पत्र सं. – 110 दि. 25.5.1972
2. शुद्धि पत्र सं. – 110 दि. 25.5.1972 द्वारा प्रतिस्थापित।

186

फारम स० १८
(देखें-नियम ४५)
[illegible]

मास			मास			
जनवरी	फरवरी	मार्च	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	
अप्रैल	मई	जून	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	
						१
						२
						३
						४
						५
						६
						७
						८
						९
						१०
						११
						१२
						१३
						१४
						१५
						१६
						१७
						१८
						१९
						२०
						२१
						२२
						२३
						२४
						२५
						२६
						२७
						२८
						२९
						३०
						३१

८४

आर० जयमोहन पिल्लै

मुख्य सचिव, बिहार सरकार
CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR
Main Secretariat, Patna-800015
मुख्य सचिवालय, पटना-८०००१५
Tel : 0612-2215804
Fax : 0612-2217085

पत्रांक-3/एम-44/08.3887
दिनांक 19 जून, 2008.

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :- संचिकाओं को अनावश्यक रूप से लंबित रखने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 75/536 दिनांक 14 अगस्त, 1975, 2178 दिनांक 28 फरवरी 2007, 2230 दिनांक 17 अप्रैल 2008 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20 मार्च 2007 की ओर आपका निजी ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना है कि सरकार के स्पष्ट निदेश के बावजूद विभिन्न स्तरों पर संचिकायें लम्बे समय तक लम्बित रखी जाती है । कई मामले ऐसे पाये गये है जिन्हें महीनों एवं वर्ष से अधिक समय तक विभिन्न स्तरों पर लंबित रखे गये है । समय-समय पर न्यायादेशों में भी विलम्ब पर प्रतिकूल टिप्पणियाँ की जाती रही है ।

उपर्युक्त वर्णित परिपत्रों में दिये गये निदेशों का पालन नहीं किये जाने से सरकार चिन्तित है । समय पर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करना आपका प्रधान दायित्व है । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता या उदासीनता बरतना कर्त्तव्यों की अवहेलना तथा दायित्वों का निर्वहन नहीं करने की श्रेणी में आता है ।

अतः पुनः उपर्युक्त निदेशों को दुहराते हुये निदेश दिया जाता है कि किसी भी स्तर पर संचिका तीन दिनों से अधिक समय तक लंबित नहीं रखा जाए । जिस भी स्तर पर विलम्ब होता है उसे कर्त्तव्यों की अवहेलना मानते हुये जिम्मेवारी निर्धारित कर नियमानुसार अनुशासनिक कारवाई की जाए ।

अनुरोध है कि सरकार के उपर्युक्त निदेश से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराते हुये अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन,

19.6.08

(आर० जयमोहन पिल्लै)

प्रशाखा–10 मे कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों का फोटोग्राफ

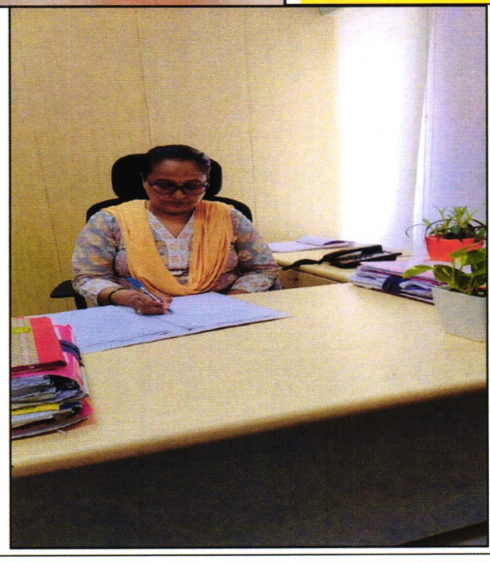

प्रशाखा–20 मे कार्यरत पदाधिकारियों / कर्मियों का फोटोग्राफ